(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] पंचम् विधान सभा के 12वें सत्र का छटा दिवस संख्या 4

बुधवार,

6 अक्टूबर, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, वित, उपनिवेशन, पर्यटन, जनसंपर्क-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् का गठन

90. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गान्धीनगर, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् का गठन किस तिथि को हुआ ? परिषद के कुल सदस्य कितने हैं व कब से हैं उनका क्या क्या नाम है ?

(2) परिषद् को नियमित करने हेतु क्या व्यवस्था है ? 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1976 तक परिषद् की कितनी बैठकें हुईं व किन-किन तिथियों को व किन स्थान पर ?

(3) नियमान्तर्गत वर्ष में कितनी बार बैठक बुलाने का प्रावधान है ? क्या नियमान्तर्गत बैठकें समय पर बुलाई गईं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या कारण थे ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बनवारी लाल) : (1) वर्तमान राजस्थान अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् का पुनर्गठन दिनांक 10-11-75 को किया गया है। इस परिषद् के कुल 17 सदस्य हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद का गठन एवं नियमन राजस्थान अनुसूचित जनजाति मंत्रणा परिषद नियम, 1952 के अन्तर्गत किया जाता है। इस मंत्रणा परिषद की 1 जनवरी 1974 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि में दिनांक 2-6-74 को भीलवाड़ा में बैठक बुलाई गई थी लेकिन कोरम के अभाव में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ीं।

(श्री बनवारीलाल)

(3) नियमानुसार साधारणतया परिषद् की त्रैमासिक बैठक बुलाने का प्रावधान है । राजकीय कार्य विधि की औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण बैठकें नियमानुसार नहीं बुलाई जा सकीं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखिये)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिये मेरे खयाल से इस परिषद् का गठन किया गया था और राज्य सरकार की मंशा भी यही होगी, लेकिन जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कोई बैठक नहीं बुलाई गई और न ही अनुसूचित जन जाति का कोई कल्याण निखर कर सामने आया है । इस बारे में राज्य सरकार की क्या भावना है ? राज्य सरकार की नीति इस बारे में कोई उपयोगी है या नहीं ? केवल मात्र परिषद् का गठन करना ही राज्य सरकार का उद्देश्य था या उस समाज को ऊंचा उठाने का भी कोई लक्ष्य था, क्योंकि 10–11–75 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई ? कभी कोरम के अभाव में, कभी मीटिंग बुलाने के अभाव में और कभी किसी अभाव में मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की परिषद् का कोई उद्देश्य मुझे लगता नहीं है ।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जन जाति कल्याण परिषद् की लास्ट मीटिंग, मैंने बताया, 3–7–76 को बुलाई गई थी और प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है और जो मुद्दे रखे थे, उन पर भी निर्णय लिया है ।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : आपने 3–7–76 को मीटिंग बुलाने लेकिन उसके बारे में भी आपकी उदासीनता दिखाई देती है । न तो कोई मीटिंग की प्रोसीडिंग्स आती हैं और न ही कोई अनुपालना होती है । इन सारी बातों से ऐसा जाहिर होता है कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं उदासीन हैं ।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फर्माया उदासीनता जैसी कोई बात नहीं है । जो प्रोसीडिंग थी वह भी भेज दी गई है और सदस्यों के पास भेजी जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं और क्या क्या काम किया है ? यह बताया जावे ।

श्री मीठालाल मीणा : और क्या उन निर्णयों की अनुपालना हुई है ? नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची 17 सदस्यों की पेश की है, उसमें माननीय सदस्य मीठालाल जी का भी नाम है । वे जब स्वयं यह क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स नहीं मिलीं तो फिर कौन से सदस्यों को प्रोसीडिंग्स मिली है ? यह भी बताया जावे । हम कैसे मान लें कि प्रोसीडिंग्स भेजी गई हैं और निर्णयों की अनुपालना हुई है । इस उद्देश्य के लिये इस परिषद् का गठन किया गया था कि अनुसूचित जन जाति के लोगों को फायदा हो । वह नहीं हुआ है ।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, प्रोसीडिंग्स की कापी सभी सदस्यों को जारी की गई है। अगर माननीय सदस्य को···

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप शब्दों का सुधार करें। तैयार की गई हैं, यह कहिये कि भेज देंगे, आइन्दा भेज देंगे।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, उसमें क्या प्रगति हुई है वह तो आगामी बैठक में आयेगी। प्रोसिडिंग्स सभी माननीय सदस्यों को भेजी गई है। अगर आपको नहीं भेजी है तो अब भेज दी जायेगी।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन्होंने डिपार्टमेंट से इश्यू कर दी होगी लेकिन सदस्यों को नहीं मिली है। दूसरा निवेदन यह था, मंत्री महोदय ने यह एश्योरेन्स दिया था कि जो निर्णय लिये हैं उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है, उससे सदस्यों को अवगत करा दिया जाय।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, प्रोसीडिंग्स कल जारी हुई हैं और माननीय सदस्यों के पास बहुत जल्दी पहुंच जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

चूरू जिले में मलेरिया का प्रकोप

91: श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्रामों में मलेरिया का भयंकर प्रकोप है ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू जिला परिषद् की दिनांक 6–9–76 की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा गया है कि चूरू जिले की राजगढ़, तारानगर और चूरू की तहसीलों को भी मलेरिया के भारी प्रकोपग्रस्त क्षेत्र में शामिल किया जावे ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि ग्रामों से निरन्तर मलेरिया वृद्धि की शिकायतें आने के बावजूद भी डी. डी. टी. का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है ?

(4) क्या राज्य सरकार काश्त के मौसम में रुकावटें पैदा करने वाले इस भयंकर रोग को रोकने का उपाय करेगी जिससे घर घर में मलेरिया से पीड़ित लोगों को राहत मिल सके ? यदि हां, तो कब से आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला) : (1) राजस्थान की सब तहसीलों में पहले के अनुपात में मलेरिया के मामले बढ़े हैं। मगर राजगढ़ तहसील में मलेरिया की वृद्धि अन्य स्थानों के अनुपात से कम है।

(2) जी हां, मामला विचाराधीन है। इस प्रकार के मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(3) जी हां, चूरू जिले में जो क्षेत्र मेन्टीनेन्स फेज के अन्तर्गत आता है उनमें अन्य क्षेत्रों की भांति वर्ष में दो बार नियमित छिड़काव नहीं कराया जाता है वरन् वहां पर केवल मलेरिया रोगी सिद्ध होने पर केवल निर्धारित सीमा में फोकल छिड़काव कराया जाता है।

(श्रीमती कमला)

(4) जी हां, राज्य सरकार केन्द्र की सहायता से इस रोग पर काबू पाने हेतु नई नीति के हेतु प्रयत्नशील है। घर घर जाकर मलेरिया मरीजों को राहत दिलाने के लिये इलाज कराने का बन्दोबस्त है। मलेरिया पेरेसाइट के केरियर मच्छर सहनशील हो गये है और डी.डी.टी. व बी.एच.सी. से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं– इस दिशा में भी नये इनसे इन्सेक्टीसाइड्स बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया है कि राजगढ़ तहसील में मलेरिया कम हुआ है, ऐसा सर्वेक्षण बिलकुल निहायत गलत है। मैंने खुद आदमी भेजकर पता लगाया है और उससे मालूम हुआ है कि मलेरिया सर्दी लग-लग कर बुखार आता है। मैंने 8 आदमियों का सर्वेक्षण करवाया तो करीबन नहीं बल्कि 153 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताओं के नाम आदि मेरे पास आये हैं...

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुना ही नहीं, राजस्थान में पहले के मुकाबले मलेरिया बढ़ा है लेकिन जिस अनुपात में दूसरे हिस्सों में मलेरिया ज्यादा है उससे राजगढ़ में कम है आज दूसरे हिस्सों के मुकाबले वहां मलेरिया कम है। पहले से ज्यादा हो सकता है लेकिन अनुपात में कम है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक एक घर में 8–8 आदमी बीमार हो रहे हैं। 100–100 घरों के गांवों में अधिकतर लोग खाटों पर पड़े हुये हैं। घर के सारे लोग बीमार पड़े हुये हैं।

श्रीमती कमला : मैंने पहले भी कहा है घर घर में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है। मैंने कब इन्कार किया है कि मलेरिया नहीं फैला है लेकिन इस तहसील में और जगह के मुकाबले कम है।

श्री मोहरसिंह : न तो, अध्यक्ष महोदय, वहां कोई मलेरिया की गोलियां भेजी गई हैं और न छिड़काव ही कराया गया है। यह राज्य सरकार की क्या नीति है ?

श्री मीठालाल मीणा : क्या यह सही है कि सरकार पर्याप्त रूप से या आर्थिक दृष्टि से छिड़काव कराने में असमर्थ हैं। मैंने जयपुर जिले के अधिकारियों से सम्पर्क किया तो मुझे जानकारी मिली कि सब जगह डी. डी. टी. छिड़काव करवा सकें इतना पैसा नहीं है। विशेष गांव में करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर डी.डी. टी. सब जगह नहीं छिड़काई गई तो, अध्यक्ष महोदय, इस मलेरिया का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जायगा।

चिकित्सा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, कल इस पर काफी बहस हो चुकी है और विस्तार से वक्तव्य दे दिया गया था। सारी बातों का जवाब भी दे दिया गया था, दो तरह के क्षेत्र हैं, एक तो अटेक क्षेत्र जहां पर दो बार औषधि का छिड़काव करते हैं और दूसरा मेन्टीनेन्स क्षेत्र। आस पास में मलेरिया हो जाता है वहां पर डी. डी. टी. का छिड़काव करते हैं। जिस क्षेत्र का सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं वह मेन्टीनेन्स क्षेत्र का है।

श्री मोहरसिंह : आप मेहरबानी करके यह बता दीजिये...

श्री चन्दनमल बैद : आप सुन लीजिये, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ?

भारत सरकार का मसला है और वहां से ही औषधि वगैरह मिलती है। हमने भारत सरकार को लिखा है। सारे हिन्दुस्तान में मलेरिया बढ़ रहा है राजस्थान में भी बढ़ रहा है तो सारे क्षेत्र को अटेक क्षेत्र में ले लिया जाय। भारत सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिले या न मिले, राजस्थान सरकार का यह मानना है कि सारे राजस्थान के क्षेत्र को अटेक एरिया मान कर कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री मीठालाल : भारत सरकार क्या कर रही है यह तो आप जाने। गत साल भी आपकी ओर से यही जवाब आया जब यही सवाल चला था। हमें तो यह बता दीजिये कि तीन महीने में या छः महीने की अवधि में सब जगह पर डी.डी.टी का छिड़काव कर देंगे। क्या सब जगह छिड़काव करने में समर्थ हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह भी अर्ज कर दिया था कि केवल डी.डी.टी. छिड़काव से ही मलेरिया नष्ट हो जाय यह संभव नहीं है क्योंकि मलेरिया पेरासाइट के केरियर मास्क्विटोज, जिनसे मलेरिया फैलता है, डी.डी.टी. के आदी हो गये हैं और रेसिस्ट कर लेते हैं, उससे वे मरते नहीं हैं। कीट नाशक औषधि भी काम में ली गयी लेकिन उसको भी वे हजम कर गये। एक दूसरी औषधि है, जो कि जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, जिसको हम काम में नहीं लेना चाहते हैं। इसलिये इस ओर स्वयं भारत सरकार भी प्रयत्नशील है कि ऐसी औषधि निकाली जाय जिससे मलेरिया न फैले। चूंकि डी.डी.टी. के छिड़काव से ही वे नष्ट हो जावेंगे यह मानना सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री करणसिंह (डीग) : प्रश्न संख्या 92।

श्री मोहरसिंह : जिला स्वास्थ्य अधिकारी की मांग है। बार बार लिखा गया है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा रोड रोलर्स की खरीद

92. **श्री करणसिंह (डीग)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ने हाल ही में रोड रोलर्स खरीदे हैं ? यदि हां, तो कब, कहां से और किस मूल्य में ?

(2) क्या सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अभी और रोड रोलर्स खरीदने जा रहा है ? यदि हां, तो कब कितने और कितनी कीमत के ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां, हाल ही में वित्तीय वर्ष 76-77 में तीन रोड रोलर्स खरीदने हेतु मेसर्स ग्रीव्स काटन, कम्पनी कलकत्ता को आदेश दिये गये हैं जिनका मूल्य 1,56,000 रु. प्रति रोड रोलर है। ये रोलर अभी प्राप्त नहीं हुए है।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(2) जी हां. इस वर्ष 12 रोड रोलर्स क्रय करने के लिए प्रावधान किया गया है जो बोर्ड के निर्णय और सडक-निर्माण की आवश्यकतानुसार समय समय पर क्रय किये जावेंगे।

श्री करणसिंह : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि दूसरे रोड रोलर्स जिनके लिये टेण्डर्स दिये गये थे उनकी क्या कीमत है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले दो रोड रोलर खरीदे गये, एक तो स्पीड क्राफ्ट और दूसरा लायन ब्रान्ड जिनकी कीमत है 1,39, 251 रुपया। लोएस्ट टेण्डर आये स्पीड क्राफ्ट और लायन ब्राण्ड के और वे ही खरीदे गये। चार और खरीद रहे हैं। डी. जी. एस. डी. से रेट कान्ट्रेक्ट है उन कम्पनियों के।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसके अलावा और कोई टेण्डर आया ही नहीं क्या ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि सब जगह खरीद रहे हैं गवर्नमेंट कम्पनी के हैं। टी. पाई साहब ने सबही मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी है। डी.जी.एस. डी. से रेट कान्ट्रेक्ट है और एप्रूव्ड हैं वे ही खरीद रहे हैं। यह पब्लिक अन्डरटेकिंग के हैं। जो भी गवर्नमेंट रोड रोलर्स खरीदने की इच्छुक हैं, उनका कान्ट्रेक्ट है और पर्टीकुलर रोड रोलर अच्छा है इस सारी बात को ध्यान में रख कर चार रोड रोलर्स खरीदे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : प्रश्न संख्या 93,

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : और टेण्डर्स आये ही नहीं क्या ?

श्री अध्यक्ष : एक साथ बोलेंगे तो जवाब कैसे आयेगा। सब को मौका दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजखेडा) : पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत है। मजदूरों को एम्पलायमेंट देना था जो बेकार हो गये थे। क्या राजस्थान सरकार ने सब ही विभागों के लिये यह निर्णय ले लिया या नहीं ? सब ही जगह जैसप कम्पनी के ही रोड रोलर्स खरीदे जावेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो कृषि विपणन बोर्ड के बारे में जानकारी दे सकता हूं। इसने किस कम्पनी से लिये और उसके क्या आधार हैं, यह कह सकता हूं।

श्री ओंकार लाल चोहान (डग) : अध्यक्ष महोदय...

श्री करणसिंह : एक प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष : The matter is in between you both.

श्री ओंकारलाल चोहान : प्रश्न यह है कि टेण्डर्स लिये या नहीं लिये ? जब टेण्डर्स लिये ही नहीं गये तो लोएस्ट टेण्डर किस बात का ? पाई साहब की चिट्ठी आयी और खरीद लिये। फिर लोयेस्ट टेण्डर किस बात का ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जेसप कम्पनी की चिट्ठी नहीं आयी उसके पहले खरीदे गये। टी. पाई साहब की चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम पर आयी थी जो मैं पढकर सुना देता हूं।

Page No 7

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

"One of the major manufacturers of Road Rollers is M/s. Jessop & Co. Ltd, Calcutta, which is in the public sector. After completion of their running contract with the D.G.S.D., M/s. Jessop & Co. Ltd. have been told that no further orders would be placed on them"

डी.जी.एस.डी. किसी कम्पनी के साथ एग्रीमेन्ट करता है तो उस चीज की अच्छाई को देख कर ही तो करता है। आपरेशनल कास्ट कम आती है, मेन्टीनेन्स कास्ट कम आती है। जैसप कम्पनी के ही रोड रोलर्स ठीक हैं।

"....as the State Governments have cancelled the indents received for 1974-75 and have not put up indents for 1975-76. This has virtually resulted in stoppage of the offtake of Road Rollers, with the result that M/s. Jessop & Co. Ltd., have got 200 completely assembled Road Rollers lying with them. Besides, they have got raw materials and components for manufacture of 800 Road Rollers during the next six months, if required. You will kindly agree that in order to keep up the level of production regular orders have got to be placed. Considerable amount of funds have been invested by M/s Jessop Co, Ltd, in Road Roller project It is conceivable that orders will be bunched at a later date after bulk release of funds and this will make the delivery difficult."

श्री करणसिंह : 22 हजार रुपया देकर आपने रोड रोलर खरीदे। दूसरे इसके मुकाबले अच्छे रोड रोलर्स हैं, कन्जम्पशन कम है और मशीनरी भी अच्छी है। दूसरे विभागों ने कम कीमत में खरीदे हैं। किसानों का पैसा है तो किस प्रकार से आपने 22।। हजार रुपया देना उचित समझा?

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्पीड क्राफ्ट और लायन ब्रान्ड दोनों हमारे पास हैं। दोनों वर्क करते हैं। उनकी आपरेशनल और मेंटीनेन्स कास्ट क्या है और किस किस प्रकार के हैं यह हमको अच्छी तरह से पता है। आलोचना नहीं करनी चाहिये कि कौन से किसने कहां से खरीदे। लेकिन जेसप के अच्छे रोड रोलर्स माने जाते हैं और आपरेशनल और मेन्टीनेन्स कास्ट कम है और डी. जी. एस. डी. से रैट कान्ट्रेक्ट है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट!

श्री भुवनेश चतुर्वेदी !

कोटा शहर में खेती की भूमि को आबाद भूमि में परिवर्तन करने की दर

93. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा शहर में खेती की भूमि को परिवर्तन करने की क्या क्या दर है? क्या राजस्थान में ये दर सबसे अधिक हैं?

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

(2) क्या यह सही है कि कोटा शहर में चम्बल के कटाव से उत्पन्न खाल व खड्डों में बहुत से गरीब बस चुके हैं और उस भूमि को भी आबादी भूमि में परिवर्तन के लिये भी वही महंगी दरें हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार जयपुर की भांति कोटा में भी खालों, रेवाइन्स तथा कच्ची बस्तियों की भूमि को आबादी में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) सूची संलग्न है। अन्य शहरों की तुलना में कोटा शहर की परिवर्तन की दरें सबसे अधिक हैं।

(2) हां, यह सही है। इन भूमियों को आबादी भूमि में परिवर्तन करने की दरें वही हैं जो संलग्न सूची में दिखाई गयी हैं।

(3) जी हां। कुछ कच्ची बस्तियों को, आबादी में परिवर्तन करने की योग्यतायें अन्तरिम रूप से यू. आई. टी. कोटा द्वारा बनायी गयी हैं और उनके विचाराधीन है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट–2 देखिये)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है उस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा सिटी में जो कन्वर्शन की रेट्स हैं और एरिया को चार जोन में बांटा गया है :

Zone 'A' Comprising all villages
Zone 'B' Comprising all villages
Zone 'C' Comprising all villages
Zone 'D' Comprising all villages

जब सरकार यह मानती है कि 'कम्प्रोईजिंग आफ आल विलेजेज' और सबसे ज्यादा रेट्स सिटी में लगा दी हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा कास्ट बढ़ा दी। माननीय मंत्री महोदय आपको पता है कि मैं भी यू.आई.टी. का सदस्य हूं। वहां ने कोई स्कीम पास नहीं हुई लाखों रुपये के नोटिसेज छोटी छोटी जमीन वालों को सर्वे हो चुके हैं और कन्वर्शन के चार्जेज 50 गुना और 100 गुना कर दिये हैं और यह हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं। जब आप कच्ची बस्तियों की बात करते हैं, 20 पाइन्ट प्रोग्राम के इम्पलीमेन्टेशन की बात करते हैं और जब आप उसकी प्रेक्टिस की बात करते हैं तो कोलेप्स हो जाते हैं। जब आप कच्ची बस्तियों की बात करते हैं तो ईमानदारी से कच्ची बस्तियों की बात कीजिए। आपने वहां पर कन्वर्शन की 250 रुपया पर स्क्वायर फीट की रेट रख दी जो कि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान में ज्यादा है। आप कच्ची बस्तियों के बारे में ईमानदारी से पुर्नविचार कीजिए और कोई पक्षपात मत कीजिए। आप खुद स्वीकार करते हैं कि कोटा में सबसे ज्यादा रेट्स है। जब आपने श्री श्रीराम गोटेवाला की कॉन्स्टीटुएन्सी में 3 रुपया पर-स्क्वायर फीट के कन्वर्शन चार्जेज कर दिये हैं कच्ची बस्तियों के लिए फिर कोटा में उन रेट्स को क्यों नहीं लागू करते ? मेरा निवेदन यह है रेवेन्यू मिनिस्टर से कि आप बड़े मजबूत मन्त्री माने जाते हैं तो आप क्यों नहीं सारे राजस्थान के लिए एक नीति अपनाते हैं ? जयपुर में माननीय श्री श्रीराम गोटेवाला प्रेशराइज कराके करा लेते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, देश में क्या कन्वर्शन की रेट्स हैं यह हम जानते हैं और रेजीडेन्शियल और कार्मशियल परपजेज के लिए क्या हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बगल में बैठकर मुक्का मार रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य के पास हैं तो मुझे दे दें, मैं उसको देखना चाहूंगा। मजबूत मिनिस्टर हैं और पक्षपात करते हैं यह आरोप बहुत गलत लगाया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कमजोर हैं क्या ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मजबूत होते हैं वही पक्षपात कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में यह बात अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार की है कि कोटा में कन्वर्शन रेट्स राजस्थान के बाहर शहरों के कन्वर्शन रेट्स जो जारी हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा हैं। यह बात भी सही है कि जयपुर में जो रेट्स 9 नवम्बर, 1971 में निर्धारित की गई थीं, नवम्बर, 1973 में संशोधन करके रेट्स को कम किया गया है लेकिन यह सही नहीं है कि जयपुर से किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य के एरिया के अन्दर 4 रुपये की रेट्स ली जा रही है। यह बात सही नहीं है, निराधार है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : कच्ची बस्तियों की है, आबादी की नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें कमजोर वर्ग के आदमी हैं जिनकी आमदनी 200 रुपये तक की है और उनको अपने आप ही एडवान्टेज मिल जाता है। अगर वह कन्वर्शन होकर 3 रुपये बन गया है तो उसको पाने के लिए आप भी एलीजीबल हैं और वह भी एलीजीबल हैं जिनकी आमदनी 200 रुपये तक की है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है जैसा आपने कहा कि चार जोन हैं तो वह गांव के नाम हैं। चार जोन बनाने का मतलब यह है कि अगर सर्वे शुरू हो गया है और नोटीफिकेशन निकल गया है तो वह म्युनिसिपल एरिया की परिभाषा में समझा जावेगा। इसलिए आप कन्वर्शन के क्लाज 2 (ई) को पढ़ लीजिए कि म्युनिसिपल एरिया क्या है :—

" 'Municipal Area' means any local area for which a Municipal Council or Municipal Board is constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 1959, or in respect of which a civil survey or preparation of master plan has been ordered."

आपके यहां आर्डर हो गया था और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 1973 तक कोटा का मास्टर प्लान बन गया था और एज ए टाउन प्लानिंग मिनिस्टर मैंने उसको एप्रूव किया था। केवल गवर्नमेन्ट के पास कुछ आब्जेक्शन्स जाने थे क्योंकि सर्वे शुरू हो गया था। इसलिए जहां सर्वे शुरू हो गया वह म्युनिसिपल एरिया में आता है।

अब प्रश्न यह आता है कि रेट्स ज्यादा हैं कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में इन्हीं मा. सदस्य ने इसी साल 23 जनवरी, 1976

(श्री परसराम मदेरणा)

को एक प्रश्न पूछा था और उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कच्ची बस्तियों के संबंध में कि कन्वर्शन चार्जेज नहीं लिये जायेंगे और बिना कन्वर्शन चार्जेज लिये हुए चाहे वह कृषि की भूमि हो तो भी कन्वर्शन कर दिया जायेगा। इस प्रकार का जो आश्वासन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया था वह अभी तक विधान सभा सचिवालय से नहीं गया है और कम्युनिकेट नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करायें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने प्रोसीडिंग्स असेम्बली की अभी पढ़ी हैं। मुख्य मंत्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया था। परसों ही मैंने इसी तरह के प्रश्न को एडज्योर्न कराया था। वह आश्वासन अभी तक कम्युनिकेट क्यों नहीं हो रहा है ? मैं जल्दी ही इस आश्वासन को राज्य सरकार के आदेश के रूप में प्रसारित करा रहा हूं उससे आपकी कच्ची बस्तियों की समस्या का समाधान हो जायेगा।

अब सरकार के द्वारा 12 शहरों के अलावा राजस्थान में जितने भी म्युनिसिपल टाउन्स हैं इन सभी म्युनिसिपल टाउन्स की रेट्स कलेक्टर से मंगाकर जांच करा लेता हूं। जांच कराने के बाद में जब मंत्रि-मण्डल का ज्ञापन बना उस समय मुख्य मंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि इस पर दुबारा विचार करें। तो मैं उसकी जांच कर रहा हूं। इसलिए जांच कर रहा हूं कि कोटा के कलेक्टर ने 1973 में चिट्ठी लिखी है कि रेटस ज्यादा हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यू.आई.टी. का भी रिज्येल्यूशन है।

श्री परसराम मदेरणा : आप पढ़े नहीं। आपका कम्पेरेटिव चार्ट है मेरे पास पहले जोन ए में 50 से 40 रुपये रेट्स थी, जोन सी में 32 रुपये और जोन डी में 15 रुपये थी। अब प्रपोज्ड रेट्स ए में 20 रुपया, सी में 15 रुपया और डी जोन में 10 रुपया है। तो यह रेट्स आधे से कम कर दी गई हैं। यह निर्णय लेने के बाद मंत्रि-मण्डल के सामने रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : कुछ बाकी रह गया है क्या ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मुझे और हाउस को अपनी हमदर्दी से प्रभावित तो कर दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शहर में चम्बल की रेवाइन्स भी हैं। आपसे निवेदन है कि आप उसका सर्वे करायें। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कम से कम 50 हजार आदमी उन रेवाइन्स में रहते हैं उनके कन्वर्शन का तो एक पैसा भी नहीं लगना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपने 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति की मीटिंग में यह प्रश्न उठाया था और श्री देवपुरा जी, जो

(श्री परसराम मदेरणा)

कि प्रभारी मंत्री हैं, को चिट्ठी लिखी थी। उस पर उन्होंने लम्बा चौड़ा नोट लगाकर मेरे पास जून में भेजा था। उसमें आपने सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सभी बातें और रेवाइज्स का जिक्र कर दिया था। मैं उसको देख लूंगा।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मानकर चलते हैं कि जैसा मंत्री महोदय ने कहा वह इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे निश्चित रूप से कच्ची बस्तियों के लोग गरीब हैं और साधारण नौकरी करने वाले हैं वह भी इस समस्या से परेशान हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में सिंचाई मंत्री श्री देवपुरा जी ने इस बात पर काफी जोर डाला है इसलिए मंत्री महोदय निश्चित रूप से समस्या को जल्दी ही हल करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मैसर्स श्री बनवारीलाल एवं श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मेसर्स में एक कम्पनी तो फेल हो गई।

राज्य में योन विक्षत प्राणियों का सर्वेक्षण,

94. क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने इस तथ्य का सर्वेक्षण कराया है कि प्रदेश में कुल कितने प्राणि योन विक्षत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे प्राणि अपने जीवन यापन के लिये नाच गाने कर अपना पालन पोषण करते हैं ?

(3) राज्य सरकार को उनको समुचित रूप से बसाने की क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बनवारी लाल) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी कि ऐसा एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में उनकी क्या डिमांड थी, मैं यह जानना चाहता था। 'प्रश्न नहीं उठता' यह बात तो आपने कह दी है परन्तु आप कुछ शुरू भी कर रहे हैं? कल आपकी भी यही स्थिति हो जाने वाली है।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य इस विषय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वे अपनी तरफ से इस संबंध में कोई सुझाव रखें तो उसके अनुसार उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। यह समस्या तो जल, थल, नभ में है, जिसके लिए कोई व्यवस्था संभव नहीं है। फिर भी आप कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार करेंगे।

श्री करणसिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा एक अखिल भारतीय सम्मेलन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था। वे अपने सम्मेलन का उद्घाटन मंत्री महोदय से कराना चाहते थे····

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह आपके लिए गौरव की बात है।

श्री करण सिंह : परन्तु, अध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री उनके सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। श्री गोटेवाला जी से भी कहा छंगाणी साहब इसके गवाह हैं। उन्होंने यह कहा था कि मुझे समय नहीं है इसलिए आप गोटेवालाजी को ले जाइये परन्तु गोटेवालाजी ने जाने से मना कर दिया। माननीय सदस्य यहां पर उनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछ कर उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सम्मेलन का उद्घाटन करने में असमर्थता प्रकट करते हैं।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि माननीय सदस्य भी इसमें शिरकत रखते हैं। आपका कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

चित्तौड़गढ़ जिले में अध्यापकों के स्थानान्तरण

95. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के द्वारा मई 76 से सितम्बर 76 तक कुल कितने स्थानान्तरण किये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्थानान्तरण 2 वर्ष का कार्यकाल एक स्थान पर होने के बाद हुए?

(3) इतने अधिक स्थानान्तरण की सूचियां निकालने का क्या उद्देश्य था? क्या अध्यापकों को परेशान करना ही इसका एक मात्र उद्देश्य था?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी): (1) कुल 261 स्थानान्तरण किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें से केवल 17 स्थानान्तरण दो वर्ष की कम की अवधि के हैं।

(3) ये स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से अथवा पारस्परिक अथवा अध्यापक की स्वेच्छा से किये गये थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में भेजी गई)

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो स्थानान्तरण हुए इनमें से कितने व्यक्तियों की पत्नियां राज्य सेवा में थीं? क्या राज्य सरकार का यह नियम नहीं है कि पति और पत्नी को एक ही स्थान पर रखा जावे?

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नियम तो नहीं है कि पति और पत्नी को एक साथ रखा जावे परन्तु कोशिश उनको एक साथ रखने की करते हैं। परन्तु परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इस नियम को तोड़ना पड़ा। पंजाब राज्य सरकार ने ऐसा नियम बनाया था और आखिर में उसे इस नियम को तोड़ना पड़ा। हम चाहते हैं कि पति और पत्नी एक ही स्थान पर रहें परन्तु कई जगहों पर पोस्टें नहीं होतीं। हर जगह पर पोस्ट होना संभव नहीं

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
है। फिर भी हम उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनमें से केवल 17 स्थानान्तरण दो वर्ष से कम अवधि वालों के हुए हैं। बाकी जो स्थानान्तरण हुए हैं वे केवल मात्र शिक्षकों को परेशान करने के लिए किये गये हैं। आज शिक्षकों को रूरल-एरियाज में रहने के लिए मकान नहीं मिलता है। उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वे अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। वे अपने परिवार के साथ रह सकें इसके लिए कोई नियम इस प्रकार का बनाया जाये। केवल मात्र एक गरीब अध्यापक को परेशान करने के उद्देश्य से स्थानान्तरण किया जाये तो बात अलग है। इस प्रकार का प्रावधान नियमों में अवश्य होना चाहिए कि गरीब अध्यापक अपने परिवार के साथ रह सके।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस ग्रेड के अध्यापक आपने ट्रान्सफर किये हैं और इन्टर डिस्ट्रिक्ट कितने किये हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह प्रश्न केवल चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में है। इसमें से 93 द्वितीय श्रेणी के, 168 तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं और 17 स्थानान्तरण ऐसे अध्यापकों के किये गये हैं जिनको दो वर्ष से कम हुए थे। इसमें से 12 प्रशासनिक कारणों से और शेष आपसी अथवा अध्यापकों की स्वेच्छा से किये गये हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोई ऐसे कारण हों कि इन्सपेक्टर ने जानबूझ कर किसी को हैरेस करने के लिए किसी अध्यापक का ट्रान्सफर किया है तो ऐसे केसेज, माननीय सदस्य, जब भी आते हैं वे ट्रान्सफर के लिए आते हैं और मैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करता हूं। ऐसा कोई अन्याय हुआ हो, इन्सपेक्टर के जरिए जिससे अध्यापकों को तकलीफ उठानी पड़ी हो तो मुझे बता दें। वैसे रूरल एरियाज में तो अध्यापकों को जाना पड़ेगा। सारा राजस्थान ही रूरल एरियाज में बसा हुआ है। जैसलमेर फलोदी, पोकरण के स्कूल खाली पड़े रहते हैं और इस प्रकार बांसवाड़ा और उदयपुर के आदिवासी स्कूलों में मास्टर जाना नहीं चाहते हैं। हम किस तरह से व्यवस्था करें। सभी को शहर के इर्द गिर्द तो रखा ही नहीं जा सकता और यह संभव भी नहीं है। आज एजूकेशन का फैलाव हो रहा है और रूरल एरियाज में ही यह होगा। इसके अलावा किसी इन्सपेक्टर ने किसी अध्यापक के साथ अन्याय किया है, ईर्ष्या द्वेष से उसका ट्रान्सफर किया है तो मुझे बता दें। मैं जल्दी ही उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इन्टर डिस्ट्रिक्ट कितने ट्रान्सफर आपने किये हैं?

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बता देना चाहती हूं कि मैं टीचर कम्युनिटी को बिलांग करती हूं। टीचर कम्युनि

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
फिर चाहे वे प्राथमिक स्कूल के टीचर हों माध्यमिक स्कूलों के टीचर हों, कालेजों के टीचर हों। इसलिए उनके बारे में मुझे यहां पर बोलना पड़ेगा। उनकी जो परेशानियां हैं वे सदन में रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि उनकी जो समस्यायें हैं उन पर आप गौर करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी: अध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि अगर माननीय सदस्य यदि यह चाहें कि ट्रान्सफर बंद हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के ऊपर ही हो और वे इन्सपेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर के लेवल पर हो तो ही ट्रान्सफर हो। सभी माननीय सदस्य इसको मन्जूर करें। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इस तरह की व्यवस्था माननीय सदस्य चाहते हैं और जो इस सेक्शन को रिप्रेजेन्ट करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो तो मैं इस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि बाद में माननीय सदस्य किसी भी तरह से मुझे प्रेशराइज न करें।

श्री मीठालाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा, हालांकि यह प्रश्न चित्तौड़ गढ़ जिले से संबंधित है परन्तु जो जवाब उन्होंने दिया है उससे यह जनरल हो गया है। अध्यापकों के ट्रान्सफर सही व्यवस्था के अन्तर्गत होने चाहिये, यह हमें सोचना पड़ेगा। परन्तु इस सारे प्रश्न का मखौल बना दिया है। कोई न कोई समस्या ऐसी है जिसमें कि अधिकारी भी दोषी है। इसके अतिरिक्त आपके डिप्टी डाइरेक्टर या इन्सपेक्टर जो भी अध्यापकों का ट्रान्सफर करते हैं वह पैसा लेकर करते हैं। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें की गई हैं। जहां तक जयपुर जिले का सम्बन्ध है पैसे के आधार पर ही यहां ट्रान्सफर होते हैं। पैसे के आधार पर ही सीधा सौदा होता है। इस ढंग से ट्रान्सफर करने के लिये क्या आप यह व्यवस्था करना चाहते हैं?

श्री मोहन लाल छंगाणी: ऐसा कोई मामला मेरे पास नहीं आया है। अगर कोई ऐसा केस है तो मुझे बता दें....

श्री मीठा लाल मीणा: इसकी शिकायत हुई है।

श्री मोहन लाल छंगाणी: किस टीचर से लिया है? आप तो जनरल रिमार्क दे रहे हैं। स्पेसिफिक केस हो तो बता दिजिये मैं उसकी इसी समय इन्क्वायरी कराऊंगा....

श्री मीठालाल मीणा: जयपुर में शिक्षकों की नियुक्तियां और ट्रान्सफर के बारे में शिकायत हुई है और उस शिकायत की जांच भी हो गई है। उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि पैसा लेकर आदमियों को ट्रान्सफर किया गया है।

श्री मोहन लाल छंगाणी: ऐसी कोई शिकायत मेरे को नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आयेगी तो जांच होने के बाद तथ्य सही पाये गये तो एक्शन होगा। मैं कल का कल एक्शन लूंगा। आप मुझसे मिल लीजिये।

श्री मीठा लाल मीणा: मुझसे मिलने से पहले आप अपने अधिकारियों से मिल लें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री

(श्री परसराम मदेरणा)

करने के बाद भी अपनी अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। आपको अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। आप लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। कल भी आप इसी तरह की हरकत कर रहे थे।

श्री मोठा लाल मीणा : हरकत शब्द गलत कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब प्रश्न पूछ रहे थे, उनका प्रश्न समाप्त ही नहीं हुआ था कि मंत्री महोदय ने जवाब देना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

रायसिंहनगर के गुरुद्वारों को कृषि भूमि

96. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्व उपखंड रायसिंहनगर में कितने और कौन कौन से ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनके पास कृषि भूमि है? प्रत्येक के पास कितनी कितनी जमीन है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपखंड रायसिंहनगर के उप जिलाधीश ने गुरुद्वारों की भूमि का स्थायी वितरण कर देने के सशर्त आदेश दिये हैं कि यदि गुरुद्वारा अपनी भूमि रखना चाहे तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाये?

(3) क्या राजस्थान में किसी गैर सिक्ख धर्मस्थान को भूमि आवंटन के लिये इस तरह रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाने के लिए कभी मजबूर किया गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सिक्ख धर्म स्थानों को ऐसे आदेश क्यों दिये गये हैं? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) उपखंड रायसिंहनगर में अनूपगढ़ और रायसिंहनगर दो तहसीलें हैं। इन दोनों तहसीलों के गुरुद्वारों के पास जितनी जितनी भूमि है उनकी सूची संलग्न है।

(2) उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

(3) ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। अतः जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

श्री गुरदयालसिंह संधु : आपने कहा कि कोई ऐसा आदेश नहीं है लेकिन 25 मार्च, 1970 को इस सदन में यह घोषणा कर दी गई थी कि जितने भी गुरुद्वारों की भूमि है उन संस्थाओं को नियमित रूप से खातेदारी दे दी जायगी, लेकिन उनको न तो खातेदारी दी गई है और न उनको जमीन एलाट की गई है तो उसका क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): गंग कैनाल एलॉटमेंट नियमों में कहीं पर भी किसी भी धार्मिक संस्थान को भूमि आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिन गुरुद्वारों ने परमानेन्ट एलॉटमेंट करने की दरख्वास्तें दी हैं वह सभी मामले एस. डी. ओ. के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने अभी

Page No 16

(16)

(श्री परसराम मदेरणा)

उन पर कोई निर्णय नहीं लिया है, और निर्णय इसलिए नहीं लिया है कि इस प्रकार का प्रावधान नियमों में नहीं है। इस प्रकार का संशोधन जिसका जिक्र आपने किया है कि 1970 में इस सदन में इस प्रकार का आश्वासन दिया था और कोई संशोधन उसमें हुआ था तो एस. डी. ओ. के पास उसकी प्रतिलिपि नहीं है और एस. डी. ओ. ने गवर्नमेंट को रेफर किया है और वह गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : 25 मार्च, 1970 को इस सदन के अन्दर आश्वासन दिया गया था उस वक्त के मुख्य मंत्री माननीय सुखाड़ियाजी द्वारा उसके पर्चे बांटे गये थे जगह जगह, और मेरे गांव में इसके अनुसार खातेदारी मिल चुकी है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा सक्युंलर हर कलेक्टर और एस. डी. ओ. के पास पहुंच गया है, और जब पहुंच चुका है तो रायसिंहनगर के उन गुरुद्वारों को आज तक खातेदारी नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन सदन के प्रांगण पर दिया था उसकी अनुपालना में कोई राजाज्ञा प्रसारित हुई है कि नहीं हुई है इसकी मैं जानकारी कर लूंगा। आज ही प्रातःकाल मैंने रायसिंहनगर के एस. डी. ओ. से और कलेक्टर से बात की है। उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की राजाज्ञा अभी तक उनकी जानकारी में नहीं है। मैं जानकारी करने के बाद में आदेश दे दूंगा। इस प्रकार के आदेश अगर दिये गये हैं जैसा कि आपने कहा है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में उसी राजाज्ञा की अनुपालना में भूमि का आवंटन किया गया है तो रेलेवेन्ट आदेश प्राप्त करके उसकी प्रतिलिपि भिजवा दी जायगी। अगर इस प्रकार की राजाज्ञा नहीं है तो क्योंकि यह मामला गवर्नमेंट को रेफर किया गया है तो गवर्नमेंट उचित आदेश भी प्रसारित करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री अजीतसिंह !

टोंक शहर में जयपुर-कोटा सड़क के बाई पास की स्वीकृति

97. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक जिले में जयपुर–कोटा सड़क को चौड़ा करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) टोंक शहर में जयपुर–कोटा सड़क को बाहर से निकालने हेतु क्या कोई बाई पास का निर्माण होगा ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय होगी ? और क्या इसकी स्वीकृति हो गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) जयपुर–कोटा सड़क को चौड़ा करने के लिए प्लान में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। मरम्मत मद से इस सड़क पर कार्य किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। धनाभाव के कारण इस कार्य को प्रारम्भ करने में असमर्थता

श्री अजीतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक मोटी बात है कि टोंक और कोटा के बीच के अन्दर इतना भारी ट्रैफिक है और आप इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं ? यह मोटी सी बात भी आपकी समझ में नहीं आती है । वहां पर इतना बड़ा ट्रैफिक पास होता है और आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं । तीन–तीन मंत्री बदल गये हैं । आप विचार करेंगे कि इतना भारी ट्रैफिक वहां पर से गुजरता है और एक्सीडेन्ट होते हैं । दुनिया भर के आपके काम होते हैं । दूसरी सड़कें जब चौड़ी हो रही हैं तो इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाने में आपको क्या आपत्ति है ? मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिया जायगा ।

श्री विजयसिंह (मांडल) : चौड़ी होने के बाद मंत्रीजी बदल गये तो ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है, अध्यक्ष महोदय, कि कोटा और जयपुर के बीच में काफी ट्रैफिक रहता है इसलिए सड़क को चौड़ा करवाया जायगा । सड़क को चौड़ी करवाने के बाद बाई पास का विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जितने भी सब-डिविजनल हैड क्वार्टर्स हैं वे नेशनल हाई-वेज से कनेक्टेड हैं तो क्या कोटा की पोलिटिकल वायस को इतना कमजोर मानते हैं कि आप सड़क को चौड़ा करने के लिए भी पैसा देने को तैयार नहीं हैं ? दो–दो, तीन–तीन दिन तक एम. एल. ए. रास्ते में पड़ कर आते हैं बरसात के मौसम में और आप कृपा करके चौड़ा कराने के वास्ते पैसा नहीं निकाल सकते हैं । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं । कृपया इस पर ध्यान दें, हमारी मजबूरी पर ध्यान दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमारी गरीबी और बेबसी पर ध्यान दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर-कोटा सड़क को चौड़ा कराने की कार्यवाही चालू है और इस पर और धनराशि खर्च की जायेगी ।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : कोटा और जयपुर सड़क को आप चौड़ा करा रहे हैं तो क्या सरकार इसको नेशनल हाई वे में लेने का विचार रखती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार ने जयपुर-कोटा सड़क को नेशनल हाई वे में शामिल करने के लिए लिखा है भारत सरकार को । वह इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसकी प्रोग्रेस क्या है ? सरकार ने क्या कोशिश की है ? जरा यह तो बता दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : भारत सरकार की इस वक्त किसी भी सड़क को नेशनल हाई वे में शामिल करने की नीति नहीं है, लेकिन जब मौका आयेगा तो इस मामले को राज्य सरकार उपयुक्त समय पर रखेगी । जब राज बहादुरजी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थे उस समय इसको नेशनल हाई वे में शामिल कराने की कार्यवाही हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी सड़क को नेशनल हाई वे में शामिल नहीं करने की नीति अपना रखी है । इसलिए जब तक

(श्री रामनारायण चौधरी)
भारत सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती है तब तक नहीं करा सकते हैं।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 26

(4 अक्टूबर, 1976)

(प्रश्न के लिए कृपया 4 अक्टूबर, 1976 का कार्य विवरण देखें)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री गोटे वाला

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करीब करीब इसी सब्जेक्ट पर कॉल अटेन्शन मोशन भी लगा हुआ है आज की लिस्ट में तो यह सारा डुप्लिकेशन होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : इसका मैटर अलग है।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : यह गवर्नमेंट का हमारी सूचना को इवेड करने का आज तक तरीका रहा है। हम तो केवल सूचना चाहते हैं उसको आपको देने में क्या गुरेज है ?

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न एक ही है और समय काफी था तो और दूसरे प्रश्न हो जाते तो ठीक रहता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है और जो निवेदन किया गया था उस बारे में मंत्री महोदय को जानकारी देनी चाहिए। काल अटेन्शन में पर्टीक्यूलर बात नहीं आती है। मैंने पिन–पाइंट करके नियुक्ति के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस रोज सारी बात होकर जिस मुद्दे पर क्वेश्चन डेफर किया गया था उसको लिया जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, सारे के सारे मुद्दे जो उठाये गये हैं काल अटेन्शन मोशन में वह मि. लोकनाथन के इस्तिफे से सम्बन्धित हैं और मि. कौल के इस्तिफे से संबंधित है· ·

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर दे दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जहां से डेफर किया गया था वह एक्सपर्ट कमेटी के पैनल का मामला था तो एक्सपर्ट कमेटी के पैनल को मैंने देख लिया है। सारी चीज मुझे दिखा दी गई है। वह पैनल भी मैंने देख लिया है और पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उसको डिस्क्लोज करना मैं राइट नहीं समझता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या आपने देख लिया है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मेरा प्रश्न है कि आपने पैनल देख लिया है तो वह डाइरेक्टर का पैनल है या प्रोफेसर का पैनल है ? आप एक्ट देख लें। मुझे पता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह जो पैनल बनाया गया है दरअसल क्वेश्चन सारे का सारा उसी पर आधारित है कि क्या डाइरेक्टर की पोस्ट के लिए प्रोफेसर होना जरूरी है या पहले डाइरेक्टर को सलेक्ट किया जा सकता है ? उस पैनल के जरिये, यह बुनियादी प्रश्न है। इसमें एकेडेमिक कौन्सिल ने जो निर्णय लिया था और यू.जी.सी. की गाइड-लाइन्स को जो मन्जूर किया है उस हिसाब से यू. जी. सी. ने साफ

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तौर से लिखा था कि यह जो भी पोस्टें हों वह अच्छे रीडर की तरह डिसिप्लिन्ड पोस्टें हों चाहे वह पोलिटिकल साइन्स या किसी का हो। पहली बात दूसरा जो एकेडेमिक कौन्सिल ने रिजोल्यूशन किया है कि इकबाल नारायण कमेटी बनी थी उसने यह बताया था कि फुल टाइम पोस्ट डाइरेक्टर की होनी चाहिए और वह डाइरेक्टर प्रोफेसर होना चाहिए। यह इकबाल नारायण कमेटी का निर्णय था और उस निर्णय को एकेडेमिक कौन्सिल ने माना। अब इस पर एडवर्टाइज-मेंट निकाला गया तो उस एडवर्टाइजमेंट में यह लिखा था कि हिस्ट्री, पोलिटिकल साइन्स और इकानामिक्स के प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन हैं वह होनी चाहिये और उसका चयन डाइरेक्टर के लिए किया जायगा। अब सवाल यह उठता है कि आप पहले प्रोफेसर का चयन करिये और उसके बाद उसको डाइरेक्टर आफ कारस्पोन्डेन्स कोर्स बनाया जाय या प्रोफेसर का चयन करने से पहले ही डाइरेक्टली हम चयन कर सकते हैं डाइरेक्टर का जो भी एलिजिबल प्रोफेसर हो उनमें से·····

श्री अध्यक्ष : थोड़े में जवाब दें। आगे डिस्कशन है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो बार इसका जवाब देंगे उससे क्या फायदा ? इससे अच्छा तो यह है कि जो इम्पार्टेन्ट सवाल है उनको ले लिया जाय। मेरे इलाके से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : तो यह निर्णय लिया गया कि डाइरेक्टर की पोस्ट के लिए एक स्पेसिफिक और स्पेशली कान्सटीट्यूट की जाय एक्सपर्ट कमेटी जिसमें एक हिस्ट्री का एक्सपर्ट था, एक पोलिटिकल साइन्स का था और दो तीन आदमियों ने मिलकर चयन किया। उसमें जो एप्लीकेन्ट्स आये थे वो उसमें तीन आदमियों ने एप्लीकेशन्स दीं और एक एलिजिबल नहीं था और दो एलिजिबल थे और दोनों का इन्टरव्यू दिल्ली में हुआ और उनमें से एक सलेक्ट किया गया जिसका नाम हरगोविन्द पन्त है। वह एलिजिबल थे और उनको सलेक्ट कर लिया गया और उनको प्रोफेसर के ग्रेड में डाई-रेक्टर आफ कारस्पोन्डेन्स कोर्स बनाया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है। मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि इनको डाइरेक्टर सलेक्ट किया है और प्रोफेसर नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन यह है, वह कहते हे कि डायरेक्टर नहीं प्रोफेसर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री, पोलिटिकल साईंस और इकानामिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स के हैं। वह प्रोफेसर सलेक्ट करते हैं। यह मानने का सवाल है कि यह गलत तरीके से प्रोफेसर लिखते हैं। He is totally out of University. बिना सलेक्ट किये ही आप चाहें तो मैं वह लैटर पढ़ता हूं। जिसमें सिण्डीकेट ने प्रोसीडिंग को लिखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि वाइस चांसलर का जो पत्र लोकनाथन

Page No 20

(20)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को गया है, उसमें क्लियोयर्ली यह कहा है कि प्रोफेसर का सलेक्शन किया है। क्या यह सही है कि प्रोफेसर लोकनाथन और राजकिशन जी ने यह माना है कि डाइरेक्टर हैं। तो क्या यह सही है कि एक्ट के मुताबिक प्रोफेसर के लिए जो कमेटी बनी– "Three experts not connected with the University concerned, having special knowledge in the subject in which a Professor is to be appointed."

यानि ये तीनों जो अलग अलग सब्जेक्ट के ले लिये हैं। अदर प्रोफेशन के करना है तो अलग नहीं बुला सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स के लोगों को लेना है उन्ही सब्जेक्ट्स के होंने चाहिये। मेरा यह कहना है और वाइस चांसलर का कहना है कि प्रोफेसर का सलेक्शन हुआ है। इसलिए जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर होने चाहिए, कमेटी में वह नहीं हैं। इसलिए यह सलेक्शन एब्नीशियो वाइड है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : एकेडेमिक कौंसिल तो प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए है। यह सीधे डाइरेक्टर है। यह तो एवीजिविल होने की बात है। सलेक्ट होने की गलत बात है। डा. रामकिशन ने लैटर में स्पष्ट लिखा है। वाइस चांसलर ने जो कहा है, आप उससे कन्वींस हो जाते हैं! वह डाइरेक्टर सलेक्ट हो गये। वह लिखते हैं डाइरेक्टर नहीं प्रोफेसर। इस बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी वह क्या प्रोफेसर के लिए थी या डाइरेक्टर के लिए थी ? अगर डाइरेक्टर के लिये थी तो फिर प्रोफेसर के लिए कैसे एक्टरटेन किया गया है ? क्योंकि प्रोफेसर का सलेक्शन होता तो प्रोफेसर की पोस्ट का एडवर्टाइजमेन्ट होना चाहिये था। अगर प्रोफेसर की नहीं की गई थी तो फिर डाइरेक्टर की पोस्ट के लिए ऐसे आदमी को जो प्रोफेसर नहीं था, एप्लीकेशन कैसे ली गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जवाब तो आ जाए।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। प्रो. लोकनाथन ने इस्तीफा क्यों दिया है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक एक का जवाब देने में सुविधा रहेगी। प्रोफेसर लोकनाथन ने तीन मुद्दे उठाये थे–(i) What the Academic Council did in the matter, (ii) What the advertisement for the post actually says, and (iii) regarding constitution....

श्री अध्यक्ष : जो डाकूमेंट आप पेश कर रहे हैं, उसकी कापी आप को रखनी है। you will have to put a copy of the letter if you read it.

श्री मोहनलाल छंगाणी : नेचुरली। मैं निश्चित रूप से...

श्री अध्यक्ष जो डाकूमेण्ट रेफर करें।

श्री मोहन लाल छंगाणी : एकेडेमिक कौंसिल का रिजोल्यूशन था –

"That the Director of Institute of Correspondence Studies......"

उसमें दो स्टेजेज जो वी. सी. पाण्डे ने एडाप्ट कर लीं। यू. जी. सी. और उसके तहत कारस्पोण्डेंस कोर्स शुरू हुआ है। उसका इतना ही था–

It will be based in some teaching discipline.

यह उसमें मेंशन था। इसके बाद इकबाल नारायण कमेटी बैठी थी। उसमें था –

"Director of the Institute of Correspondence Studies should be a Professor assisted in its planning and policy making by four teachers of the rank of Readers. All these posts should be University department based, financed from the funds of the Institute and should be inter-changeable"

यह इकबाल नारायण कमेटी की रिपोर्ट थी। जैसा कि एकेडेमिक कौंसिल ने एडाप्ट किया है इससे पहले पोस्ट डाइरेक्टर की एडवर्टाइज हुई है। उसके कई दिन बाद इकबाल नारायण कमेटी का मुद्दा आया था। प्रो. लोकनाथन का कहना था जब कि यह प्रोफेसर की पोस्ट है तो सबसे पहले प्रोफेसर ही सलेक्ट होना चाहिए –

"He must be selected as Professor and after selection as Professor he becomes eligible for becoming the Director of the Institute."

इसका मतलब है, यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उनके अनुसार डबल सलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए यह उनकी पोस्ट के लिए अलग से पैनल बनाकर हो जाता। इकानामिक्स, पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के आदमी उसके अन्दर लिये गये। जब एडवर्टाइजमेण्ट निकला तो हमने उसमें लिखा था कि प्रोफेसर की ग्रेड का आदमी होना चाहिए –

"Director of Correspondence Courses in the grade of Professor."

यह एडवर्टाइजमेण्ट में नहीं निकाला। लेकिन उसका कॉरीजेण्डम निकाला गया था। 29 तारीख को निकाल दिया गया था। पहले एडवर्टाइजमेन्ट में प्रोफेसर की ग्रेड नहीं दी गई थी। 29 अप्रेल को यह निकाल दिया गया है। तीन आदमियों में दो एलीजिबिल थे। एक को सलेक्ट किया गया।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उनको इस समय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानती है या डायरेक्टर ? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानती है क्या ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वी. सी. ने सिर्फ लोकनाथन को लिखा है कि...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने यह सवाल किया कि नहीं कि वह डाइरेक्टर बन रहे हैं ? वह कुछ भी बन रहे होंगे लेकिन यूनिवर्सिटी आज उनको क्या मानती है ? इसका जवाब क्या है ?

(22)

श्री मोहनलाल छंगाणी : यूनिवर्सिटी इनको प्रोफेसर मानती है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप भी मानते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो विज्ञापन दिया गया है, वह मैं आपको पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : अभी काल अटेन्शन मोशन भी आ रहा है, जो बात रह गई है, वह बाद में पूछ लीजिये। फिर भी आप पूछ सकते हैं।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उस समय आप पूछ सकते हैं। फिर आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, अभी जो माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है····

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल तो मैं आगे बढ़ा नहीं सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रोफेसर की ग्रेड देने के लिये कहा गया। 15 जुलाई को हिन्दुस्तान टाइम्स में जो विज्ञापन निकला है वह मैं पढ़कर सुना रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों के कहने से बिल्कुल गलत जानकारी सदन को दी है, इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है, मेरे इलाके का है, मेरे इलाके से सम्बन्ध रखता है और बड़ा इम्पार्टेन्ट है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

····यह कितना इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : जितने प्रश्न बाकी रह गये हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं ? मैं किसी प्रश्न को कम महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं, लेकिन समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अभी आपको और मौका मिलेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करता हूं। 15 जुलाई, 1976 को हिन्दुस्तान टाइम्स में डाइरेक्टर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेण्ट निकला है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि यूनिवर्सिटी के मामले को आप अपने हाथ में ले लीजिये और कृपा करके सारे कागजात आप देखकर फैसला कर दीजिये। माननीय मंत्री महोदय ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों के कहने से सदन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को गलत जानकारी दी है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, 12 जुलाई को उन्होंने वक्तव्य दिया है कि हम नये वेतनमान दे रहे हैं इसलिए तीनों यूनिवर्सिटीज में सलेक्शन रोक दिया जाये। 26 जुलाई को बैठक होती है और 28 जुलाई को दिल्ली में सलेक्शन कर दिया गया। प्रोफेसर कमल को इन्टरव्यू में नहीं बुलाया गया। 26 जुलाई लास्ट डेट रखी गई और 28 जुलाई को दिल्ली में सलेक्शन कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सब जानबूझ कर और सरकार को धोखा देने के लिए आनन्दमार्गी को, जिसने गुजरात में सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की, उन हरगोविन्द को दिये अध्यक्ष महोदय, मैं फोटो भी पेश करता हूं। आनन्दमार्गी पाण्डेजी ने सारी नेशनल पॉलिसीज के खिलाफ यूनिवर्सिटी को एक अड्डा बनाया हुआ है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के कहने से सदन को जो गलत जानकारी दी है उसके बारे में जांच कराई जाय। मंत्री महोदय यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता की बात करते हैं, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जब जोधपुर यूनिवर्सिटी के मामले में जांच हो सकती है तो यह सदन जनता का प्रतिनिधि है, और सर्वोपरि है, इस सदन को अधिकार है कि अगर कोई भी गलत जानकारी दे या कोई गलत बात कहे, मेलाफाइड इन्टेशन से कोई बात की जाय तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारे कागजात यहां पर पेश करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : (शिक्षा मंत्रीजी की ओर संकेत करते हुए) माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कोरिजेन्डम नहीं दिया गया है। या तो आप इस्तीफा दे दें या मैं दे सकता हूं।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। उन्होंने चैलेन्ज किया है, इसके बारे में माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 17–4–76 को पहला एडवर्टाइजमेन्ट निकला है–– इण्डियन एक्सप्रेस और हिन्दुस्तान टाइम्स में––जिसमें यह लिखा था––"Director's post is in the Professor's grade" पर हो उस समय प्रोफेसर ग्रेड लिखना भूल गये हैं, उसके बाद कोरिजेन्डम 26 को भेजा गया है जो 29–4–76 को निकला है जिसमें यह स्पेसिफाई किया है कि····

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो है, लेकिन 15–7–76 के बाद में कोई हो तो आप बताइये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि···

श्री अध्यक्ष : बीच बीच में नहीं, पहले उनको बोलने दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह अभी मेरे पास नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वह इस संसार में ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह सब ब्लेक मेल हो रहा है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्य के एक साथ खड़े होने पर)– श्री जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है और माननीय सदस्य श्री गोटेवालाजी ने उसको चैलेन्ज किया है, उसके बाद मन्त्री जी को आपने आदेश दिया कि स्टेटमेन्ट को चैलेन्ज किया गया है इस लिए जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं। उन्होंने इस बारे में अपना स्टेटमेन्ट बाद में देने के लिए कहा है, क्योंकि इस सम्बन्ध में तत्काल जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है·····

श्री अध्यक्ष : इस वक्त जानकारी नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : इसलिए आप अपने स्तर के ऊपर सारा रिकार्ड मंगालें चूंकि सदस्यों के अन्दर गम्भीर असन्तोष है इसलिए इसके सम्बन्ध में जांच के लिए सदन के सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह मेरे पर छोड़ दीजिये। दूसरी बात कमेटी नियुक्त करने की है, सदन चाहे तो कमेटी बना सकता है।

एक माननीय सदस्य : सदन चाहता है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री ओंकारलाल चौहान : सदन तो चाहता है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, सदन को कुछ भ्रान्तियां है जिनका निराकरण होना बाकी है। माननीय मन्त्री महोदय यदि दो-तीन मुद्दों का जवाब दे दें तो काफी समाधान हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सदन की समिति बनाने की बात है, No interruption.

(व्यवधान)

House is seized of the matter, कमेटी बननी चाहिए।

श्री मोहन लाल छंगाणी : जो भी जांच, अध्यक्ष महोदय, आप करवाना चाहें, निश्चित तौर से करवाई जाएगी।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : Not by the Government.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन की समिति नियुक्त की जाए।

श्री फूलचन्द जैन : मंत्रीजी का कहना है कि···

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें तो समझ में भी आए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो भी जांच करवानी होती है तो चांसलर को लिखना पड़ता है, वह जांच करवाता है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह सदन आपके वाइस चांसलर से सुप्रीम है।

श्री फूलचन्द जैन : एक तरफ तो मंत्रीजी ने कहा कि सरकार जांच कराएगी, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस संबंध में काम्पलीकेशन्स हैं, जैसे आपने बताया कि विश्वविद्यालय की अलग स्थिति है। मैं समझता हूं, सारी स्थिति में उलझने के बजाय, यह सदन सुप्रीम है, सदन को ऐसी चीज को देखने का अधिकार है इसलिए सदन को तवज्जह देनी चाहिए वरना आप कैटेगोरिकली कहें कि जांच करवाकर रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को देंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आया यह सही है या नहीं कि विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियां होती हैं, या कन्फर्मेशन्स होते हैं, उनका प्रोसीजर यूनिवर्सिटी एक्ट व नियमों में निर्धारित है? क्या ये मामले सिंडीकेट के सामने रखे जाते हैं और सिंडीकेट एप्रूव करती है? क्या यह सही नहीं है कि इन सारी नियुक्तियों को including the appointment of श्री पंत, सिंडीकेट के सामने रखा गया था कन्फर्मेशन के लिए? उसमें लोकनाथन मौजूद था और उन्होंने इस नियुक्ति के बारे में कोई एतराज नहीं किया, नोट आफ डिसेंट नहीं दिया और सिंडीकेट ने इन नियुक्तियों को कन्फर्म कर दिया और उसके बाद विधान सभा ने जो भी विश्वविद्यालय नियम बनाए हैं या अधिनियम बनाया है, उनके तहत नियमों में कोई प्रावधान है कि उन नियुक्तियों को चैलेंज किया जा सकता है? अगर नहीं तो सारी डिबेट···

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत माननीय सदस्यों ने जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में प्रश्न उठाया, उसकी भी चांसलर ही जांच करवायेंगे। हम निश्चित तौर से इस केस की जांच करवायेंगे। मैं चांसलर को लिखूंगा वह सारे तथ्यों की जांच करवायेंगे, जिसकी रिपोर्ट मैं सदन में पेश कर दूंगा।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब नेता महोदय को सुनिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है, यूनिवर्सिटी को कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करना चाहते हैं जब कि इस सदन व संविधान ने उनको कानून बनाकर उसके तहत चलने के लिए अधिकार दिया है। आज एक पक्ष एक बात सोचता है, दूसरा पक्ष दूसरी बात सोच सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक दुर्भाग्य रहा है। शुरू से यहां पर कुछ टीचर्स के अंदर ग्रुप्स रहे हैं और इन लोगों ने मिलकर कभी भी

(श्री हरिदेव जोशी)

विश्वविद्यालय को ठीक तरह से चलने नहीं दिया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से, जब से डा. मोहनसिंह मेहता वाइस चांसलर थे, तब से देख रहा हूं कि एमीनेन्ट साइंटिस्ट आर. डी. भटनागर, उनको भी इन लोगों ने टिकने नहीं दिया और इस्तीफा देकर जाने के लिए मजबूर किया।

इन स्थितियों में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हमको पार्टी नहीं बनाना चाहिए। एक चीज को समझने की कोशिश की जाए। जो लोग, अध्यक्ष महोदय, कल किसी को सलेक्ट करके आते हैं -उनकी इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी व इन्टेग्रिटी देखकर, और कल बाहर आकर कहते हैं कि हमने गलत किया है। आज अमुक कमेटी में बैठकर सलेक्ट करते हैं और 4 दिन के बाद बाहर आकर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। क्यों गलती की ? क्या अनपढ थे ? किसी के प्रभाव में आकर किया ? अगर वह गलती थी तो सबसे पहले सजा उनको मिलनी चाहिए जिसने इस प्रकार की बेईमानी की है। I tell you it is intellectual dishonesty। जो इन्टेलेक्चुअली डिस-आनेस्ट हैं वे लोग ऐसी बातें करते हैं और इसलिए गवर्नमेंट समझती है, किन्हीं लोगों के कहने में नहीं बहना चाहती। आज मैं कई बातें सुनता हूं अमुक आदमी प्रोग्रेसिव है, अमुक आदमी रीएक्शनरी है, अमुक सी. आई. ए. का एजेंट है, अमुक हमारी विदेश नीति का विरोधी है। मैं इस विवाद में न जाकर एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट....

श्री अध्यक्ष : इस बीच में मैं एक बात पूछ लूं। इस प्रश्न के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी डिस्पोज्ड आफ समझा जाए ?

कई माननीय सदस्य : नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी एब्डीकेट नहीं कर सकती। मगर सरकार इस बात से कन्विन्स हो जायगी कि ग्रोस इरेंग्यूलेरिटीज हो गई हैं तो Government has a right under the Act to institute an enquiry. वह चांसलर को रिकमन्ड करेगी और कहेगी कि इस प्रकार की एन्क्वायरी की जानी चाहिये। जिस दिन मैं कन्विन्स हो जाऊंगा मैं कहता हूं एज चीफ मिनिस्टर कि जिस दिन मैं कन्विन्स हो जाऊंगा कि ग्रोस इन-जस्टिस हुआ है तो यह गवर्नमेंट निश्चित रूप से एनक्वायरी करवाने के लिए कदम उठाएगी। मगर गवर्नमेन्ट को कन्विन्स होने के लिए समय होना चाहिये और जैसे शिक्षा मंत्रीजी ने कहा हम देखेंगे अगर कहीं फेवरेटिज्म हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, पक्षपात हुआ है, तो हरगिज सरकार किसी को नहीं बख्शेगी और कितना ही एमीनेन्ट आदमी भी क्यों न हो, I tell yoy, he has to go.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We will convince you here.

श्री हरिदेव जोशी : He has to go मगर गवर्नमेंट को कन्विन्स तो करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

21. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक में कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक होगी ?

(2) क्या यह सही है कि मण्डी की स्थापना के लिये टोंक शहर में दो जगह पर उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध हैं जिनका प्लान भी मंजूर शुदा है ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी हेतु उक्त दोनों भू–खण्डों के आवंटन हेतु नगर परिषद और कृषि विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ? यदि हां, तो स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) टोंक में कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य की स्वीकृति मण्डी समिति के नवीन मण्डी यार्ड हेतु भूमि प्राप्त होने के पश्चात् सम्भव हो सकेगी।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति टोंक द्वारा नवीन मण्डी यार्ड हेतु तीन भू-खण्डों का चुनाव करके नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। सन् 1971 में नगर नियोजन विभाग द्वारा केवल एक भू-खण्ड जो कि कृषि विभाग के फार्म की भूमि थी नवीन मण्डी के निर्माण हेतु स्वीकृत किया था। परन्तु अब सन् 76 में उसके स्थान पर किले के मैदान की भूमि को स्वीकृत किया गया है।

(3) क्योंकि पूर्व में नगर नियोजन विभाग द्वारा कृषि फार्म की भूमि स्वीकृत की गई थी जिसका स्वामित्व निदेशक, कृषि विभाग के पास था, उसके हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई। निदेशक कृषि विभाग की सहमति उक्त भू–खण्ड को मण्डी समिति को आवंटित करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व अब राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक के पक्ष में भूमि आवंटन के आदेश प्रसारित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है क्योंकि किले के मैदान की भूमि की स्वीकृति अभी कुछ समय पूर्व ही दी गई है और कृषि फार्म की भूमि के हस्तानान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है अतः किले के मैदान की भूमि हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में अभी किसी प्रकार की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकती है।

झुंझुनूं जिले की डेयरी विकास की योजना

22. श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले में डेयरी विकास कार्य के लिए योजना बनाई गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या नवलगढ़ के आस-पास के क्षेत्रों में भी इस योजना के अन्तर्गत दूध इकट्ठा किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम से कितना-कितना दूध इकट्ठा होता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(पशु-पालन मंत्री)

(2) नवलगढ़ के आस-पास के क्षेत्र से अभी दूध इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले के केवल झुंझुनूं तथा चिड़ावा तहसीलों में ही फिलहाल दुग्ध विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित की गई है।

भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति

23. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1961 में समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद समाप्त कर उन्हें शिक्षा विभाग में द्वितीय वेतन श्रृंखला में अध्यापक तथा शिक्षा प्रसार अधिकारी बनाया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर करने के लिए पहले केवल एक वर्ष (एक सत्र) का माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव पर्याप्त माना गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उस समय भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों के अलावा अन्य अध्यापकों की पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव आवश्यक था।

(4) क्या उपरोक्त छूट का लाभ देते हुए काफी भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों को एक वर्ष या एक सत्र के माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन अनुभव पर ही प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी गई थी।

(5) यदि हां, तो क्या बाकी बचे हुए भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों को भी इस छूट का लाभ दिया जाकर उनकी पदोन्नति एक वर्ष या एक सत्र के अध्यापन अनुभव प्राप्त करने पर कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) यह सही है। सन् 1961 में समाज शिक्षा संयोजकों (एस. ए. ओज) के पद समाप्त कर उन्हें शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों तथा शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किया गया था जो समाज शिक्षा संयोजक समाज शिक्षा में प्रशिक्षित और बी. ए. थे उन्हें प्रशिक्षित द्वितीय वेतन श्रृंखला दी गई थी और यह शर्त लगाई गई थी कि ये 5 वर्षों के भीतर-भीतर शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लें क्योंकि इसके बगैर ये पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

(2) जो भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारी स्नातक तथा शिक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त थे तथा जिन्हें एक वर्ष तथा उससे अधिक का माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त था उन्हें ही सन् 1968 में पहली बार उनकी द्वितीय वेतन श्रृंखला की वरिष्ठतानुसार पदोन्नति दी गई और माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर से निवेदन किया गया कि ये उनके लिये निर्धारित योग्यता में विशेष छूट देने की कृपा करें।

(3) 5 वर्ष का माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव सभी के लिये आवश्यक था। भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों के लिए जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है,

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल अजमेर से विशेष छूट प्राप्त की गई थी।

(4) हां। यह छूट माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर से विशेष अनुग्रह द्वारा प्राप्त कर ली गई थी।

(5) ऐसा मौका आने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से छूट लेने का प्रयत्न किया जायेगा।

कृषि क्षेत्र पालो की पदोन्नति

24. श्री करण सिंह (डीग): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि क्षेत्रपालों के लिए सेवा अधिनियम अभी तक नहीं बने हैं जिसके फलस्वरूप उनको आगे पदोन्नति देने में बाधा उत्पन्न हो रही है?

(2) क्या कृषि क्षेत्रपालों की सेवा अधिनियम के अभाव में पदोन्नतियां दे दी गई हैं? यदि हां, तो किस आधार पर दी गई हैं?

(3) क्या भू-संरक्षण क्षेत्रपालों को वरिष्ठता के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में नियुक्त किया जाता है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है?

(4) क्या क्षेत्र सहायकों को बगैर सेवा अधिनियमों के क्षेत्रपालों से भिन्न अनुपात में पदोन्नतियां दी जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सेवा नियम सरकार के विचाराधीन है। क्षेत्रपालों की पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती रही है।

(2) क्षेत्रपालों के सेवा नियम के अभाव में क्षेत्रपालों की पदोन्नति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाती है।

(3) सभी क्षेत्रपालों को एक जिले से दूसरे जिले में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्तियां/स्थानान्तरण नहीं किये जाते हैं। स्थानान्तरण/नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को आधार मानना व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(4) क्षेत्रपालों में से कृषि सहायक या कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर 8 प्रतिशत के हिसाब से पदोन्नति होती है तथा शेष स्थानों पर क्षेत्र सहायकों में से जो सब कृषि स्नातक होते हैं उनमें से वरिष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक ये पदोन्नति दी जाती है।

ग्राम नौंद के मृतक अध्यापक की पेन्शन का मामला

25. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मणसिंह, ग्राम नौंद, जिला अजमेर के स्कूल में शिक्षा विभाग के अध्यापक थे और उनका स्वर्गवास गत 21-2-73 को हो गया था?

Page No 30

(30)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) क्या राज्य सरकार ने किसी अध्यापक की मृत्यु के बाद उसकी धर्मपत्नी या अन्य आश्रितों को फैमिली पेन्शन देने का नियम बना रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक की विधवा श्रीमती केली देवी ने फैमिली पेन्शन के लिए राज्य सरकार को कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त अध्यापक की धर्मपत्नी को कोई राहत देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उनका स्वर्गवास दिनांक 22-11-73 को हुआ था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अध्यापक का पेन्शन का मामला निर्णित हो चुका है।

(4) जी हां। अध्यापक का पेन्शन का मामला निर्णीत हो चुका है। उनकी पत्नी को 120) रुपये प्रति माह पेन्शन तथा 2400) ग्रेचुएटी स्वीकृत हो चुकी है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरतगढ़ का छात्रावास

26. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरतगढ़ के पास पिछले कितने वर्षों से छात्रावास था ?

(2) चालू सत्र 1976-77 में इस छात्रावास में कितने विद्यार्थी हैं ?

(3) उक्त छात्रावास का संचालन विद्यालय के अधिकारी करते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति ? यदि इसका प्रबन्ध बाहरी व्यक्ति को दिया गया तो किस आधार पर दिया गया है और क्यों ?

(4) उक्त छात्रावास प्रबन्धकारिणी समिति की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) विद्यालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कोई छात्रावास नहीं है, एक निजी संस्था छात्रावास चला रही है।

(2) इस छात्रावास में वर्ष 76-77 में कोई छात्र नहीं रहा।

(3) उक्त छात्रावास का संचालन प्राईवेट संस्था करती है। विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है।

(4) प्रबन्ध-कारिणी समिति के बारे में विभाग को जानकारी नहीं है।

बाड़मेर जिले में रिक्त पद

27. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अन्तर्गत कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 31

(31)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा, के बारे में निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(क) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र ही चयनित व्यक्तियों का नियोजन कर दिया जावेगा।

(ख) माह अक्टूबर, 73 से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित समस्त श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने पर रोक है। रोक हटाये जाने पर ही रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(ग) माह जून, 1975 से निम्न पद ग्रामीण क्षेत्रों में भरे जाने के लिए भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है।

1) चिकित्सक,

2) महिला स्वास्थ्य दर्शिका,

3) प्रशाविका।

इनको शीघ्र ही भराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) प्रशिक्षित अराजपत्रित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जैतारण के डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही

28. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के जैतारण में कार्यरत डाक्टर श्री मधुसूदन भटनागर के विरुद्ध जांच का मामला विभागीय जांच आयुक्त को सौंपा गया था ?

(2) जांच के दरम्यान किन किन गवाहान के बयान लिये गये ? उन बयानों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जांच का क्या नतीजा रहा ? जांच आयुक्त के निर्णय की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1(118) कार्मिक (क–3)/73, दिनांक 21–10–75 के द्वारा यह मामला जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच को सौंपा गया था।

(2) अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच ने जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। (इससे अधिक सूचना इस स्टेज पर देना उपयुक्त नहीं है)।

(3) चूंकि जांच प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है–

नतीजे के बारे में बताने का प्रश्न नहीं उठता है। जांच आयुक्त के प्रतिवेदन की प्रति इस स्टेज (अवस्था) पर उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

डी.एम.आर.टी. के लिये पंजीबद्ध डाक्टर

29. श्री रणजीत सिंह (गोसियां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कौन-कौन से डाक्टर कब-कब से कहां-कहां पर डी.एम.आर.टी. के लिये पंजीबद्ध किये हुए हैं ?

(2) इनमें किस-किस डाक्टर का पंजीकरण सीधे ही राज्य सरकार द्वारा किया गया है और किन-किन का निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की सिफारिश पर किया गया है ?

(3) ऐसे पंजीकरण के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों से किस-किस प्रकार के नियम, प्रकिया प्रचलित है ? कृपया इन नियमों व प्रकिया की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्नलिखित डाक्टरों को डी. एम. आर. टी. के लिये पिछले तीन साल में पंजीबद्ध किया गया है:–

क्र.सं.	नाम	वर्ष	स्थान
(1)	डा. राधेश्याम मोदी	1974–75	एस. पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर।
(2)	डा. विनोद कुमार जैन	1974–75	एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर।
(3)	डा राजेन्द्रसिंह गहलोत	1974–75	–यथा–
(4)	डा. रामकिशोर चतुर्वेदी	1974–75	–यथा–
(5)	डा. रामचन्द्र जोशी	1974–75	एस. पी मेडिकल कालेज, बीकानेर
(6)	डा. आर. एन. गोयल	1975–76	–यथा–
(7)	डा. विजयकुमार राव	1975–76	एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर।

(2) सन् 1976–77 के लिए डी. एम. आर. टी. में किसी भी डाक्टर को पंजिबद्ध नहीं किया गया है।

सन् 1974–75 में निम्नलिखित डाक्टरों का निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, की सिफारिश के आधार पर डी. एम. आर. टी. के लिए पंजिबद्ध किया गया था:–

(1) डा. राधेश्याम मोदी

(2) डा. विनोदकुमार जैन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सन् 1975-76 में डा. विजय कुमार राव का पंजीकरण डी. एम. आर. टी. में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश के आधार पर किया गया था । सन् 1976-77 के लिए डी.एम.आर.टी. में किसी भी डाक्टर को पंजीबद्ध नहीं किया गया है तथा बाकी के डाक्टरों का पंजीकरण सीधे ही राज्य सरकार द्वारा किया गया था जिसके नाम निम्नलिखित हैं:-

सन् 1974-75

(1) डा. राजेन्द्र सिंह गहलोत

(2) डा. श्याम किशोर चतुर्वेदी

(3) डा. रामचन्द्र जोशी

सन् 1975-76

(1) डा. आर. एस. गोयल

(2) सन् 1976-77 के लिए डी. एम. आर. टी. में किसी भी डाक्टर को पंजीवद्ध नहीं किया गया है ।

सन् 1969 से जो नियम व प्रक्रिया प्रचलित है की प्रति संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखिये)

झाझड़ से गोल्याना व झाझड़ से परशुरामपुरा सड़क का कार्य

30. **श्री भंवरसिंह (नवलगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

झाझड़ से गोल्याना व झाझड़ से परशुरामपुरा की सड़क बनाने की योजना कब बनी एवम् अब तक इन सड़कों को नहीं बनाने का क्या कारण है ?

उत्तर

झाझड़ से परशुरामपुरा सड़क का भाग, नवलगढ़ से उदयपुरवाटी सड़क में आता है जिसकी स्वीकृति 19-1-1962 को हुई, इस सड़क का कार्य एलाइनमेंट में झगड़े के कारण बन्द था । अन्तिम एलाइनमेंट के बारे में मुख्य अभियन्ता के द्वारा दिनांक 19-8-76 को आदेश दे दिये हैं और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू है । भूमि अवाप्ति की कार्यवाही होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा । इस कार्य के लिये इस वर्ष बजट में 2 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

झाझड़ से गोल्याना सड़क केवल बसवा तक ही स्वीकृत है जिसकी लम्बाई 4.2 किलोमीटर है और इसमें से बसवा की ओर से 1.2 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है । बाकी की लम्बाई में एलाइनमेंट के झगड़े के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया और इसके लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
भूमि अवाप्ति की कार्यवाही होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इस कार्य के लिये बजट में 50,000) रुपये का प्रावधान रखा गया है।

टौंक जिले के निर्माण कार्यों के लिये आवंटित धनराशि

31. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टौंक जिले के लिये निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कितनी राशि अलॉट की गई है ?

(2) क्या टौंक के पास गोलेद घाट भिकरा सड़क के निर्माण हेतु बजट स्वीकृत हो गया ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या यह सही है कि टौंक जिले को बनास नदी दो भाग में बांटती है और टौंक शहर के पास दोनों भागों को मिलाने हेतु भिकरा सड़क का निर्माण हर साल होता है ? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य को मुस्तकिल तौर पर मेंटीनेन्स बजट में शामिल नहीं करने का क्या कारण है जबकि और जिलों में ऐसी ही व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1976–77 में योजना मद में सड़कों के लिये 2.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(2) वर्ष 1975–76 में इसके लिये 15,000) रुपये की स्वीकृति की गई थी।

(3) इसको मेन्टीनेन्स सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

खान भांकरी–कुण्डल सड़क का कार्य

32. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दौसा तहसील (जयपुर) में खान भांकरी से कुण्डल तक सड़क बनाने का कार्य किया गया ? यदि हां, तो कब और अब तक क्या-क्या कार्य किया गया ? व इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कराने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त सड़क के निर्माण कार्य पर कुल कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी ? तथा यह सड़क कब तक बन कर आवागमन के योग्य हो जावेगी ?

उत्तर

(1) खान भांकरी से कुण्डल तक सड़क का कार्य दिनांक 6–10–71 को स्पेशल एम्पलायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। इस पर 1971–72 में 36,507) रुपया व्यय किया गया। इस धनराशि से 3 कि. मी. में मिट्टी का कार्य व 1 किलोमीटर में पत्थर व रोड़ी एकत्रित की जा सकी। इसके बाद, इस योजना में बजट प्रावधान न होने के कारण कार्य बन्द रहा।

वर्ष 75–76 में इस सड़क को अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत 42,777) रुपये

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की धनराशि व्यय की गई। अकाल सहायता कार्यों के बन्द होने से कार्य बन्द कर दिया गया।

(2) मंडी के मास्टर प्लान में इस सड़क के लिए 6 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो अभी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं हो सका है।

(3) इस सड़क के निर्माण पर कुल 10 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ही इस सड़क को योजना में लिया जा सकेगा। धनाभाव के कारण निश्चित समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

चक एक, दो व तीन पी. के काश्तकारों को भूमि का आवंटन

33. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) चक 1 पी. 2 पी. पी. 3 में कितने ऐसे भूमिहीन काश्तकार हैं, जिन्हें भूमि का स्थाई आवंटन किया जा चुका है? सूची मय नाम व गांव वाइज दी जाय।

(2) क्या उनके नाम 1955 की निर्वाचन सूची में दर्ज हैं? यदि नहीं, तो उन्हें किस आधार पर भूमि का आवंटन किया गया?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) प्रत्येक आवंटी का नाम निर्वाचन सूची में अंकित है या नहीं इस बारे में क्रम सं. 1 में वर्णित सूची में अंकित कर दिया गया है। साथ ही यदि निर्वाचन सूची में नाम अंकित नहीं है तो किस आधार पर आवंटन किया गया यह भी प्रत्येक के सम्मुख अंकित कर दिया गया है। जिनमें निर्वाचन सूची और सबूत का आधार अंकित नहीं है, उनमें आवंटन राजस्व/उपनिवेशन तहसीलदारों से मजमा आम में तैयार किये गये परिचय-कम प्रमाण पत्र आवंटन के आधार हैं और आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रेगिस्तानी जिले के कृषकों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि

34. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के रेगिस्तानी एक फसली जिले के कृषक एवं पशुपालक हर वर्ष अकाल की चपेट में आते हैं और इसके कारण अनेक कीमती पशुओं का ह्रास होता है?

(2) यदि हां, तो क्या ऐसे पशुपालकों व कृषकों को राजस्थान नहर के क्षेत्र में कम से कम एक मुरब्बा भूमि देने का राज्य सरकार विचार रखती है?

(3) यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(2) नियमों में अकाल पीड़ित कृषक एवं पशुपालकों के लिये भूमि आवन्टन का अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिले के सरपंचों एवं प्रधानों पर बकाया राशि

35. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में किन-किन सरपंचों व प्रधानों में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(स्थगित किया गया)

श्री विजयनगर में भूमि का अलाटमेंट

36. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

उपनिवेशन क्षेत्र श्री विजयनगर में जनवरी 1976 के बाद भूमि के आज तक अस्थाई एलाटमेंट का परमानेन्ट एलाटमेंट किस किस व्यक्ति को किया गया? सायल (व्यक्ति) का नाम, पिता का नाम तथा 1956 की वोटर लिस्ट में वे किस गांव के थे वह विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन तहसील क्षेत्र श्री विजयनगर में जनवरी, 1976 के बाद अर्थात् 1-2-76 से 30·9·76 तक जिन जिन अस्थाई कृषि पट्टा धारकों को स्थाई आवंटन किया गया है उनकी व्यक्तिवार सूची मय वोटर लिस्ट किस गांव में नाम है, की सूची विवरण सहित संलग्न कर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुर्वेद के वैद्यों की वेतन श्रृंखला

37. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या आयुर्वेद विभाग में एक ही योग्यताधारी व्यक्तियों की अलग-अलग वेतन श्रृंखलायें हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेद के वैद्यों की वेतन श्रृंखला पशु-चिकित्सकों एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों से बहुत न्यून है जब कि अध्ययन का समय और कार्य एक ही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग ने सभी वैद्यों के लिये 275 से 650 की रनिंग वेतन श्रृंखला प्रस्तावित की है? यदि हां, तो यह वेतन श्रृंखला कब से देय होगी?

(4) क्या यह सही है कि आयुर्वेद में योग्यताओं एवं प्रतिभाओं को उचित स्थान नहीं मिलता? क्या इस शास्त्र के अधिस्नातक को कार्य चिकित्सा में और कार्य चिकित्सा के अधिस्नातक को रसायनशाला में नियुक्ति मिलती है।

(श्री दीपंकर)

(5) राज्य में कितने प्रथम श्रेणी आयुर्वेद औषधालय हैं और कितने प्रथम श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं ?

(6) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के प्रथम श्रेणी के औषधालयों में द्वितीय श्रेणी चिकित्सक कार्यरत हैं और द्वितीय श्रेणी औषधालयों में प्रथम श्रेणी के चिकित्सक हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कुल कितने औषधालय ऐसे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। वैद्यों की दो श्रेणियां हैं–ग्रेड ए वैद्य तथा ग्रेड–बी वैद्य। दोनों श्रेणियों में समान योग्यताधारी व्यक्ति कार्यरत हैं। उच्च वेतन शृंखला (ग्रेड–ए) में केवल 628 पद ही स्वीकृत हैं, अतः उच्च वेतन शृंखला का लाभ 628 व्यक्तियों को ही मिल सकता है।

(2) जी हां। वर्तमान में आयुर्वेद वैद्यों का अध्ययन समय साढ़े छः वर्ष एवं अन्य पशु चिकित्सा तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति का समय क्रमशः पांच वर्ष एवं साढ़े छः वर्ष है। वेतनमानों की असंगतियों को दूर किये जाने हेतु सुझाव भेजे हुए हैं।

(3) जी हां। योग्यताधारी सभी वैद्यों के लिये 275–650 की वेतन शृंखला स्वीकृत करने के प्रश्न पर विभागीय स्तर पर विचार किया गया था, परन्तु इस श्रेणी में फिलहाल केवल 597 पद ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(4) विभाग में नियमित योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों पर वैद्यों को स्थान दिया जाता है। इस शास्त्र के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का प्रथम दल इसी वर्ष जून, 76 में उत्तीर्ण होकर आया है। ये व्यक्ति अध्ययन अवकाश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण अपने मूल पद पर ही कार्यरत हुए हैं। किसी भी नवीन व्यक्ति को, जो कार्य-चिकित्सा में अधिस्नातक हो, नवीन रसायनशाला में नहीं लगाया गया है।

(5) राज्य में कुल 34 अ श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। कुल 628 स्वीकृत 'अ' श्रेणी के वैद्यों के पदों के विरुद्ध 377 प्रथम श्रेणी के वैद्य कार्यरत हैं। शेष की पदोन्नति शीघ्र की जा रही है।

(6) जी नहीं। 'अ' श्रेणी औषधालयों के इंचार्ज 'अ' श्रेणी के वैद्य ही हैं, एवं उनके सहायक चिकित्सक 'ब' श्रेणी के वैद्य भी हैं। यह सही है कि द्वितीय श्रेणी के औषधालयों में प्रथम श्रेणी के चिकित्सक कार्यरत हैं, क्योंकि पदों की संख्या के अनुसार 'अ' श्रेणी के औषधालयों की संख्या कम है। इनमें से 47 'अ' श्रेणी के चिकित्सालयों में कार्यरत हैं। शेष 230 चिकित्सक अन्य श्रेणी औषधालयों में कार्यरत हैं।

राज्य में सुरक्षित अभयारण्य

38. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के मरुस्थलीय पश्चिमी जिलों की सारी भूमि काश्त योग्य हो जाने, आबादी बढ़ जाने व शिकारियों के आक्रमण होने से देशी नस्ल के हिरणों की संख्या का ह्रास हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनके अभयारण्य सुरक्षित करने एवं पूरे वर्ष

(श्री लूणाराम)
मर शिकार करने पर पाबन्दी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राजस्थान मरुस्थलीय जिलों की सभी भूमि काश्त योग्य नहीं हो पाई है किन्तु आबादी बढ़ जाने एवं शिकार करने से ऐसी नस्ल के हिरणों की संख्या का सामान्यतया ह्रास हुआ है ।

(2) राजस्थान सरकार ने हिरणों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से इन्हें आदेश संख्या 11 एफ।(7) राजस्व।8।76 दिनांक 18-6-76 द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के शिड्यूल 3 से शिड्यूल 1 में शामिल किया है जिसमें इस वन्य प्राणी के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। वैसे राजस्थान में गत दो वर्षों से सभी प्रकार के शिकार पर प्रतिबन्ध है । मरुस्थलीय नेशनल पार्क की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री गुरदयाल सिंह संधु, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री हनुमान सिंह निवासी चक 75 एन. पी. द्वारा पिछले कुछ वर्षों की सिंचाई दर न चुकाई जाने के कारण उस गांव की नहर का पानी बंद कर देने के विषय में ।

(2) श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से गत 23 सितम्बर को ग्राम डूंगरास अगुना, तहसील सुजानगढ़ से 2 हरिजन बालिकाओं के अपहरण के विषय में ।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव इस सदन में पेश किया है उसकी मन्शा यह है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में यदि एक किसान ने कोई आबयाना, सिंचाई दर, अदा नहीं की तो सारे गांव की नहर का पानी बंद किया जा रहा है। मैंने बताया है कि किस तरह से वहां पर पटवारी व जिलेदार अपने मनमाने ढंग से किसानों को नहर का पानी बंद कर रहे हैं। नहर का पानी बंद करने से, किसी भी काश्तकार या गांव का पानी बंद करने से पहले, एस. डी. ओ. की मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके व उस गांव का व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाता है । उसके बाद भी यदि पानी बंद करना जरूरी हो जाए तो फिर ऊपर से एप्रूवल लेनी पड़ती है कि फलानी धारा के अन्तर्गत ऐसा किया जाता है। मगर गंगानगर जिले में यदि किसी किसान के जिम्मे सिंचाई दर बकाया भी हो तो भी उस गांव के सभी किसानों का पानी बंद किया जाता है, और इस तरह बहुत से गांवों का पानी बंद हो चुका है। एक तरफ सरकार चाहती है कि उत्पादन बढ़े, दूसरी तरफ खरीफ फसल आबाद हो चुकी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

है और रबी की फसल वोई नहीं जाएगी। तो मैं ऐसी स्थिति में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में जहां पर नहरी क्षेत्र में खेतों में नहरों का पानी देना बन्द किया गया है उसे जल्दी से जल्दी पानी खुलवा कर दिलवाया जावे। और उन लोगों में जो वाटर रेट बकाया हो उसकी भी वसूली की जावे।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने पानी देना बन्द किया था और जिनके कारण पानी नहीं देने की वजह से फसल नष्ट हो रही उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करा कर जांच के दौरान जो दोषी पाये जावें उन अधिकारियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव के बारे में मैं सिर्फ दो चार शब्द ही निवेदन करूंगा। प्रार्थना यह है कि ग्राम डूंगरास की व ग्राम प्रणखोली की दो हरिजन बालिकायें रेवती व इन्दिरा का तारीख 23-9-76 को रात को बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अपहरण किया है वह कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि वही ग्राम डूंगरास व ग्राम प्रणखोला के छटे हुए बदमाश और गुण्डे लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गुन्डों का इस प्रकार से लड़कियों को बलपूर्वक ले जाना और उनके साथ बलात्कार करना कोई नयी बात नहीं है। पिछले साल भी होली के दिन इन लोगों ने दिन धड़ाके वहीं पर हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार किया था। इसके अलावा यह गुन्डे लोग उन हरिजन लोगों से चौथ वसूल करते हैं। पिछले साल भी इन लोगों ने इन हरिजनों से चालीस हजार रुपये वसूल किये थे सिर्फ अमरराम आदि के गिरोह द्वारा सामूहिक रूप से हरिजनों की औरतों के साथ बलात्कार से उनको बचाने के लिये। अध्यक्ष महोदय, यह अमरराम और उसके पिता तथा रिश्तेदार लोग वहां पर बेशुमार गुन्डागर्दी करते हैं तथा उनसे चालीस-चालीस हजार रुपये की चौथ भी वसूल करते हैं। नहीं देने पर वह लोग हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार करने पर उतारू हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह लोग नाजायज शराब बनाते हैं और गुन्डागर्दी करते हैं। अब इन्होंने वहां की दो हरिजन बालिकाओं का अपहरण कर लिया। इनमें मुख्य मुख्य आदमी हैं अमरराम जाट जो कि इनका सरदार है तथा तुलछाराम पुत्र मोटाराम जाट (प्रणखोला), दूसरा खींवसिंह राजपूत (खींची), तीसरा मानसिंह राजपूत खींची, चौथा मानसिंह गुसाई, दानसिंह राजपूत (घोटड़ा) नारायणसिंह राजपूत यही आदमी इसके सर्वेसर्वा हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अमरराम जिला प्रमुख का निकटतम रिश्तेदार है इसलिये पुलिस भी इनके खिलाफ में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस का स्थानीय थानेदार जानते हुए भी उन गुन्डों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। आज थानेदार तो क्या वहां का कलेक्टर भी उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन लेने में असमर्थ है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि तुरन्त ही अमरराम और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
उसकी पार्टी के गुन्डे लोगों को दो हरिजन बालिकाओं के अपहरण करने के जुर्म में मीसा में या डी. आई. आर. के तहत गिरफ्तार करके जेल के अन्दर बन्द किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह अमराराम और दूसरे गुन्डे लोग पुराने हिस्ट्री शीटर हैं जो कि आपकी पुलिस के रिकार्ड में दर्ज है, देख सकते हैं।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज चूंकि जिले के प्रमुख के निकटतम होने के कारण पुलिस थानेदार इनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है, उसके दबाव में नहीं आकर इन गुण्डों को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये और जो दो हरिजन बालिकायें अपहरण की गयी हैं उन्हें तुरन्त उनके चंगुल से छुड़वाया जाना चाहिये। इसमें जो कर्मचारी कानूनी मदद नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचाएं

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। परिवहन मन्त्री।

श्री रामनारायण चौधरी (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप–7) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ· 9 (5) गृह/ग्रुप–7/76-1 दिनांक 24 मार्च, 1976 सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ :

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 1973 से जून 1974.

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 1974–75।

अधिनियम

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। विधि मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माल-यान अधिग्रहण अधिनियम, 1969 का परिशोधित पाठ, राजस्थान राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव व यशवन्तसिंह नाहर को सत्र की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री गिरधारी लाल भार्गव सदस्य, विधान सभा, ने एक अक्टूबर, 1976, से सत्र के अन्त तक और श्री यशवन्तसिंह नाहर सदस्य, विधान सभा, ने 5 अक्टूबर, 1976 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

समिति का गठन

राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975 के लिए प्रवर समिति का गठन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रवर समिति को सुपुर्द राजस्थान भूमिगत जल (नियन्त्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975 पर समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:—

(1) श्री खेतसिंह, सभापति
(2) श्री सहदेव
(3) श्री राम रघुनाथ चौधरी
(4) श्री मोहनराज
(5) श्री जयनारायण
(6) श्री रणजीतसिंह
(7) श्री शंकरसिंह
(8) श्री मीठालाल मीणा
(9) श्री मूलचन्द सामरिया
(10) श्रीमती सुमित्रा सिंह
(11) श्री भोपालसिंह
(12) श्री मोहरसिंह
(13) श्री भंवरसिंह
(14) श्री झाबरमल सुन्डा

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिड़ावा में विज्ञान विषय खुलवाने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम मोहनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के चरागाह चक नम्बर 158 रकबा 34)3 बीघा एवं 148 रकबा 23)। बीघा को अतिक्रमणियों से मुक्त कराने के संबंध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्नसिंह।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 1976—77 का छत्तीसवां व सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री प्रद्युम्नसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति 1976-77 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियां) से संबंधित छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियां) से संबंधित सैंतीसवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

विशेषाधिकार समिति 1976-77 का छठा प्रतिवेदन

श्री श्रीराम गोटेवाला (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'क्रास एग्जामिनेशन' पत्रिका के सम्पादक के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव से संबंधित विशेषाधिकार समिति, 1976-77 के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेशराय डांगी।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1976-77 का पांचवां प्रतिवेदन

श्री दिनेशराय डांगी (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मन्दिरों में प्रवेश से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1976-77 के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीखा भाई।

अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री भीखा भाई (सभापति, अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार की नियन्त्रित/निर्देशित निगमों / उपक्रमों / मन्डलों / संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति, 1976-77 के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विश्वविद्यालय में अनियमितताएं

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के संबंध में शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में विश्वविद्यालय से तथ्यों की जानकारी चाही गई थी। विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि उन पर अनियमितता का आरोप लगाना निराधार है। उन्होंने किसी अधिकार का दुरुपयोग भी नहीं किया है। विश्वविद्यालय में सीनेट, सिंडीकेट आदि के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित होते हैं जिनका पालन किया जाता है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र परिभाषित है और उनका सारा कार्य इस परिभाषा के अन्दर ही सीमित है--ऐसा विश्वविद्यालय मानता है।

विश्वविद्यालय के मतानुसार डा. दयाकृष्ण ने कला संकाय की डीनशिप से मार्च में त्याग-पत्र दिया था जब कि अप्रेल, 76 में नए नियमों के अन्तर्गत उनकी डीनशिप समाप्त हो रही थी। श्री लोकनाथन ने कुलपति से इस बारे में पत्र-व्यवहार किया है। श्री कौल का त्याग-पत्र श्री लोकनाथन से प्रभावित है--यह विश्व विद्यालय का मत है।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर पुनः विश्वविद्यालय से तथा संबंधित व्यक्तियों से

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई। तदनुसार निम्नांकित स्थिति सामने आती है :–

यह सही है कि प्रो. दयाकृष्ण व प्रो. कौल ने डीनशिप से तथा प्रो. लोकनाथन ने सिंडीकेट की सदस्यता से विश्वविद्यालय की गतिविधियों से असन्तुष्ट होकर त्याग-पत्र दिए। प्रो. लोकनाथन ने मूलत: निम्नांकित बिन्दुओं पर अपना विरोध प्रकट किया है :–

पत्राचार संस्थान के निदेशक का पद एक प्रशासनिक पद है। यह प्रोफेसर के पद से परिवर्तित नहीं हो सकता। एकेडेमिक कौंसिल के पूर्व के निर्णय के अनुसार जिसे बाद में संशोधित नहीं किया गया है, इस पद को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बेस्ड माना है–

"Director of the Institute of Correspondence Studies should be Professor, assisted in its planning and policy making by four teachers of the rank of Readers. All these posts should be University Department based."

प्रो. लोकनाथन ने यह स्पष्ट किया है कि इस अनुशंसा का यह अर्थ साफ है कि निदेशक के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो पहले से प्रोफेसर हो, तभी निदेशक व प्रोफेसर के पद को पारस्परिक स्थानान्तरण के योग्य माना जा सकता है। यू.जी.सी. ने भी अपनी गाईड लाइन्स में यही स्पष्ट किया है कि पत्राचार संस्थान का स्टाफ विश्वविद्यालय की टीचिंग स्ट्रेंथ पर होना चाहिये और 2–3 साल के लिये संस्थान में लगाया जाना चाहिये। प्रो. लोकनाथन ने यह भी स्पष्ट किया कि निदेशक के पद के लिए जो विज्ञापन समाचार पत्रों में निकाला गया उसमें निदेशक के पद को प्रोफेसर पद के समकक्ष नहीं बताया गया था। केवल विश्वविद्यालय द्वारा अपनी ओर से छपाये गये विज्ञापन में इसका उल्लेख था, यह पद प्रोफेसर ग्रेड का है। इस प्रकार प्रसिद्ध समाचार-पत्रों में इस तथ्य को प्रकाश में नहीं लाया गया।

प्रो. लोकनाथन का यह भी मत है कि पद के चयन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। यदि निदेशक का पद अध्यापकीय था तो जो विशेषज्ञ बुलाए जाने चाहिये थे, वे किसी विशेष विषय के तीन होने चाहिये थे। उन्होंने एक विशेषज्ञ की राय का भी उल्लेख किया है कि चयन करने वाले विशेषज्ञों को केवल यह बताया गया था कि वे प्रोफेसर का नहीं वरन निदेशक के पद पर व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जिसे मूलत: प्रशासन अनुभव होना चाहिए।

प्रो. कौल ने अपने त्याग-पत्र में निदेशक के पद पर चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर खेद प्रकट किया व अपना त्याग-पत्र दे दिया।

"There is at present a parallel Government on the campus presided over by Mr. Pant. University teachers desirous of confirmation or promotion are subject to threats and coercion.

उक्त तथ्यों पर विश्व विद्यालय की यह प्रतिक्रिया है कि उन्होंने नियमानुसार विज्ञापन निकाला है, एकेडेमिक कौंसिल के निर्णय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
के अनुसार योग्यताएं निर्धारित की हैं, विशेषज्ञों की नियुक्ति की है तथा चयन समिति ने चयन किया है जिसकी पुष्टि सिंडीकेट ने की है। चयन की सिंडीकेट में सम्पुष्टि हुई जिसमें डा. लोकमायन भी उपस्थित थे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं पहले वे बोल लें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो बोलना ही हुआ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह तो कह दिया कि इसमें उसका मत यह है, फलाने का मत यह है लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य में मत गवर्नमेंट का होना चाहिये वह तो उन्होंने बताया नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह रिप्लाई दे देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम और गम्भीर विषय है, यह मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं। अभी मंत्रीजी ने जो निवेदन किया उससे भी हमें आशंकायें पैदा हुई हैं। मैं यह मानता हूं कि टीचर्स के अन्दर विवाद एक अर्से दराज से चला आ रहा है लेकिन हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उस विवाद से असेम्बली के मेम्बरों का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है। यह प्रश्न जो हमने या असेम्बली के लोगों ने उठाया है उसका आधार आपसी मतभेद नहीं है बल्कि उसका आधार यह है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर जिस तरह के घोटाले, जिस तरह की विपदायें यूनिवर्सिटी में पैदा की जा रही हैं उसकी तरफ सिर्फ असेम्बली के लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। आज जो शक्तियां उसको प्राप्त हैं वे बड़ी वसीय हैं, इसके लिये मैंने अनेक बार सदन के अन्दर निवेदन किया है। अगर यह हालत रही तो यहां इन्टेलेक्चुअल्स के लिए जगह नहीं रहेगी बल्कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे इस्तीफा दे देकर यहां से चले जायेंगे। इस यूनिवर्सिटी के अन्दर किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर बाकी नहीं रहेगा। यह उस समय से शुरू हुआ है जब से हमारे वाइस चान्सलर पांडे साहब तशरीफ लाये हैं। मुझे अफसोस है, जो एक्सट्रेक्ट पढ़े गये, उनके पढ़ने के बाद जोशीजी ने कहा कि ऐसा आदमी भी इस ग्रन्थ को लिख सकता है उसका अगर सलेक्शन होता है तो किस आधार पर होता है, जो सलेक्शन करते हैं, उनकी एफीशियेंसी है। ऐसा मालूम होता है कि वह या तो चीन की तरफ से आया है या साम्राज्यवादी अमेरिका की तरह से लाया गया है किताब को लिखने वाला। उनका सलेक्शन करने वाली कमेटी है उसका क्या आधार है और क्या होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुक्तसर में तकरीर अता फर्मायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पांइटवाइज कह देता हूं। यह सवाल इसलिए उठा है कि हमारे वाइस चांसलर के प्रति इस सदन के प्रांगण पर कहा गया कि उनका

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ताल्लुक एक ऐसी संस्था से है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। आज जब राजस्थान सरकार करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटी के ऊपर खर्च कर रही है तो सही सलेक्शन होना चाहिए। वह आनन्द मार्गी हैं या नहीं, अगर उनसे गलती हुई है और आनन्दमार्गी का सलेक्शन हो गया है तो स्पष्टीकरण कर दें कि ऐसा है और हम धोखे में थे लेकिन वाइस चान्सलर के रैंक का आदमी अगर धोखा खा सकता है तो वह वाइस चान्सलर के काबिल नहीं है। यह सवाल इसलिये उठा है क्योंकि वह एजूकेशनल हैड है, वह इस संस्था का आदमी है। इस सदन के अन्दर सवाल उठा है कि वह एक गलत संस्था से ताल्लुक रखता है। इसलिए ऐसे आदमी को हैड आफ दी डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। आज गवर्नमेंट को स्पष्ट कर देना चाहिए और उसको इन्क्वायरी करनी चाहिए थी कि यह सही है या गलत। बहुत से लोगों को यह धोखा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी का आदमी रखा जायेगा, प्रोफेसर की केपेसिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रोफेसर लोकनाथन को धोखा हुआ कि निदेशक लिया जा रहा है। बाद में उनको यह अहसास हुआ कि हमारी गलती हुई। उन्होंने इस चीज का इजहार किया है और गलती का अहसास किया है इसके लिए उनको क्रेडिट देनी चाहिए। डिस्सानेस्ट कहकर उनको कन्डेम करने का कोई तरीका नहीं है।

तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, जैसा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि एकेडेमिक कौंसिल के मैम्बर थे और उस में तय किया था कि सिर्फ प्रोफेसर ही इस निदेशक की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो एलिजिबल नहीं थे उसका अगर सलेक्शन किया था तो किस का बदनीयत है? आज मंत्री महोदय ने हमारे सामने और सदन के सामने यह स्थिति रखी कि वहां प्रोफेसर की नियुक्ति होना ही तय हुआ था। प्रोफेसर की नियुक्ति न होकर रीडर की नियुक्ति की जाती है। हम यह चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी कनविन्स हों और उन्हें इन्क्वायरी करनी चाहिये कि जो एलीजिबल नहीं थे उनकी एप्लीकेशन एन्टरटेन की गई, उसको मन्जूर किया गया और कहा यह कि हम निदेशक नियुक्त कर रहे हैं, प्रोफेसर नहीं।

दूसरा प्रश्न हमने यह उठाया था कि जो एडवर्टाइजमेन्ट आपने निकाला था वह प्रोफेसर का नहीं था। ग्रन्थ लिखा है उसके बारे में तय करने वाला कौन है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर के लिये एडवर्टाइजमेन्ट नहीं था तो किया कैसे? फिर एक प्रक्रिया है प्रोफेसर का सलेक्शन किये जाने की और वह सिस्टम यह रहा है कि एक्सपर्ट बैठेंगे और वे प्रोफेसर चुनेंगे। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब गवर्नमेन्ट को यह अच्छी तरह से मालूम है कि प्रोफेसर की जगह निदेशक का सलेक्शन नहीं हो सकता था फिर इस प्रकार कैसे कहा गया कि निदेशक को चुना जा रहा है प्रोफेसर को नहीं चुना जा रहा है?

अब राज्य सरकार किन चीजों से कनविन्स होना चाहती है? प्रोफेसर की प्रक्रिया की मुखालफत की गई। अब सवाल यह उठता है कि वे किस केटेगरी के हैं तथा जो ग्रन्थ लिखा गया है, वह किस केटेगरी का है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि यह ग्रन्थ ऐसा कौनसा है ? यह कोई बहुत क्वालिफाइड नहीं हैं, कोई किताब लिख देते हैं तो उससे तो क्वालिफाइड हो नहीं जाते हैं···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मसला है। गवर्नमेन्ट को कनविन्स करने का हमारा फर्ज है। सब चीजों को नजरन्दाज करते हुये कनविन्स नहीं हो सके तो फिर दुनियां में कोई कनविन्स नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है कि लोकनाथन का कदम सही है। आप यह मानते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया था उसको गलत मानते हुये उसका अहसास किया है तो मैं यह नहीं मानता हूं। गांधीजी ने बहुत से फैसले लिये हैं और उनमें से बहुत से फैसलों को बाद में बदला भी है। उन्होंने कहा है कि गलती हुई है इसलिये फैसला बदला है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह एक छोटेपन की दलील नहीं है। मैं यह दलील करना चाहूंगा कि आप किसी इन्टेलेक्चुअल को कुछ भी कहें तो उसकी इन्टेलेक्चुअलिटी समाप्त नहीं हो जाती है। किस तरह मामला सिन्डीकेट के सामने रखा गया, किस तरह सलेक्शन कमेटी के सामने रखा गया है ? अगर यह नहीं था कि निदेशक के रूप में लिया जाय तो फिर लोकनाथन की गलती नहीं है। अगर प्रोफेसर होगा तो उस केटेगरी का होगा····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा जो स्पष्टीकरण आये हैं और मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है उससे यह बात साबित हो जाती है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं। आटोनोमी के नाम पर हर चीज को बर्दाश्त करना उचित नहीं है। जो आदमी हिन्दुस्तान की पालिसी को कन्डेम करने वाला हो उसका तो कभी भरोसा नहीं हो सकता है। अगर असेम्बली की कमेटी बनती है तो मुख्य मंत्री जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। असेम्बली की कमेटी निष्पक्ष लोगों की हो, मैं समझता हूं कांग्रेस के ही तीन-चार आदमियों को उसमें ले लिया जाय। हम समझते हैं कि वह निष्पक्षता से जांच करेगी। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि माननीय मूलचन्द जी ने जो कहा है कमेटी मुकर्रर कर दी जाय और अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकृति दी है तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं। हम यह मानने को तैयार नहीं है कि यूनिवर्सिटी के मामले में दखल नहीं कर सकते हैं। जब असेम्बली के लोग ही नहीं बोल सकते तो फिर दुनिया में कौनसी शक्ति है जो बोल सकती है। मैं फिर निवेदन करूंगा-एक कमेटी असेम्बली के सदस्यों की हो, वह निष्पक्ष जांच करके नेक्स्ट असेम्बली की मीटिंग में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : My name is there.

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी कहें कि जांच करवा लेंगे। यहां पर माननीय सदस्य उत्तेजित होकर कहते हैं कि आपको

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

फलां फलां इनफार्मेशन गलत है, यह बात गलत है, वह बात गलत है तो सबसे मौलिक प्रश्न यह है कि आप जांच किससे करवा लेंगे ? मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कहते हैं जिस दिन मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा, मैं वाइस चान्सलर को लिख दूंगा । मैं क्षमा चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वे चान्सलर को आज भी लिख सकते हैं, और कोई भी लिख सकता है लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, आप क्षमा करेंगे उसकी कोई पावर्स ही नहीं हैं । आज की स्थिति में वाइस चान्सलर मिलने आयें और आप यह कहें तो वह तो बड़ी आसानी से कह देंगे मैंने तो लीगल अपाइन्टमेंट किया है और अब आपकी मर्जी हो सो कर लें । तो आप बिना एक्ट में अमेण्डमेंट किये नहीं कर सकते हैं । जिस प्रकार का एक्ट बनाया है आटोनोमी के नाम पर, आज यूनिवर्सिटी में स्टेण्डर्ड मेन्टेन करने के लिये उसमें कुछ एरर्स हैं तो भी उसको करेक्ट करने की प्रजेन्ट सिचुएशन में कोई गुन्जाइश नहीं है ।

अब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक्ट को अमेन्ड करना बहुत अनिवार्य है । आज यूनिवर्सिटी में कितनी अनियमितताएं हैं, कितनी इर्रेगुलेरिटीज हैं हम एक के बाद एक गिनते जायं तो अलग बात है। गत वर्ष सिन्डीकेट को डिजोल्व करके एक ऐसी सिन्डीकेट बनाई कि यूनिवर्सिटी की सारी पावर्स सिन्डीकेट में वैस्ट करती है। वाइस चान्सलर को पावर्स वैस्ट करती हैं। आन दी कन्सलटेशन एण्ड एडवाइस आफ दी सिन्डीकेट और उस सिन्डीकेट को भंग करके आर्डिनेन्स के जरिये पुनर्गठन किया। अब मैं क्षमा चाहता हूं, शिक्षा मन्त्री जी, उस एक्ट का नमूना देख लीजिये··

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : एक वाइस चान्सलर, चार आदमी दूसरे तो चार प्लस एक, पांच आदमी, दो गवर्नमेंट के और तीन यूनिवर्सिटी के और एक डाइरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन तो इस तरह, अध्यक्ष महोदय, चार आदमी एक तरफ और एक आदमी एक तरफ । एक आदमी चार आदमियों को ओवर रूल कर सकता है ? तो इस तरह तो वाइस चान्सलर की जेब में सिन्डीकेट रख दी गई और वाइस चान्सलर को सारे अख्तियारात दे दिये गये। आज जो वास्तविक स्थिति है, वह भिन्न है। एक मेम्बर नोमीनेटेड है, इसमें भी बहुत बड़ा कन्ट्रास्ट है। वाइस चान्सलर को डा. लोकनाथन ने कौनसे मुद्दे को उठाकर रेजिगनेशन दे दिया ? या डा. लोकनाथन की भावना को वाइस चान्सलर नहीं समझ पाये । डा. लोकनाथन वाइस चान्सलर के नोमीनेटेड मेम्बर हैं। अगर वे उन पर कान्फीडेन्स नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है । डा. लोकनाथन को डिस्आनेस्ट नहीं कहा जा सकता है। आज हम इस हाउस के फ्लोर पर कह सकते हैं कि डा. लोकनाथन एमीनेन्ट आदमी हैं, कोई मामूली आदमी नहीं हैं– बराबर की हैसियत के हैं। आज उन्होंने रिजाइन कर दिया और सिन्डीकेट ने कन्फर्म कर दिया। उसके अलावा छंगाणी साहब ने पूरा लैटर पढ़कर सुनाया नहीं–कन्टीन्यूईंग एजूकेशन की जो ब्रान्च थी उसको लिट्रेसी ब्रांच का रूप देकर पूरे डिपार्टमेंट की शक्ल बदल दी। उन्होंने यह कदम उठाया।

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

अध्यक्ष महोदय, सिन्डीकेट ग्राम तौर से महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। डा. लोकनाथन ने लैटर में लिखा है कि यह मैटर हमारे सिन्डीकेट में रिपोर्ट नहीं हुआ तो, अध्यक्ष महोदय, एक ही ऐसा मामला नहीं है। मैं इस बात को समझने की चेष्टा करता हूं कि हम यहां बैठकर मिनिस्टर महोदय से प्रश्नों के सप्लीमेन्ट्री पूछते हैं और मिनिस्टर्स को एट टाइम्स एम्ब्रेस कर देते हैं। हम कितने ही प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में सिन्डीकेट के सदस्य वाइस चान्सलर से प्रश्न पूछ सकते हैं पर सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ सकते हैं। तो इसमें कभी आपने उचित परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। स्टूडेन्ट्स का एजीटेशन हुआ तो स्टूडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन ले लिया गया और टीचर्स का एजीटेशन हुआ तो टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन ले लिया...

(12.50 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

मर्जी आई तब सिन्डीकेट भंग कर दी और मर्जी आई तब सिन्डीकेट बना दी। यह सब उसका परिणाम है। एक एग्जाम्पल है छोटे लाल दुबे की, उसको साल भर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बना दिया और साल भर में ही डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया। इस तरह वाइस चान्सलर अपनी मर्जी मुताबिक जो कुछ चाहे कर सकता है। साल भर में ही उसको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, पी.आर.ओ. बनाया और डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया जब कि बीस बीस साल से लोग वहां काम कर रहे हैं और ग्रेड में मेक्सिमम पर पहुंच चुके हैं। एक ही प्रश्न नहीं है। कई प्रश्न हैं। एम. सी. गुप्ता ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक मसला है क्या? कई मसले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई आदमी यह समझते हैं कि आखिर सरकार का क्या रुख है? यह महत्वपूर्ण और एक अहम् मसला है। विश्वविद्यालय में भय और आतंक फैला हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय के टीचर्स अपनी तकलीफों को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी से, विधि मंत्रीजी से नहीं मिल सकते, मुख्य मंत्रीजी से नहीं मिल सकते। विश्वविद्यालय ने एक नोटिस निकाला है कि It will be considered an act of indiscipline. अपनी ग्रिविसेन्स को लेकर वे रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। राज्य सरकार भी इसी तरह से मानती है, डिसिप्लिन का मामला है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : इस तरह नहीं है। चान्सलर से मिल सकते हैं सिंडीकेट से मिल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेन्ट से नहीं मिल सकते।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैं आपको ऐसे नाम बता सकता हूं जो रोज मिला करते हैं और शिक्षा मंत्रीजी के दफ्तर में बैठा करते हैं। हमें रिप्रेजेन्टेशन भी किये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इनडिसिप्लिन नहीं है?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : वाइस चान्सलर...

श्री हरिदेव जोशी : इनडिसिप्लिन मानते हों तो ग्रोस इनडिसिप्लिन करने वालों के नाम भी बता सकता हूं आपको।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आपका ऐसा आशीर्वाद उनको मिलता है तो मैं असेम्बली के अन्दर हाउस के फ्लोर पर निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी का वाइस चान्सलर को इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हाउस के मेम्बर कुछ नहीं कर सकेंगे और वाइस चान्सलर की आटोक्रेसी ज्यादा बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गयी हैं कि यह जरूरी है कि यूनिवर्सिटी एक्ट में वांछित परिवर्तन किये जायं और इसके लिये एक सलेक्ट कमेटी बिठायी जाय। इर्रेगुलेरिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गयी हैं कि हाउस की एक कमेटी बिठा दीजियेगा। हाउस इसके लिये सक्षम है, एक्ट को वह अमेन्ड कर सकता है। हाउस की कमेटी बनाइये, स्पीकर साहब नोमिनेट कर देंगे मेम्बर्स को। चार आदमी इन्क्वायरी करें और इस बात को देखें कि यूनिवर्सिटी में इल्लीगल चीजें क्या हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, इन परिस्थितियों में कदम नहीं उठाया तो यूनिवर्सिटी की हालत और ज्यादा खराब होगी, अच्छे अच्छे विद्वान लोग छोड़ कर जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समाप्त ही कर रहा हूं।

मौलिक मसला है वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, 30 पर्सेन्ट यूनिवर्सिटी में क्लास फोर स्टाफ है वह राजस्थान से बाहर का है। सदन में लिस्ट पेश कर चुका हूं। पांडे जी के वाइस चान्सलर बनने के बाद यह प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है। राजस्थान और जयपुर में चपरासी बनने लायक योग्य व्यक्ति नहीं हैं और उनको यू.पी. से लाकर लगाते हैं। इसलिये इन सब चीजों को देखते हुए सरकार की ओर से हस्तक्षेप होना अविलम्ब आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी परिस्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज हरगोविन्द पंत हैं, उनको डाइरेक्ट सलेक्ट करके प्रोफेसर बना दिया। राजकृष्णन् ने लैटर लिखा है। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं उनकी डिस्आनेस्टी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। क्या डिस्आनेस्टी है। वाइस चान्सलर की डिस्ओनेस्टी है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर चले गये, दो प्रोफेसरों को निकाल दिया और मुख्य मंत्रीजी हरगोविन्द पंत की जांच करायें तो पता चलेगा कि वे डिफेक्टो वाइस चान्सलर हैं और उन्होंने कितना लोगों को टेरेराइज किया है, शिकायत लेकर जायं पांडेजी के पास तो कहते हैं कि हरगोविन्द पंत के पास जाइये। पांडेजी नहीं करेंगे और हरगोविन्द पंत कहेंगे वही बात होगी। अच्छी तरह से सुन लें, शिक्षा मंत्रीजी, आपके पास कोई हथियार नहीं है। आप कहते हैं कि जांच करवा लूंगा। जबरदस्ती आप यह बात क्यों कहते हैं? यहां खड़े होकर कह देते हैं कि जांच करवा लूंगा। जहां तक एक्ट अमेन्ड करने की बात है हाउस कमेटी बना कर इस मामले की जांच होनी चाहिये otherwise the univer-

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
sity affairs will go from bad to worse.

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा नाम है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : You will be called later on.

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्माननीय दो सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में भी आपने प्रश्न पूछे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न भी पूछ लिये। सदन के सम्माननीय नेता महोदय ने जवाब दिया है। विनम्रतापूर्वक मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा। खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी स्तर पर भी हम यह नहीं चाहते हैं कि विश्व-विद्यालय के शैक्षणिक मामलों में हम कोई हस्तक्षेप करें। यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अध्यापकों की अनावश्यक दलबंदी में पड़ कर शिक्षा के स्तर को गिराने में पार्टी बन कर अपने आपको इन्क्लूड नहीं करना चाहते। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक एक बात अवश्य ही निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की धांधलियां हो रही हैं उनके बारे में पर्टीक्यूलर प्रश्न पूछ कर मेरे मित्र, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छी तरह से जानकारी की और अच्छी तरह से अवगत कराया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके ऊपर राजस्थान के प्रशासन को चलाने का भार है और हम सब आपके पीछे हैं। मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और पहले थीं उनका नियन्त्रण 25 जून, 1975 के बाद किया गया। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात के बारे में कहते हो कि पांडेजी ने विश्वविद्यालय की स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया है। लेकिन मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें न तो पांडेजी का योगदान है और न ही और किसी का योगदान है। यह तो इमरजेंसी में प्रशासन में जो सख्ती लायी गयी है केवल मात्र उन परिस्थितियों का ही यह परिणाम है वरना उस वक्त के शिक्षा मंत्रीजी माननीय खेतसिंह जी ने कहा था कि पांडेजी महाराज 69 के अन्दर आनन्द मार्ग के अवधूत की शिक्षा ग्रहण करने गये थे। जब आनन्दमार्ग के अड्डों पर छापे मारे गये और तलाशियां ली गयीं तो प्रमाण मिले थे कि आनन्दमार्ग की पत्रिका निकलती है उसके सम्पादक मण्डल में पांडेजी हैं। इनकी धर्मपत्नी सुधा पाण्डे सांगानेर में स्कूल चलाती थीं जहां खोपड़ियां मिली हैं। इन पाण्डेजी के बारे में कई बार यहां कहा है और पुनः इस बात को कहता हूं कि फोटो भी पेश किये हैं। पंत ने चौपड़ पर भाषण दिया था, जिस क्रांति की बात कर रहे थे, समाज को बदलने की बात कर रहे थे तो यह कह रहे थे कि इन कांग्रेसियों ने चौपट कर दिया। उन्होंने पुस्तक लिखी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने कहा था कि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उस पुस्तक के आधार पर उनको योग्य माना गया था। सारी राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध उस पुस्तक में लिखा गया है और यहां तक है कि उस पुस्तक में काश्मीर तक के बारे में आपके एक्शन की आलोचना की है, गोआ में आपके एक्शन की आलोचना की है, सिक्किम के बारे में दूसरे प्रकार के विचार रखे हैं उस पुस्तक में। मैं उनकी बात नहीं कहूंगा आपसे। अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास जिक्र कर रहे थे, कल ही एक साइक्लोस्टाइल्ड पेपर बंटा था और मैंने अपनी आखों से उस पुस्तक को पढ़ा है जिसमें यह कविता लिखी है आग्नेय जी ने। मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक शब्द भी उस कविता का पढ़ नहीं सकता। वह इतनी अश्लील और भद्दी है। वीयतनाम के उन लोगों के संबंध में है जिन्होंने साम्राज्यवादी लोगों से लड़कर अपनी आजादी हासिल की है और जिन्होंने कदम कदम पर अपने को होम दिया। उनके बारे में ऐसी भद्दी कविता पढ़ी है। मैं उसे पढ़ कर स्वयं तो नहीं सुना सकता लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी में उसको आपको पेश कर दूंगा। आप पढ़ कर स्वयं ही फैसला कर लें कि यह व्यक्ति इतनी बड़ी ग्रेड देने काबिल थे या यह व्यक्ति मीसा के अन्दर बन्द करने के योग्य थे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे आधार जो बने हैं, मुझे कानूनन इस बात की जानकारी नहीं कि आपको अधिकार है या नहीं लेकिन सारा सदन मांग कर रहा था कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप कम से कम जांच करें और उससे सदन को अवगत करा दें। हम तो एक ही बात की मांग करना चाहते हैं कि वहां पर जो पक्षपात हो रहा है, जो रुपया लुटाया जा रहा है और शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो श्री नाथूलाल जी जैन नियुक्त हुए थे उन्होंने अखबारों में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि विश्वविद्यालय में चयन के बारे में धांधलियां हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति एक कुल के हैड हैं और उस नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वह देखकर चलें कि पक्षपात और द्वेष भाव से सारे कार्य नहीं हों। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बात के प्रमाण दिये हैं यहां पर कि यह सम्पूर्ण क्रांति की ज्वाला फैलाने की बात करके इस देश को गर्त में धकेलने की बात करने वाले जयप्रकाश नारायण जी का समर्थन करने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण का चित्र है उसमें पाण्डे जी उनका स्वागत कर रहे हैं। वह आशा कर रहे थे कि जयप्रकाशजी के नेतृत्व में इस देश में क्रांति होगी और यह देश ऊंचा उठेगा। इस प्रकार के तत्वों से मिली हुई आनन्द मार्गी और दूसरी तरफ सी. पी. एम. सारे देश की विभिन्न एजेन्सियां हैं, यह बात प्रमाणित हो चुकी है, यह सारी एजेन्सियां मिलकर देश की लाखों और करोड़ों जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का तख्ता उलटने के प्रयास में थीं। एक तरफ पाण्डे जी हैं और दूसरी तरफ पन्तजी हैं जिन्होंने चाइना एक्शन को सपोर्ट किया है, यूनिवर्सिटी में हड़तालें करवाई है और बिहार से आने वाले एक आनन्दमार्गी

Page No 52

(52)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को अपने यहां शरण दी है इसके बारे में भी आप चाहेंगे तो मैं तथ्यों से आपको अवगत करा दूंगा। एक प्रसन्न सिंह नाम के हैं जिन्हें कि एन. आर एस.सी. में नियुक्त कर रखा है, उनको आपके यहां पुलिस की हिरासत में लिया गया। छात्रावासों पर भी आर.एस.एस के लोगों का कब्जा है और वानखेड़े, जो आर.एस.एस. की शाखा चलाते हैं, मुख्य इन्चार्ज हैं वहां पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन के समय पर सारी बातों पर प्रकाश डाल दिया था। मैं तो यहां बड़ी विनम्रता से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में चयन हुआ उसके पहले, मंत्रीजी, आपका वक्तव्य आया था। उसमें शिक्षा मंत्रीजी ने कहा था कि नये वेतनमानों की घोषणा होने तक आप चयन स्थगित कर दीजिए। दो विश्वविद्यालय उस बात को मान लेते हैं लेकिन एक राजस्थान विश्वविद्यालय आर्यों के बारे में नहीं मानता है और आर्यों की नियुक्ति रोक लेता है। पता नहीं क्यों जल्दबाजी करके यह सारा का सारा काम किया गया। 15 जुलाई को विज्ञापन निकलता है उसमें कहीं पर भी प्रोफेसर का ग्रेड देने की बात नहीं कही है। जो विज्ञापन है सारा शिक्षा के संबंध में विज्ञापन है। अब आप कल्पना करके चलिये कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी से इस प्रकार के विज्ञापन निकले और उनके जवाब में केवलमात्र आपके पास तीन प्रार्थना पत्र आये। मैंने प्रोफेसर कमल की बात यहां पर सदन में कही है। उन्होंने स्वयं ने मुझे रसीद दिखाई है कि 21 जुलाई को प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया था लेकिन क्योंकि वह योग्यता में बहुत ऊंचे बैठते थे····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

उनके प्रार्थना पत्र को नहीं माना गया और न उसको स्वीकार ही किया गया। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से यही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का इसमें कोई फाल्ट नहीं है मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि विश्वविद्यालय में इतनी धांधली हुई है वह हमारे ज्ञान और शिक्षा के पवित्र मन्दिर हैं और हमें उनको कायम रखना चाहिये और हम भी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं जिससे उनके काम में हस्तक्षेप हो लेकिन यह भी बरदाश्त नहीं कर सकते कि राष्ट्र विरोधी आनन्दमार्गी, आर.एस.एस. और जमायते इस्लामी लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे और उनको इस प्रकार तरक्कियां दी जाती रहें। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जयपुर शहर के अन्दर सारे स्कूलों के बच्चे एक दिन स्कूलों से गायब रहे और इसका कारण था आर.एस.एस. के प्रतिक्रियावादी लोगों ने अफवाह फैलाई और उस आधार पर सारे जयपुर शहर के स्कूल और कालेजेज बन्द हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.एस.एस., आनन्दमार्गी और जमायते इस्लामी और फासिस्ट तत्व आज भी अपने अड्डे जमाये हुए है और जो लोग मीसा के अन्दर बन्द होने चाहिये थे वह सारे लोग भाई भतीजावाद से तरक्की पा रहे हैं। राजस्थान के

Page No 53

(53)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मूल निवासियों से इस आधार पर प्रार्थना-पत्र नहीं लिया कि वह उनके पास नहीं आया जब कि स्थिति यह है कि उसने दे दिया। चपरासी तक यू. पी. से लाकर रखे तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर विश्वविद्यालय के अन्दर हम क्या करना चाहते हैं ? हमारा ध्यान आकर्षण करने का मतलब केवल मात्र यही है कि विश्वविद्यालय में हो रही धांधले बाजी सरकार के सामने लाई जाये ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक सैकिण्ड में समाप्त करता हूं ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से विधायकों की एक कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाये। मैं तो यह निश्चित रूप से कहता हूं कि जो भी कानूनी दिक्कतें हैं हमारा सदन सक्षम है कि हम उनको दूर कर सकते हैं। हम खाली जांच की मांग करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि जो तत्व अपराधी पाये जायें आप उनको उनके पदों से हटा दें ताकि प्रतिक्रियावादी तत्वों के गढ़ यह शिक्षण संस्थान न बन सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय ।

श्री राजेन्द कुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही गम्भीर विषय पर आपके सामने निवेदन करने के लिए इस सदन में मैं उपस्थित हूं । राजस्थान की 2।। करोड़ जनता इस सदन की ओर इस बात के लिए देखती है कि यह सदन कहां तक भविष्य को बनाने वाले नागरिकों को न्याय दे सकता है । कैसे ज्ञान के मन्दिर चल रहे हैं जिनसे हम भविष्य के नागरिक निकालेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने बहुत अर्से तक यह बात हुई और फिर भी हम निर्णय पर नहीं पहुंचे । इस सदन के नेता महोदय ने एक आश्वासन दिया कि हम मान लेंगे, हमारी समझ में आ जायेगा कि वाकई कोई अनियमितता हुई है तो हम उसको दूर करने में नहीं हिचकिचायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडवर्टाइजमेन्ट आपने निकाला है 15–7 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अन्दर, अगर आप उसको पढ़े कि वह एडवर्टाइजमेन्ट किस पोस्ट के लिए निकाला है तो वह है डाइरेक्टर आफ कोरस्पोन्डेन्स कोर्सेज की पोस्ट के लिए । आपने 19 मई के सिंडीकेट के रिजोल्यूशन में यह तय किया कि डाइरेक्टर आफ कोरस्पोंडेंस कोर्सेज एण्ड कन्टीन्युइंग एजूकेशन एक पोस्ट होगी। लोगों के साथ धोखा किया गया । उस एडवर्टाइजमेंट के अन्दर कोई ग्रेड तय नहीं की गई । उसी एडवर्टाइजमेंट के साथ डाइरेक्टर आफ फिजिकल एजूकेशन की पोस्ट निकाली गई ।

यह अनियमितताएं सामने आई । जब सलेक्शन हुआ उस समय जैसा कि शिक्षा मंत्रीजी ने बताया कि प्रोफेसर के लिए यह सिन्डीकेट की एकेडेमिक कौन्सिल का रिजोल्यूशन हो गया, लेकिन जैसा कि सदन के सामने आया है लोकनाथन ने दो मुद्दों पर अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि एक तो वेसिकली जो यू. जी. सी. की गाइडलाइन्स हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि

Page No 54

(54)

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

डाइरेक्टर आफ कोरस्पोन्डेन्स की वही पोस्ट है उस पर बेसिकली प्रोफेसर होना चाहिए, और बेसिकली जो पोस्ट बनेगी वह इन्टरचेन्जेबल होगी, और बेसिकली जो स्टाफ के अन्दर प्रोफेसर्स और रीडर्स हैं उनको दो-दो, तीन-तीन साल के लिए लिया जायगा और वे अपने डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे, रिसर्च वर्क करते रहेंगे और उसके बाद हट जायेंगे। इसमें मेनिपुलेट करके इन्हीं पंत साहब को वन आफ दी मेम्बर्स आफ कमीशन बनाया और इन्होंने यह रिपोर्ट की कि एक परमानेन्ट डाइरेक्टर होना चाहिए और फिर खुद ही परमानेन्ट डाइरेक्टर बन गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कराया, आज तक उसको करेक्ट नहीं किया इसलिए कन्टीन्यूइंग एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन के जो पुराने प्रोफेसर्स काम कर रहे थे वह एप्लाई नहीं कर पाये, आपकी इस एम्बीग्युटी को समझ नहीं पाये। दूसरे सोर्स से मालूम पड़ा होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के एक्ट के मुताबिक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर सलेक्शन करने के लिए डिफरेन्ट पैनल होता है और प्रोफेसर को सलेक्ट करने के लिए डिफरेन्ट पैनल होता है। इसमें तीन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, इकोनामिक्स एण्ड पोलीटिकल साइन्स, इन तीनों के एक्सपर्ट्स आपने नोमीनेट किये, यूनिवर्सिटी ने सलेक्ट किये। वह तो प्योर्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वह किसी भी सोर्स से अटेच्ड पोस्ट नहीं हो सकती है। एक लाइब्रेरियन भी प्रोफेसर की ग्रेड का हो सकता है, लेकिन उसका प्रोफेसर से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आप इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि वह कदापि प्रोफेसर नहीं है वह प्रोफेसर कैसे लिख सकते हैं। हमारे ज्ञान के मन्दिरों को चोरी का अड्डा बना रहे हैं···

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 'प्रोफेसर' केदार भी लिखते हैं लेकिन वह प्रोफेसर नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोसीजर रखा है····

श्री ओंकार लाल चौहान : आप डिरेल मत होइये। आप जल्दी ही डिरेल हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसमें माल प्रेक्टिसेज इस बात की की गई कि उस आदमी को जबर्दस्ती बनाने की बात की गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लोकनाथन ने कहा है वह यूनिवर्सिटी के हित के लिए है। जो साक्षरता की बात की है, इसके पीछे कौन आदमी है, कौन ताकत है पोलिटिकल जो इस चीज को एचीव करना चाहती है? यह हमारा शिक्षा विभाग प्राइमरीली साक्षरता को दूर करने के लिए है। यह सरकार की ड्यूटी है। यह इनकी ड्यूटी नहीं है साक्षरता को दूर करने की। यूनिवर्सिटी लेवल पर तो कन्टीन्यूइंग एजूकेशन को ही एक्सपेण्ड कर सकते थे···

कई माननीय सदस्य : साक्षरता को दूर करना है या निरक्षरता को?

श्री ओंकार लाल चौहान : निरक्षरता ही साक्षरता है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अपने इस्तीफों के अन्दर उन्होंने इस बात को कहा है···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आज मुख्य मंत्रीजी ने साक्षरता ही दूर करने की बात कही है इसलिए यह भी साक्षरता ही कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एडल्ट एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को कन्टीन्यूइंग एजूकेशन के साथ लगा दिया, और ऐसे महत्वपूर्ण मामले सिन्डीकेट तक को रेफर नहीं किये गये। वह आदमी सिन्डीकेट के अन्दर तक बैठा हुआ है और यह मामला उसमें रिपोर्ट तक नहीं हुआ। सिन्डीकेट का रिजोल्यूशन पहले होता है और उसके बाद में यूनिवर्सिटी के आर्डर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सब्सीक्वेन्टली वह मामला रिपोर्ट तक नहीं किया गया। किसी प्रकार से सुनने के बाद सिन्डीकेट के दौरान, सिन्डीकेट के अन्दर पूछा कि आप डाइरेक्टर की पोस्ट का सलेक्शन कर रहे हैं लेकिन आप प्रोफेसर की इन्टरचेन्जेबलिटी का चक्कर बाद में नहीं चलायेंगे। जो वहां पर प्रोफेसर्स थे उनको एश्योरेन्स दिया गया कि नहीं यह बात गलत है इसको इन्टरचेन्जेबल नहीं कर रहे हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाइस चान्सलर साहब ने अपने पत्र में इस बात को कहा है। यह कितनी शर्मनाक बात है कि एक ज्ञान के मन्दिर का सबसे बड़ा आदमी इस तरह से कहे। जो प्रक्रिया और प्रोसीजर है वह तो होना चाहिए। प्रोफेसर्स के सलेक्शन की जो फार्मेलिटीज हैं वह तो पूरी होनी चाहिए। वह खुद ही पैनल बना रहे हैं जब कि डाइरेक्टर के लिए बना रहे हैं। प्राइन्टेडली इस बात को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : श्रीमान्, मैंने जो प्रस्ताव दिया है···

एक माननीय सदस्य : अभी तक तो भूमिका हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अभी तक तो शुरुआत ही है काफी गंभीर मसला है। तो उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां पर इस बात को कहा गया कि इस आदमी को चेन्ज करके प्रोफेसर बनाया जाय। वे हुकमचन्द इस बात में लगे हुए हैं कि जीते जी लें, और उन्होंने इस बात को बराबर लिखना शुरू कर दिया है कि क्रेश प्रोग्राम के अन्दर यह लगे हुए हैं इसलिए प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर बनने की उनकी कैपेसिटी को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह एक बात हुई।

दूसरी बात के लिए मैं निवेदन करूंगा कि मि. छोटेलाल दुबे एलियास मि. आग्नेय जन-युगान्तर प्रेस में 150 रुपये का आदमी था। उस आदमी ने आज इस यूनिवर्सिटी के अन्दर एक तरह का टैरर पैदा कर दिया है··

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रुपये में कीमत मत करिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : शान्ति से सुन लीजिये, श्रीमानजी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : किस आधार पर '150 रुपये का' कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : Please have the patience to hear me

वह यूनिवर्सिटी के अन्दर पब्लिक रिलेशन्स आफिसर के रूप में नियुक्त किये गये, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी बने, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार···

श्री उपाध्यक्ष : This is call attention motion. You have higlighted the important points.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : I am here for that very purpose only. This gentleman has not faced any selection. By now he is Deputy Registrar and Administrative Secretary of the Vice-Chancellor, and he has not faced a single Selection Board. इसका एक स्ट्रक्चर है। एक एक करके जरा सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका आनन्द गया।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यही वह श्री पाण्डे साहब हैं जिनके बारे में कई बार इस सदन में निवेदन किया गया है कि वह स्टान्च आनन्दमार्गी रहे हैं। इन्होंने इसके लिए इस यूनिवर्सिटी को काफी शक्तिशाली बनाया। बी. डी. टिक्कीवाल हैं उनको प्रोफेसर आफ स्टेटिस्टिक्स बनाया। एस.एन. दुबे आनन्दमार्गी है। बसन्तसिंह जेल भी जा चुके हैं। छात्र परिषद् का सेशन अटेण्ड करके आये हैं, श्री गौतम नोन आनन्दमार्गी हैं, राजेन्द्र शर्मा नोन आर. एस. एस. एफिलिटीज के हैं, श्री सुरेन्द्र उपाध्यक्ष नोन आर. एस. एस. सिम्पेथाइजर्स हैं।

डा. हरीमोहन माथुर, डा. जी. एस. शर्मा सभी नोन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी नोन हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस प्रकार से जो स्टूडेन्ट कम्युनिटी के लोग हैं···

(व्यवधान)

वह मेरे पास आते हैं। वह कहते हैं कि वाइस चांसलर क्या इस प्रकार से डिक्टेटर हो गये हैं। वाइस चांसलर और छोटेलाल आत्रेय जब तक अप्रूवल नहीं दें तब तक किसी का एडमिशन नहीं हो सकता है। आत्रेय के यहां कान्ता गुप्ता (व्यवधान) गई हैं।

(व्यवधान)

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आप फर्मा रहे हैं, वक्त समाप्त हो गया है। (विराम) इसी प्रकार से मैं निवेदन करूं, प्रोफेसर के ऊपर 50 साल की उम्र और 20 साल की सर्विस की तलवार लटकाई गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि पहले निवेदन किया है, जो हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट हैं उनको लड़कों को भर्ती करने के अधिकार नहीं हैं। जब तक उनका अप्रूवल नहीं मिले तब तक वह भर्ती नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आज जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसके लिए

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)
इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने का सवाल है, फैक्ट्स सदन के सामने आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय ने भी माना है, सदन के मेम्बर्स की कमेटी बनेगी तो वह अधिक अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे महानुभावों को भी मौका देना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इस तरह से आप से ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सिण्डीकेट में मेम्बर हैं। आप को काफी मालूम है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : रूल्स को फोलो नहीं किया जा रहा है। क्या गाइड लाइन है उनको फोलो नहीं किया जा रहा है। यह सब डेटवाइज आपके सामने रखा है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि सदन के मेम्बर्स की एक कमेटी बनायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पढ़ता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। यह अनियमितता केवल पन्त साहब के बारे में ही नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी की करीब 30 समितियों के सदस्य हैं। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी इम्पार्टेण्ट कमेटी नहीं है जिसमें पोलिटिकल डाकूमेण्ट लिखने वाले "इन्डियाज फारेन पालिसी" के नाम से रचना लिखने वाले पंत साहब नहीं हैं। केवल एक ही कोरस्पोण्डेन्स कोर्स रह गया था जिसके वह सदस्य नहीं थे। इनको उसका निदेशक बनाने का षड्यन्त्र चल रहा था जिसके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने प्रबल शब्दों में कहा है कि कुछ इण्टेलेक्चुअल डिस्आनेस्ट हो गये हैं। आज जो वहां का करेक्टर है, चाहे वह पाण्डेय साहब हों, चाहे वह छोटेलाल आग्नेय हों, चाहे वह मदनसिंह हों, चाहे कोई और दूसरे हों, सारा यूनिवर्सिटी करेक्टर 4 गुटों में बंट चुका है। वे एक इण्टेलेक्चुअल पाण्डे साहब हैं जो आनन्दमार्ग की अगरबत्ती जलाकर बन्द कमरे में साधना किया करते थे। एक इण्टेलेक्चुअल्स वह भी है जिन्होंने साम्यवाद के बारे में पुस्तकें लिखी हैं। सारी दुनिया में इन्टेलेक्चुअल्स वह लोग भी हैं जिन्होंने दुनियां में बड़ी-बड़ी क्रान्तियां कर दी हैं। वह भी इण्टेलेक्चुअल थे जिन्होंने सरकारों को गिरा दिया है। यूनिवर्सिटी आज ऐसे लोगों का अड्डा बन रही है। इस सदन में नक्शे रखे गये हैं। अमेरिकीन इण्टेलेक्चुअल्स यहां पर इकट्ठे हुए हैं। इस सदन के अन्दर पाण्डे साहब का और उनकी धर्मपत्नी का आनन्दमार्गी होना कहा गया है। यही हरगोविन्द पन्त अपने घर में नक्सलाइट नेता को ठहराते रहे हैं। यह सारा षड्यंत्र होता रहा है। पांडे साहब करते आ रहे हैं। हरगोबिन्द पन्त को डायरेक्टर ऑफ कोरस्पोण्डेंस कोर्स बनाया

(S8)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गया है। इस मामले को मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने गम्भीरता से रखा है। एक बात रह गई है, यह तथ्य गोटेवाला साहब ने रखा है। 26 तारीख को मीटिंग बुलाई। 28 तारीख को सलेक्शन कर लिया है। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? 25 जुलाई लास्ट डेट है और 28 तारीख को सलेक्शन कर रहे हैं। आखिर हिन्दुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कोई त्रिवेन्द्रम से आ रहा है। केवल 4 एप्लीकेशन आई हैं। एक मिसेज इंडिया की तो रिजेक्ट ही कर दी। एक मिश्रा साहब, एक हरगोविन्द पन्त रहे, इन दो में से एक को सलेक्ट करते हैं। पाण्डे साहब के पंत साहब को लिया गया है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हरगोविन्द पन्त पिग्मी हैं इस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पर लिया गया है।

सारे डाइरेक्टोरेट की हिस्ट्री में जायं तो पता लगेगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कालर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कालर इसके डाइरेक्टर रह चुके हैं। इकबाल नारायणजी इसके डाइरेक्टर रह चुके हैं। किसी प्रोफेसर को भी डाइरेक्टर बनाया जा सकता है, दूसरे आदमी प्रोफेसर ग्रेड के हो सकते हैं लेकिन इसमें प्रोफेसर ग्रेड के समान होने का प्रश्न नहीं है, प्रोफेसर होना जरूरी है। कोई भी ऐसा तथ्य सदन में नहीं आया या कोई भी डाकूमेन्ट नहीं आया जिससे यह एस्टेब्लिश किया जा सके कि वे प्रोफेसर थे, वे प्रोफेसर नहीं थे और रीडर थे। इस मीडिया से डाइरेक्टर बनाया कि बाद में उनको प्रोफेसर बनाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, मुख्य मन्त्री महोदय स्वयं इस ग्रन्थ का गम्भीरता से अध्ययन करें। विचार-विरोध हो सकता है, विचार-विरोध मुख्य मन्त्रीजी का है और रहेगा, आज भी विचारों की स्वतन्त्रता है। भारत के अन्दर सिक्यूलेरिज्म है और हमें गर्व है हमारी सिक्यूलेरिज्म पर। हमने स्वतन्त्रता दी है विचार विरोध करने की। लेकिन आज हम कान्सटीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट करने जा रहे हैं, अगर कोई देशद्रोह का काम करता है तो देशद्रोह की कार्यवाही कभी बरदाश्त नहीं की जा सकती। पन्त साहब का डिफरेन्स ऑफ आपिनियन हो सकता है। काश्मीर के अन्दर जो हमारा एक्शन था उसको वे निकृष्ट एक्शन मानते हैं जब कि काश्मीर के प्रोटेक्शन के अन्दर गोलियां चल रही थीं। मुख्य मंत्री महोदय इसको जरूर पढ़ेंगे। मैं इसको माननीय सदस्यों के लिए सदन में पढ़ना चाहता हूं। "In its own fenced cattle shed, it always behaved, not as a calf but a bull" यह पंडित नेहरू हैं जिसको बुल कहते हैं 'He is a bull.'

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पढ़ कर सुनाइये, हमने सुना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : It is the discretion of the Hon'ble Member to read out or not.

श्री फूलचन्द जैन : सुन लिया है भाई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "But in the hey day of its existence, this 'calf' moved very skilfully in the i ternational arena, with such high sounding slogans s anti-imperia lism, anti"

आगे मैं थोड़ा सा अवाइड कर जाता हूं। "In its own fenced cattle shed

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
it always behaved, not as a calf but a 'bull'...."

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : शेम, शेम।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "....ready to use its growing horns as it did in case of Nepal, Bhutan, Sikkim. It helped Burma and Malaya to militarily suppress the regimes internal enemies. It worked almost hand in glove with Britain Malayasia and though it called a conference in Delhi to denounce the Dutch in Indonesia never it raised any voice of protest against British 'Colonialism' in Malaya and Singapore rather it joined them.

"Hardly even a day passed in India when its Police did not fire on a group of people at this or that part of the country but it swore by non-violence in international affairs and brought in Gandhis teaching to cover up its misdeeds or impotence but when opportunity came to it did not resist the temptation of resorting to arms as it did in case of Kashmir (twice), Goa and against China ....

जरा नोट कीजियेगा मुख्य मन्त्री महोदय, उस महान् आदमी के ये शब्द हैं।

"....it did in case of Kashmeir (twice), Goa and against China...."

चीन ने हमारे खिलाफ शस्त्र उठाये थे, हमने अटेक नहीं किया था।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इसके लिए इसको प्रोफेसर बनाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए आप उनको प्रोफेसर बनाते हैं, इनको आप इन्टेलेक्चुअल कहते हैं। दूसरे महापुरुष हैं, माननीय भारतीयजी ने थोड़ा गलत कह दिया—छोटेलाल दुबे, वे भी रिसर्च स्कालर हैं, वे पब्लिक रिलेशन आफिसर हो गये, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू वाईस चान्सलर बन गये और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार हो गये, रिसर्च स्कालर डेढ़ सौ रुपया लेते हैं यह—एक्स्ट्रा आर्डिनरी हैं, इसका नमूना भी मैं सदन के अन्दर लाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सभी के ऊपर रिसर्च कर रखी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वियतनाम की कविता तो पढ़ नहीं सकता हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। वहां की बहादुर जनता की, उनके सिपाहियों की जितनी तारीफ की जाय कम है। दुनिया में एक मिसाल है। उस वियतनाम के लिये निकृष्ट और अश्लील शब्द कहे गये हैं। हमारे राष्ट्रपति को भी, आपातकालीन स्थिति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं उसके भी कुछ शब्द आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं।

"चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो—सड़कों पर गुप्तचर फन उठाये उसकी तलाश में—एक घर से दूसरे घर—एक घर से दूसरे घर—एक गली से दूसरी गली—एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक भटक रहे हैं—पुलिस के उड़न दस्ते। तेजी से जनपथ पर गश्त लगा रहे हैं—

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
मन्त्रि-मण्डल की आपातकालीन बैठक में, उसको जिन्दा या मुर्दा पकड़ लाने के लिये,

फौज के आला अफसरों को हुक्म दिया जा चुका है–राष्ट्रपति जल्दी में–आपातकालीन स्थिति की घोषणा पर दस्तखत करने के लिये–अपनी जेब में कलम टटोल रहा है, और सोच रहा है"–वह बार-बार–सोच रहा है वह बार-बार अपनी कलम टटोल रहा है (चुप रहो चुप रहो चुप रहो) राष्ट्रपति भवन के सामने-एक आम आदमी एक अदना आदमी, बार–बार एक पोस्टर चिपका रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है–सोच लो सोच लो–एक बार फिर सोच लो–एक बार फिर सोच लो।"

यह पब्लिश हुआ है, मंत्री महोदय इन्टेलेक्चुअल डिस्आनेस्टी की बात करते हैं। 'अपने खिलाफ' एक प्रकाशित ग्रन्थ है। मैं समझ नहीं सकता हूं कि यह कैसे बाजार में बिका है। इसमें फोश–फोश बातें लिखी गई हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : 'वियत–नाम' के भी दो–चार शब्द . . .

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं नहीं पढ़ सकता लेकिन 'धरती माता' के लिये जो शब्द हैं वह सुन लीजिये, माननीय मुख्य मंत्री जी–

"तभी से सम्पूर्ण पृथ्वी एक वेश्या की भांति शताब्दियों से पहले धर्म, राजनीति, नैतिकता के वस्त्र उतारती
बदबूदार गली के कोने पर खड़ी
बिराट मानव का छद्म धारण किए हुए
काम युद्ध की ज्वाला में भस्म हो गया है, और तभी से मैं अपनी कविताओं के मुख से प्रेम की वानिक स्त्री के स्तनों को काटता, पृथ्वी को वेश्या, वेश्या उच्चारित करता हूं।"

जिसको भारत माता कहते हैं, दबे साहब उसको वेश्या कहते हैं। पाण्डे साहब यूनिवर्सिटी को क्या बनाना चाहते हैं? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या नहीं किया पाण्डे साहब ने? मैं पूछता हूं, साढ़े-चार हजार शिक्षकों के साथ इस इन्स्टीट्यूशन ने क्या किया? बी. एड. के एडमिशन के लिये बुला लिया. 40 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। तीन महीने तक गरीब शिक्षक लोग भूखों मर कर भीख मांगकर पैसा लाये थे, उनके अन्दर से केवल चन्द शिक्षकों का सलेक्शन किया। पांडे साहब ने सारी पावर्स एज्यूम कर ली। वह 36 पर्सेन्ट वाले को एडमिशन दे सकते हैं जब कि 48 पर्सेन्ट वाले सैकड़ों लोग शिक्षा मंत्री के पास आए और आज भी चक्कर काट रहे हैं। 40 लाख रुपए की राशि आई लेकिन कई शिक्षकों को आज तक वह राशि नहीं मिली। यह आक्सफोर्ड प्रेस से पब्लिश्ड पुस्तकें देखें। मुख्य मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, आप विद्यार्थियों को कम कीमत के अन्दर पुस्तकें देंगे स्टेशनरी देंगे, बुक बैंक्स से देंगे लेकिन यह हरगोविन्द पंत साहब ने यह बुक कोर्स में रखी है, यह आपको दिखाना चाहता हूं 'पैटर्न आफ इंगलिश प्रोज'। 70 हजार से ज्यादा विद्यार्थी इन पुस्तकों को पढ़ते हैं क्योंकि यह अनिवार्य है। एक की कीमत 5.50 रुपये, दूसरी की 6.50 रुपये। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 2.50 रुपये या 2.75 रुपये में यह पुस्तक छापी जा सकती थी आक्सफोर्ड वाली . . .

Page No 61

(61)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : गवर्नमेंट कोटा से कागज लिया गया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यूनिवर्सिटी सील आक्सफोर्ड प्रेस को अलाउ की गई। शिक्षकों से पैसे मांग लिए, फीस मांग ली। पहले लेट एडमिशन पर 5 रुपये थे, अब 108 रुपये देने पड़ते हैं। कभी आपने गेस्ट हाउस का बिल देखा है? एक महीने का बिल 26,000)। 26 हजार रुपये की शराब चली। सी. बी. आई. की रिपोर्ट है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह सदन इन सारे मामलों के अन्दर जाए। यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यूनिवर्सिटी का टीचर गेस्ट हाउस में चाय नहीं पी सकता।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो बाकी कौन से गेस्ट्स आते हैं वहां?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इतना ही नहीं पांडे साहब को हरिजनों से बड़ा प्रेम है। लिट्रेसी बिग्रेड चलाना चाहते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स इन्स्टीट्यूट है, पांडे साहब कभी उस इन्स्टीट्यूट में गए? तीन-तीन महीने तक वहां लड़के बिना पंखे के बैठे रहे, शिक्षक बिना तनख्वाह के बैठे रहे। 4–4 प्रोग्राम्स फिक्सड। एक प्रोग्राम फिक्स हुआ तो बिना सूचना दिए हुए दिल्ली चले गए। मैं मुख्य मंत्रीजी से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आनन्द मार्गी, घोर हरिजन विरोधी हैं, हरिजनों से घृणा करने वाले हैं। लेडी यूनीथान के बच्चे अगर पांडे साहब के बच्चों के साथ खेलें तो वे कहते हैं कि We are Brahmins. आप जाकर उन बच्चों से पूछें। वह नफरत करते हैं इन आदमियों से। हम इस देश की सार्वभौमिकता, सेक्यूलेरिज्म और आजादी को ऐसी इन्टेलेक्चूअलिज्म के नाम पर किसी तरह समर्पण नहीं कर सकते। आपको राज्य को इन बुराइयों से बचाना है तो पांडे साहब, हरगोविन्द पंत और दुबे साहब का सिवाय डी. आई. आर. के तहत जेल के सींखचों के दूसरा स्थान नहीं हो सकता।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ असावधानी समझें या कैसे भी, एक गलती मैं कर गया वह यह कि मैंने कुछ मित्रों को आज भोजन पर इन्वाइट कर लिया। मेरे मन में यह था कि मैं जल्दी जाऊं तो अच्छा है, तो दूसरे माननीय सदस्यों के बोलने से पहले मैं बोल लूं?

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को सामने रखा है। एक चीज मैं सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गवर्नमेंट किसी पक्ष से बायस्ड नहीं होती है चाहे वह पक्ष शिकायत करने वालों का हो अथवा वह डिफेंड करने वालों का हो। गवर्नमेंट का एक ही आग्रह है वह यह कि सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए समय मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बगैर सोचे अगर किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो कहीं न कहीं गलती कर सकती है। इसलिए जो कुछ बातें यहां पर कही गई हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। एक तो कोई

(श्री हरिदेव जोशी)

भी हो चाहे वाइस चांसलर या दूसरे लोग, वे हमारी मान्यताओं से भिन्न आचरण यदि करते हैं जैसे आनन्द मार्ग या आर.एस.एस. के हैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से हम कहीं कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, सरकार कहीं भी किसी प्रकार से समझौता नहीं कर सकती। मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मगर मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी में विवाद इतना ज्यादा हो गया है कि उसको लेकर सी. बी. आई. इन्क्वायरी के लिए भी भारत सरकार के पास लोग गए हैं और उन्होंने मांग की है कि सब की जांच की जानी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि अब तक हम पूछकर अपने को संतुष्ट करते थे लेकिन अब पांडे और उसके एसोसियेट्स अगर आनन्द मार्ग से संबंधित हैं तो किसी भी तरह से वे वाइस चांसलर के तौर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए सरकार को अपने आपको संतुष्ट करना होगा। गवर्नमेंट मानती है कि वे अमुक हद तक या पूर्ण रूप से लिप्त थे अथवा सरकार की ओपीनियन क्या है। इस बारे में गवर्नमेंट चाहे स्वयं, अथवा भारत सरकार की मदद से अपने आपको संतुष्ट कर लेगी, उसके बाद किसी नतीजे पर आएगी।

दूसरी बात, ये जो शिकायतें यहां सलेक्शन वगैरह की की गई हैं। हमारे बारे में अथवा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एकेडेमिशियंस हमेशा एक प्रकार की शिकायत करते आये हैं। वह यह है कि पोलिटिशियंस एकेडेमिक वर्ल्ड के अन्दर अननेसेसरी दखलअन्दाजी करते हैं और इसलिए क्या तो यू जी.सी., क्या भारत सरकार, क्या यूनिवर्सिटीज सारे के सारे राजनैतिक दखलअंदाजी से अपने आप को दूर रखने की बात कहते चले आए हैं। आज तक अपोजीशन वाले भी बराबर यह कहते आये हैं कि पोलिटिशियंस और प्रशासन को विश्वविद्यालय की आटोनोमी के अन्दर दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिये। इस चीज को हम तो रिजेक्ट करते आए थे और हम कहते आये हैं। लेकिन जिस समय कानून बनाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिये और दूसरी तरफ जब इस प्रकार की ग्रोस इर्रेगुलेरिटीज आती हैं तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कि आकस्मिक दखलअंदाजी कर दे, यह संभव नहीं है। आप कानून एक प्रकार का बनायें, व्यवहार एक प्रकार का करें और चाहें दूसरी प्रकार की बात। आज आप कानून देखें, सरकार को कितना अधिकार है? किसने किया यह सब? इस सदन ने। मैं इस सदन की कार्यवाही को निकाल कर सामने रखूं जिसमें सरकार से कहा गया है कि सरकार राजनैतिक ढंग से दखलअंदाजी करती है। मगर उस समय एक प्रकार की मानसिक स्थिति थी। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा मैं इसको बहुत गलत मानता हूं कि कुछ लोग सलेक्शन के लिये कमेटी में अमुक कन्डीशन्स को लेकर बैठ जायं और बाहर आकर वापिस मुकर जायं। मैंने कहीं गलती की हो तो कम से कम मैं अपने आपको अलग रखूंगा और कहूंगा कि मुझसे गलती हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग सलेक्शन कमेटी में गये, उसमें बैठकर यूनानीमसली सलेक्शन किया, फिर वे लोग सिंडीकेट में गए और वहां बैठकर यूनानीमसली सारी चीज को रैटीफाई कर

(श्री हरिदेव जोशी)

दिया। और उसके बाद में बाहर आकर एक प्रकार से हीट जनरेट करते हैं। तो इस चीज को मैं ठीक नहीं समझता। इसमें भी 'ए' को ले लिया और 'बी' को नहीं लिया, इसमें फर्क हो सकता है। लेकिन सलेक्शन करने में किसी प्रकार की ग्रोस नेग्लीजेन्स हो गयी हो या इसमें ग्रोस फेवरिटिज्म हो गया हो, ग्रोस नेपोटिज्म हो गया हो तो बात दूसरी है। इसमें गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अभी यहां पर सदन में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि गवर्नमेंट हेल्पलेस है। वे माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, बोल करके चले गये हैं। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेन्ट हैल्पलेस है, यह बात सही नहीं है क्योंकि गर्वनमेंट के साथ यह पूरा सदन है, और सदन को किसी भी प्रकार का कानून बनाने का हक है, सदन को हक है कि वह जनता के हक के लिए, एकेडेमिशियंस के हक के लिए कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है। सदन को हक है कि वह यूनिवर्सिटी के बारे में, कानून बना सकती है। लेकिन जब एक वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है तो सिन्डीकेट रिकमन्ड करती है कि अमुक व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया जाय। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी कानून में परिवर्तन कर सकती है और वह सक्षम है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय हैं और तीनों ही विश्वविद्यालय में अलग अलग कानून हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कानून अलग है। उसके वाइस चांसलर को अलग पावर्स हैं। तो जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी की पावर्स अलग अलग हैं। वह राजस्थान यूनिवर्सिटी से भिन्न हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है और उससे गवर्नमेन्ट अगर कनविन्स हो जाती है, पहले तो गवर्नमेन्ट कनविन्स होना चाहेगी कि आया कोई अपोइन्टमेन्ट हुआ है वह बायस्ड वे में हुआ है या उसमें किसी प्रकार की मेलाफाइडी थी, फिर गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेगी। अगर वह कोई नोर्मल वे में हुआ है तो अलग बात है। डिसीडेन्ट ग्रुप जो कुछ भी कहता है उसको पहले देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय एक ओटोनोमस बोडी होती है और इन्सटीट्यूशन में जब हम किसी वाइस चान्सलर को सलेक्ट करते हैं, जब वाइस चान्सलर को सलेक्ट करने का मौका आता है तब हमें सौ बार सोचना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, सौ बार सोचने के बाद वाइस चांसलर तय किया जाता है। मगर एक बार वाइस चांसलर अपोइन्ट होने के बाद इस प्रकार की छोटी मोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये और गवर्नमेंट को विश्वविद्यालय को सपोर्ट करना चाहिये। अगर गवर्नमेंट विश्वविद्यालय को सपोर्ट नहीं करती है तो विश्वविद्यालय का काम भी नहीं चल सकता। आम तौर से मैं यह मान कर चलता हूं कि जब तक कोई ग्रोस इमजस्टिस नहीं हो जाये गवर्नमेंट को चाहिये कि यूनिवर्सिटी में फालतू इन्टरफियरेंस नहीं करे। जैसा कि यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके लिये एक सदन की कमेटी बनायी जाय, फिर वह कमेटी इसकी जांच करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सहमत नहीं हूं कि सदन के सदस्यों की इसके लिये कमेटी बना दी जाय। जैसा कि यहां सदन में शिक्षा मंत्रीजी ने

(श्री हरिदेव जोशी)
कहा, पहले इसके लिये गवर्नमेंट खुद अपने आपको सेटिस्फाई करेगी कि आया जो चार्जेज वाइस चांसलर पर लगाये गये हैं वह सही हैं या नहीं। इसके लिये गवर्नमेंट अपने सोर्सेज से इन्क्वायरी करायगी और बाद में उस इन्क्वायरी में यह देखा जायगा कि आया वहां पर अपोइन्टमेंट्स में और दूसरी बातों में किसी प्रकार का फेवरिटिज्म तो नहीं हुआ या वहां पर किसी प्रकार का ग्रोस नेपोटिज्म तो नहीं हुआ और अगर उस इन्क्वायरी में किसी प्रकार का फेवरिटिज्म या नेपोटिज्म पाया गया तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्वयं को सेटिस्फाई करेगी और सदन को भी सेटिस्फाई करेगी। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस किताब के बारे में आपने कुछ नहीं फर्माया।

श्री हरिदेव जोशी : किताब और दूसरी चीजों के बारे में एक्शन होगा।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज। आप बिराजिये। आप सुनिये।

समिति का गठन

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 पर प्रवर समिति का गठन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रवर समिति को सुपुर्द राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972 पर समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:-

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल-सभापति
(2) श्री गुरदयाल सिंह सन्धु
(3) श्री गुमानमल लोढ़ा
(4) श्री प्रद्युम्न सिंह
(5) श्री वृद्धिचन्द्र जैन
(6) श्री फूलचन्द जैन
(7) श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत
(8) श्री बद्री प्रसाद गुप्ता
(9) श्री विजयसिंह राठौर
(10) श्री मनोहर कोठारी
(11) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल
(12) श्री माणकचन्द सोगाणी
(13) श्री दिनेशराय डांगी
(14) श्री सम्पतराम
(15) श्री जगमोहनसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विश्व विद्यालय में अनियमिततायें

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा मिसअन्डरस्टेंडिंग हो गया था। हमें भी विश्व विद्यालय वाले प्रस्ताव पर बोलना है। आपने बहुत जल्दी समाप्त कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बोलना है उसके बाद में शिक्षा मंत्रीजी का वक्तव्य होना चाहिये।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज। आप बिराजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का स्टेटमेंट होना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलेंगे। जब सदन में हम बोल रहे थे तब मुख्य मंत्रीजी ने यह कह कर कि मुझे जल्दी जाना है अपने विचार व्यक्त किये। उसके बाद में हमें नहीं बोलने दिया।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! आप विराजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है...

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे भी जवाब देना है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : No, no, Sir.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। मैं बोलूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, पांच पांच मिनिट सभी को बोलने का अवसर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। ऐसा है कि दूसरे और भी काम आज हाउस में हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काफी महत्वपूर्ण मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज। आप विराजिये। ऐसा है कि मैं इस विषय पर आधा घन्टे की चर्चा का समय निश्चित करता हूँ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आधा घन्टे के पहले ही हम समाप्त कर देंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में विश्व विद्यालयों के बारे में कई दफा चर्चायें होती हैं कभी जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में तो कभी उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा चल रही है...

श्री उपाध्यक्ष : You will be brief and you will not touch those points which have already been covered.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यहां पर पहले भी माननीय सदस्यों ने इस विषय में कहा कि विश्वविद्यालयों में काफी गड़बड़ी हैं। यहां पर सदन में चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की, राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में जांच की जाये और उसके लिए सदन के सदस्यों की समिति बनायी जावे। वह समिति इस मामले की जांच करके अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करे। इस विषय में मेरा नम्र निवेदन है कि भी जो मुख्य विषय है वह है डाइरेक्टर आफ कोरस्पोन्डेन्स कार्सेज के अपोइन्टमेंट के बारे में। उसका जो चयन किया गया उसमें विशेष तौर से जो तथ्य सदन के सामने लाये गये हैं उसमें यह बात विशेष तौर से कही गयी कि जो विज्ञापन में समय दिया गया था और अंतिम तारीख प्रार्थना पत्र देने की निर्धारित की गयी, उसमें और सलेक्शन करने की तारीख में बहुत ही कम फर्क रखा गया। इसमें बहुत ही जल्दबाजी की गयी। 16 तारीख के अखबारों में विज्ञप्ति निकाली गयी और उसकी अन्तिम तारीख 26 थी प्रार्थना पत्र देने की। ओहदा बड़ा था और प्रार्थना पत्र देने की अवधि भी कम दिनों की थी और उसके बाद में 28 तारीख को उनका सलेक्शन कर लिया गया।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको बहुत ही सीरियस मामला मानता हूं। जब इस तरह की किसी पोस्ट के लिये चयन किया जाय तब विज्ञापन में काफी लम्बा समय दिया जाना चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां कहा था कि अगर कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति हो और वह आना चाहता हो लेकिन कम समय में वहां से नहीं आ सकता हो, जैसे उड़ीसा में कोई हो तो वहां से वह इतने जल्दी समय में कैसे आ सकता है, बहुत ही कम अवधि है। इसलिये इसमें ज्यादा अवधि होनी चाहिये थी। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, वह पोस्ट प्रोफेसर की थी या प्रोफेसर के बराबर की थी ? वास्तव में वह पोस्ट उसके बराबर थी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी ने यहां कहा कि वह पोस्ट प्रोफेसर के पद की हैसियत के बराबर है। दूसरा मामला यहां पर जो माननीय सदस्यों ने उठाया वह यह उठाया कि डाइरेक्टर आफ कोरस्पोन्डेन्स कोर्सेज के पद पर जिनकी नियुक्ति की गयी उसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि जो सलेक्शन कमेटी बैठी थी उसमें उस विषय का एक्सपर्ट नहीं था जो कि होना चाहिए। जैसे कोई पोलीटिकल साइन्स के प्रोफेसर के सलेक्शन का सवाल हो तो उसमें उस विषय का एक्सपर्ट बैठना चाहिए। तो उस सलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से और दूसरी बातों को देखने से यह पता लगता है कि इसमें गलतियां तो जरूर हुई हैं। जब गलत सलेक्शन हो गया तो उसके लिये कदम उठाये जाने चाहिए। उसमें हम यूनिवर्सिटी की आटोनोमी को ध्यान में रखते हुए जो कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं वह हम करें। अब यहां पर यह कहा गया कि यहां पर अपने सदन की ओर से इसके लिये एक कमेटी की नियुक्ति करें। मैं समझता हूं कि यदि इस बात का केस नहीं बनता है, अगर कोई इस तरह की गहरी परिस्थिति है और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो उस बात को ठीक करने के लिए हमको सब कानून को देखने के लिए सदन की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है, कोई कानून ऐसा होता है जो सही नहीं होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि 'Law is not always wise.'

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : कानून वाइज है लेकिन प्रक्रिया गलत है। कानून सही है प्रक्रिया गलत है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गवर्नमेंट को बहुत से राइट्स हैं उनको व्यवहार में लाये। हम किसका अविश्वास करें ? किसी कार्यवाही से प्रभावित होकर किसी तरह की एक बात कह सकते हैं, लेकिन कानून के पीछे लम्बा अनुभव, कई शताब्दियों का अनुभव होता है और जो व्यवहारिक समझा जाता है, जन-हित में समझा जाता है, ठीक समझा जाता है, उसका अनुमोदन किया जा सकता है और उसके सम्बन्ध में कानून बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को जो आटोनामी या स्वायत्तता दी गई है इसमें बार बार गड़बड़ी होती रही है। हम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यहां पर कानून बनाते रहे हैं। करीब करीब छः महीने में एक दफा कानून बनाते हैं और उस वक्त यह सभी मुद्दे सामने आते हैं। कभी भी हमने इस बात की कोशिश नहीं की कि विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है इसको समाप्त किया जाय। चयन का तरीका कुछ गलत था तो उसको ठीक कर दें और नया तरीका बना दें। सिन्डीकेट का गठन इस तरह का था कि गड़बड़ी की स्थिति बनती थी तो सिन्डीकेट के गठन के तरीके को नया कर दिया। उसमें सरकार का एक नोमिनी, प्रतिनिधि दे दिया, वाइस चान्सलर के नोमिनी की तरह या और किसी नोमिनी के माध्यम से।

यह जो राजस्थान विश्व विद्यालय का मामला है यह दो महीने से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने शिक्षा मंत्रीजी से एक प्रश्न पाइन्टेडली पूछा था और उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कुछ तथ्य सामने रखे थे। वह जो विश्वविद्यालय की आथोरिटीज हैं उन्होंने रखे या जो इस्तीफा देने वाले प्रोफेसर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। आखिर सदन के सामने न तो उनको बुला सकते हैं और न वे आ सकते हैं। राज्य सरकार का इस संबंध में क्या कहना है ? मैं समझता हूं कि उसके बारे में जरूर कहेंगे। दो महीने से इस तरह की स्थिति चली आ रही है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी स्वयं उसका स्पष्टीकरण दें। वाइस चान्सलर को उनको बुलाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि जो सलेक्शन का मामला है उसके बारे में उनका क्या कहना है। उनकी अगर नहीं मानते हैं तो मुख्य मंत्रीजी को उनको बुलाकर कहना था। वह सीधे वाइस चांसलर को नहीं बुला सकते तो राज्यपाल महोदय के माध्यम से उनको बुला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह सब कार्यवाही पूरी होनी चाहिए थी। यदि यह पूरी नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि अब पूरी की जानी चाहिए। अगर इस तरह की कोई गडबड होती है तो इस तरह का जवाब नहीं होना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की नहीं और चूंकि यह मामला अब सदन के सामने आ गया है इसलिए यह कहें हम इसकी जांच करवा रहे हैं और कानून को अलग रख

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

दिया, तो मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया उचित नहीं होगी। पहले जरूरी यह होगा कि जितनी सरकार की क्षमता है, कानून के जितने अधिकार हैं, जिसके पर्दे की आड़ में उनको आटोनोमी दी गई है उसको काम में लिया जाय। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार की क्या क्षमता है। कोई व्यक्ति सरकार की मन्शा के विरुद्ध कोई कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो शिक्षा मंत्रीजी हमारे सामने तथ्य रखें कि हमने सब कोशिश कर ली और अब यह मामला लाइलाज हो गया है। इसका इलाज सदन ही कर सकता है, कानून में भी परिवर्तन ला सकता है और प्रशासन का ढांचा और खड़ा कर सकता है (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) उसके लिए कोई कमेटी भी गठित की जा सकती है, तो इन चीजों को हमें देखना है।

जहां तक चयन का प्रश्न है चाहे इस ढग से कह दें या और किसी ढ़ंग से। सरकार के कई तरीके हो सकते हैं गलत साबित करने के। एक बात और कह दूं कि अगर हमारे सामने आप यह कहते हैं कि उसका भली भांति एक्स्ट्राआर्डिनरी कन्ट्रोल है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी सक्षम हैं। वह इस पर विचार करके उन सबसे बातचीत करके जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें और उसके बाद में एक्शन लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के अन्दर सारी स्थिति को स्पष्ट किया हैं। मैं इस संबंध में एक तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की स्पष्टता से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया है उससे उन पर काफी उत्तरदायित्व आ गया है, और वैसे भी इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में मिले थे तो मेरा यही कहना था कि बेसिकली जो मुद्दे थे वह यह थे कि गवर्नमेंट यहां पर यह कह देती कि मि. पंत जो हैं वह इस सलेक्शन के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। इतनी सी बात की इन्क्वायरी करके अगर शिक्षा मंत्रीजी यहां पर स्थिति को स्पष्ट कर देते तो मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा और अधिक विवाद आज के दिन नहीं होता। मैं यह नहीं समझ पाया कि इतनी सी बात की जानकारी करने के लिए कौन सी ऐसी पेचीदगियां हैं जो उनकी समझ में नहीं आईं।

जहां तक उनके आचरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी बहुत गम्भीरता से अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे। जहां तक सलेक्शन का मामला है जो कुछ भी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है उसके संबंध में इस सारी चीज का उत्तरदायित्व आप अपने पर लेकर कार्यवाही करें। यह नीति संबंधी वक्तव्य ही न रह जाय। इस संबंध में जो निश्चित स्थिति है उसकी जानकारी राज्य सरकार किसी भी रूप में करे और वह हमारे सामने आनी चाहिए। इसीलिए सदन की कमेटी का प्रश्न उठा था। आज अभी इस स्थिति में जब मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी इसको स्पष्ट कर दें अपने वक्तव्य में कि क्या राज्य सरकार किसी इस

(श्री फूलचन्द जैन)
तक युनिवर्सिटी के सारे मामलों के अन्दर पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करके अपना एक वर्णन बनाकर सदन को सूचित कर सकती है ? इसके अन्दर अगर आटोनामी के आधार पर गवर्नमेंट अपने आपको असहाय महसूस करती है उस सूरत में सदन को अपने अधिकारों का उपयोग करने का प्रश्न आता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी को लेती है उस सूरत में यह स्वाभाविक है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पहले निभायें और उसके बाद ही सदन विचार कर सकता है। परन्तु मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा, जैसी भी आवश्यकता होगी, उसके मुताबिक युनिवर्सिटी एक्ट या स्वायत्तता के बारे में, सारी चीज के बारे में निश्चित तौर पर परिवर्तन कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिवर्तन कर सकते हैं यह तो हम जानते हैं लेकिन परिवर्तन करने की स्थिति पैदा हुई या नहीं, यह सारी चीजें, शिक्षा मंत्रीजी, आपके लिए गम्भीरता से सोचने की हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यह एच. जी. पंत या दूसरे लोग हैं उनके सलेक्शन का सवाल नहीं है, युनिवर्सिटी के सारे मामलों में खुलकर विवाद और विचार विनिमय किया जाय, तो मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा अधिक बातें हमारे सामने आयेंगी कि हमें यह सोचने के लिए विवश होना पड़ सकता है कि आगे हम इस प्रकार की घातक इन्स्टीट्यूशन्स को इस तरह से चलने दे सकते हैं या नहीं ? यह भी प्रश्न हमारे सामने आयेगा कि 90–95 पर्सेन्ट हमारे जो स्टूडेन्ट्स हैं जो कि हायर सैकेण्डरी स्कूल और कॉलेज के लेवल पर स्टडी करते हैं इसकी आटोनामी उनके लिए नहीं है और सिर्फ कुछ लोग जो कि हायर एजूकेशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी के अन्दर जिनका प्रतिशत 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, मैंने रफली केलकुलेट किया है, उनके लिए इनकी स्वायत्तता और आटोनोमी पर हम अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं और उसके बाद में पूरी फ्रीडम देकर यह कहें कि सब ज्ञान का भंडार यहीं भरा है, यह हमें दिखाया जाय। उसके बाद जो व्यक्तिगत हालात हैं, वे आज हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं बजट सैशन से पहले आप निश्चित तौर से इन स्थितियों पर पूर्णतया विचार करके शिक्षा जगत में जो दूषित वातावरण बनता जा रहा है उस बारे में आप अपनी कोई ठोस नीति को लेकर सदन के सामने आयें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जन सिंह !

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मसला काफी गंभीर है, इसको हम सवेरे से सुन रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मामले में इन्टरवीन भी करना पड़ा और शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया और उसको कान्ट्रेडिक्ट भी कर दिया। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मसला सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयत्न किया है मैं उस बात का समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री महोदय, यह मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं, मुख्य मंत्री जी चले गये, मैं उनसे भी यह जानना चाहता हूं कि जो वह कहते हैं कि हम इस कानून को बदल देंगे तो वे पहले यह तो स्वीकार करलें कि कानून में खामियां हैं या नहीं ? आपने स्वायत्तता के नाम पर वाइस चान्सलर को राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। आप अनियमितताओं के प्रति अपनी आंखे मूंद लें और आपके वाईस चान्सलर यह कह दें कि मेरे पास आपसे मिलने

(श्री सज्जन सिंह)
का समय नहीं है तो आप मुझे इस मौजूदा कानून में यह बता दीजिये कि क्या आप उनकी कोई फाइनेन्शियल एड रोक सकते हैं ? या वाइस चान्सलर को अपनी बात मनवाने पर कम्पेल कर सकते हैं कि वह आपकी बात को मानें ? आज आपके एक्ट में यह नहीं है कि आप चान्सलर को कम्पेल कर सकते हैं ? अब उसमें बड़ी अनियमितताएं हुई हैं । यह डिबेटेबल पाइन्ट हो सकता है वे कह सकते हैं यह बहुत अनिवार्य मांग है । हम यह फील करते हैं और हम यह जानना चाहते हैं स्वायत्तता के नाम पर आपने यूनिवर्सिटीज को इस तरह की लिबर्टी दे रखी है कि न तो विधान सभा को चैक करने का कोई अधिकार है और न गवर्नमेंट को चैक करने का कोई अधिकार रहा । मैंने यह जरूर महसूस किया है कि इर्रेगुलेरिटीज उसमें होती हैं मैंने अखबारों में जब से यह पढ़ना शुरू किया है कि शिक्षा मंत्री ने जो गाइड लाइन दी थी कि जब तक वेतन मान निर्धारित नहीं किये जायं नियुक्तियां मत कीजिये । एक यूनिवर्सिटी मान लेती है, दूसरी यूनिवर्सिटी मान लेती है और उसके बाद लेख छापते जाते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया कि कन्ट्रोवर्सी किस लिये है ? हम यह नहीं जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के कितने अधिकार हैं, राज्य सरकार के कितने अधिकार हैं और लेजिस्लेचर के कितने अधिकार हैं ? इसमें भी मैं कनफ्यूजन महसूस करता हूं । मुख्य मंत्री जी ने अभी अभी यह कहा कि इस कानून को बदल देंगे तो पहले यह तो बतादें कि गड़बड़ी क्या है ? किस लिये बदलना चाहते हैं ? आपके मार्ग दर्शन को, आपके सिद्धान्तों को, आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर ने फ्लाउट किया है । यह तो आप मानते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है इसलिये कानून को बदलने की बात करते हैं । मुख्य मंत्री जी से मैं यह निवेदन चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता के नाम इतनी फ्रीडम दे रखी है कि जैसा वह चाहें कर सकते हैं । हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं तो इनटरवीन करके एक तरफ यह कह दिया जाता है कि गड़बड़ है, कानून में चैन्ज कर देंगे, सरकार सब कुछ कर सकती है और कर देगी दूसरी तरफ मंत्री महोदय अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुके हैं । यह एनोमोली हमारी समझ में आती नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन क्लियर करनी है । इसमें जितनी डिले करेंगे उतना ही लोगों को मौका मिलेगा । राज्य सरकार की पालिसी, पार्टी की पालिसी को यूनिवर्सिटी फ्लाउट कर रही है । एक मौका मिला है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं जो इन्क्वायरी आप करना चाहते हैं उसके लिये निश्चित समय बता दीजिये । हाउस की कमेटी को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो कम से कम यह तो कर सकते हैं कि इतने दिन में यह निर्णय पब्लिश कर दिया जायेगा । जो आप फाइन्डिग्स करते हैं उनका पता जनता को लगे, उसके लिये आप अनलिमिटेड टाइम चाहें तो, मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के पक्ष में नहीं हूं । we are forgetting the whole thing. Government sleeps over the matter and it takes its own time. इसलिये मेरा नम्र निवेदन है गवर्नमेंट को कि टाइम लिमिट तय करें और उस समय के अन्दर विधायकों को यह सूचना मिल जाय कि आपकी फाइन्डिग्स ये हैं । मुझे आशंका है कि आज बिछड़ने के बाद शायद छः महीने तक

(श्री सज्जन सिंह):
आपके दर्शन होना सम्भव नहीं होगा। उसके पहले आप कोई प्रक्रिया सोच रहे हैं। तो यह आप जानें। इसलिये आप जल्दी से जल्दी इस बात की सूचना देने की कृपा करें कि आपने क्या तय किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तथ्यों पर नहीं जाऊंगा जो तथ्य कहे जा चुके हैं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी बोल भी चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वाइस चान्सलर साहब और उनके एसोसियेट्स का राजनैतिक दृष्टिकोण है उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह दुरुस्त है। हमें खुशी होगी यदि जिस प्रश्न को इस सदन में बार बार एजीटेट किया जाता रहा है उन तथ्यों को दरगुजर नहीं करके सही रूप में देखें, उनको किसी प्रकार छोड़ा नहीं जाय। आज मुख्य मंत्री जी ने जो इस बात का आश्वासन दिलाया है वह काफी है।

दूसरा पाइन्ट सलेक्शन के सम्बन्ध में है, उसके तथ्य भी दरगुजर हो रहे हैं। और उसमें जो कन्ट्रोवर्सी हुई है, 11 जुलाई को शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि तीनों यूनिवर्सिटीज अपने सलेक्शन को दो महीने के लिए पोस्टपोन करें, क्योंकि हम यू. जी. सी. की ग्रेड लागू करने के लिये विचार कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में यह अच्छा स्टेटमेंट था। यू. जी. सी. की ग्रेड्स लागू होने के बाद अच्छे आदमियों का चयन हो सकेगा। इस तरह का स्टेटमेंट दुरुस्त था। इसमें स्वायत्तता का हनन नहीं था। यहां पर दो वाइस चान्सलर उस चीज पर एक्ट करते हैं लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर उसको रिजेक्ट करते हैं और उस जगह से ही कन्ट्रोवर्सी होना शुरू हुई है। एक तो शिक्षा मंत्री यह बता दें हमारा जो स्टेण्ड था वह सही था या गवर्नमेंट यह मानती है कि गवर्नमेंट की गलती थी और वाइस चान्सलर का स्टेटमेंट सही था या स्वायत्तता का युनिवर्सिटी में हनन किया? नम्बर दो, वाइस चान्सलर ने उस स्टेटमेंट के बाद पार्टली इस बात को न मानते हुये 26 जुलाई को कुछ पदों के लिये और आवेदन-पत्र मांग लिये लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि जिनके लिये आवेदन-पत्र मांगे गये 26 तक उन्हीं पदों का बाद में 26 की जगह 24 को चयन जारी रहा? जिनके लिये 26 तक दरख्वास्तें मांगी थीं उनका चयन 24 को हो गया, इससे अधिक अनियमितता क्या होगी? नम्बर तीन, यह सही है कि गवर्नमेंट स्वायत्तता का हनन न करे लेकिन वह स्वायत्तता किस हद तक है, जिसे गवर्नमेंट को और कानूनन यूनिवर्सिटी को मानना चाहिये, जिसके लिये वह पाबन्द है वह कहां तक मानी गयी है? श्री जी. एन. शर्मा की जगह श्री मुनीर रजाक को 26 तारीख को मनोनीत कर दिया। जी. एन. शर्मा गवर्नमेन्ट के नोमिनी नहीं रहे। यह वाइस चान्सलर तय नहीं करेंगे यह तो गवर्नमेन्ट तय करेगी। शिक्षा मंत्री जी, आपका इसमें क्या कहना है? जी. एन. शर्मा 28 तारीख को हरगोविन्द पंत और मुनीर रजाक के सलेक्शन में बैठे थे वह इल्लीगल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था या नहीं ? 28 तारीख को उनको लैटर मिल चुका था। यह मुझे पता नहीं कि उनको डिलीवर कर दिया गया था या नहीं। मुनीर रजाक गवर्नमेन्ट के नोमिनी थे। 29 तारीख को वाइस चान्सलर ने उस सलेक्शन कमेटी में विठाया। कौन वायोलेट कर रहा है कानून को ? कौन स्वायत्तता का मिस्यूज कर रहा है ? लेजिस्लेचर की पावर्स को कौन वायोलेट कर रहा है ? लेजिस्लेचर को प्रायोरिटी है जिसने गवर्नमेन्ट को क्रियेट किया, जिसने यूनिवर्सिटी को क्रियेट किया। सदन इस बात को स्वीकार करेगा, यूनिवर्सिटी में स्वायत्तता किस हद तक होनी चाहिये। उसके बारे में कई बार सदन में कहा गया है, कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता सदन की स्वायतता से बड़ी नहीं है। सदन सर्वशक्तिमान है। जिस चीज को वह क्रियेट करता है उस पर सुपरवीजन करने, कानून के अनुसार कोई चलता है या नहीं इसको देखने का काम भी सदन का है। फिर क्वालिफिकेशन के अनुसार प्रोफेसर चुने गये या नहीं ? अखबारों में चर्चा होती है और सदन आंख मींच कर बैठा रहे यह हो नहीं सकता। यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर ने यह तय किया कि 48 पर्सेन्ट वालों को ही दाखिला दिया जाय और अन्य नीचे वालों को नहीं। अच्छे अच्छे स्टूडेन्ट्स रह गये। कानून बन गया लेकिन वाइस चान्सलर के मिलने वाले आते हैं तो एक सरकुलर निकाल देते हैं कि अगर कोई स्टूडेन्ट है, वह किसी जगह एम्प्लोई है और उसके लिये एम्प्लोयर सर्टिफिकेट दे देता है कि इसको लॉ करना जरूरी है तो उसके चाहे 36 पर्सेन्ट मार्क्स भी हों तो उसको एडमिशन दिया जावेगा और इसका सोल डिस्क्रीशन वाइस चान्सलर में होगा। इस प्रकार की आर्बिट्रेरी पावर्स सिन्डीकेट के ऊपर लेने का किसने अधिकार दिया है ? हमने वाइस चान्सलर को डिक्टेटर नियुक्त नहीं किया है। He is subject to certain laws, he is subject to certain rules, he is subject to certain ordinances made by the Syndicate. लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से नहीं करें तो सदन के चैक करने का विषय है। जो इस प्रकार का स्टाफ है, वास्तव में जिनको नहीं लेना चाहिये था इनके लिए कितने सर्टिफिकेट आये हैं– इनकी इन्क्वायरी करवा लीजियेगा। मेरी दुकान में काम कर रहा है उसको ले लीजिये, what is this ? इस तरह से बेकार तरीकों से लिया गया है। इसमें अधिक न जाकर कहना चाहूंगा कि यह मामला बहुत ही गम्भीर है। केवल पंत साहब के सलेक्शन का सवाल नहीं है, इस प्रकार के एन्टी-नेशनल तत्व, एन्टी-नेशनल एलीमेन्ट्स यूनिवर्सिटी में एन्ट्रेन्ड हैं। वास्तव में राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप स्टूडेन्ट्स को शिक्षा दी जानी चाहिये। उसके अगेन्स्ट में भाई भतीजा वाद से इसको चलाने की कोशिश की जा रही है यह सदन उस चीज के खिलाफ है। हम चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्रीजी जिन बातों को यहां पर रखा गया है उनका स्टेण्ड उसके अगेन्स्ट नहीं होगा। मुख्य मंत्रीजी से बात की होगी। केवल शिक्षा मंत्रीजी का ही यह बयान नहीं मुख्य मंत्रीजी भी स्टेण्ड करते हैं। अभी यहां मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं। मैंने कहा था कि हम उनको कन्विन्स करेंगे। जो कविता माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनायी है इससे काफी संतुष्ट हुए होंगे। माननीय सदस्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बोले हैं, सदन में वे होते तो उनको भी इससे लाभ होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विस्तृत चर्चा यूनिवर्सिटी के बारे में की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो बार इन्टरवीन भी किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में सारी बातें कही थीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार काफी सक्षम है और सारी बातों को ठीक करने में किसी तरह की ढिलाई नहीं करेगी। यह भी मैं मानकर चलता हूं कि सदन सर्वोपरि है। यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी सदन से बड़ी नहीं है। सदन चाहे तो यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी रहेगी और सदन चाहे तो उस ओटोनोमी में परिवर्तन भी हो सकता है। ओटोनोमी के आधार पर कई साल से बहस चलती आ रही है और मैं तो व्यक्तिगत तरीके से मानता हूं कि ओटोनोमी के जो नोशन्स डवलप हुए, एक मिडिल क्लास की मेंटीलिटी बनी और आपात स्थिति लागू हुई, सारे परिवर्तन किये, अब ड्यूटीज डिफाइन कर रहे हैं। कान्स्टीट्यूशन के आधार पर क्या ड्युटीज होनी चाहिये उस परिप्रेक्ष्य में ओटोनामी किस तरह से चलनी चाहिये उस पर भी विचार करना पड़ेगा।

आज सदन में कानूनी बहस में यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर, सीनेट और सिन्डीकेट के बारे में कहा गया कि ये पावर में बैठे हुए हैं। कई बार निश्चित तौर पर स्वीकार करना पड़ता है कि राज्य सरकार जितनी सक्षम होनी चाहिये वो नहीं पाती है। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि राज्य सरकार सक्षम होनी चाहिए और परिवर्तन करना पड़ेगा कानून में वह निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे उस परिप्रेक्ष्य में। वाइस चान्सलर और कोई, उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा।

हम नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप किया जाय, लेकिन जो एकेडेमिक नोर्म्स होने चाहिये वे नहीं रहें, तो राज्य सरकार यह चाहेगी और देखेगी कि जो नोर्म्स अच्छी तरह से मेन्टेन नहीं किए गये हैं, उनके लिए क्या परिवर्तन होना चाहिये कानून में और वह किसी तरह से हो। वह परिवर्तन लायेगी सरकार और उससे सदन को अवगत करायेगी।

माननीय सज्जनसिंहजी और माननीय पूनमचन्दजी ने व्यक्तिगत मुद्दे उठाये। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुनीर रजाक का अपोइन्टमेन्ट किया, 26 को न होकर वह 31 को हुआ था। पहले सलेक्शन हो चुका था और राज्य सरकार ने इन्टीमेशन दे दी थी कि यू. जी. सी. के पे-स्केल्स लागू हो रहे हैं। गोपीनाथजी शर्मा को इसलिये हटाना पड़ा था और मुनीर रजाक को लेना पड़ा। यूनिवर्सिटी में यू. जी. सी. पे स्केल्स लागू करने के लिये मैं लड़ा, राज्य सरकार की इच्छा भी थी और पहले के माननीय शिक्षा मंत्रीजी खेतसिंहजी ने भी काफी कोशिश की थी कि यू. जी. सी. के पे स्केल्स जल्दी से लागू किये जाय। वह उस समय लागू किये जायं। वह उस समय लागू नहीं हो सके। किसी कारण से लागू नहीं हो सकें। वह लागू होते और अच्छे पे स्केल्स होते तो अच्छे लोग आते।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

60-70 आदमी बाहर चले गये, जो अच्छे थे क्योंकि हमारे पे-स्केल्स लो थे। इन स्थितियों के कारण हमने सोचा था कि यू. जी. सी.…

श्री मनोहर कोठारी : वाइस चान्सलर का भी मामला था इसलिए हुआ, केवल पे-स्केल का ही मामला नहीं था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसलिए यू. जी. सी. के पे स्केल लागू कर देते तो दूसरी यूनिर्वासिटी से टेलेन्ट अट्रेक्ट होते। इसी आधार पर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिया कि तीनों यूनिर्वासिटीज में सलेक्शन को रोक दिया जाये जब तक कि यू. जी. सी. के पे-स्केल लागू नहीं होते। उसी आधार पर मैंने स्टेटमेन्ट दिया और मेरे स्टेटमेन्ट देने के बाद मैंने सारी यूनिर्वासिटीज को कहा कि आप सलेक्शन मत कीजिए। इसके लिए मैंने उनको टेलीफोन भी अपने स्तर पर किये थे। मैं इस बात की आगे तफसील में नहीं जाना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी राजस्थान यूनिर्वासिटी ने सलेक्शन क्यों नहीं रोका…

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय मंत्री महोदय को विस्तार में जाना चाहिए ताकि सदन के माननीय सदस्यों को कोई भ्रम न रहे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरे स्टेटमेन्ट के और टेलीफोन के बाद 24 तारीख को मैंने तार भी दिया कि आगे सलेक्शन मत कीजिए लेकिन फिर भी सलेक्शन चालू रहे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी इसलिए गोपीनाथ शर्मा को हटाकर मुनीर रजाक को रखना पड़ा। उसके बाद जो कुछ सलेक्शन हुआ उसको सिन्डीकेट से रेक्टिफाई कराया…

श्री विजयसिंह : आपके तार देने के बाद भी सलेक्शन जारी रहा केवल यही कारण है कि you have to make amendment in the law.

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप मुझे सुन लें पहले। इसलिए मैंने गवर्नर साहब, जो कि यूनिर्वासिटी के चान्सलर हैं, से बात की थी। मैं चाहता था कि किसी तरह से यह सलेक्शन पोस्टपोन हो जायें। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि वह पोस्टपोन नहीं हुए। नहीं हुए तो कोई बात नहीं। हमने अब तय कर लिया है कि स्वायत्तता को नये आधार पर हमें तोलना पड़ेगा। अगर आप स्वायत्तता चाहते हैं तो स्वायत्तता रखकर एकेडेमिक नार्म्स रखने पड़ेंगे। मोहनसिंह जी मेहता इसके वाइस चान्सलर थे उन्होंने अलग अलग जगह से लोगों को बुलाकर यहां रखा, काफी एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट्स आये और राजस्थान यूनिर्वासिटी का निर्माण हुआ। कई सालों तक इस ढंग से इस यूनिर्वासिटी को माना जाता था, देश की प्रमुख यूनिर्वासिटीज में इसका नाम था। हम नहीं चाहते कि राज्य सरकार या राजनैतिक किसी तरह से उसमें हस्तक्षेप करके उसके नार्म्स, उसके एकेडेमिक एटमास्फीयर को विशियेट करें। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी कोई भी नीति हो चाहे वह समाजवाद की नीति हो, चाहे धर्म निरपेक्ष की नीति हो उसके विरुद्ध किसी तरह का काम किया जाये। यूनिर्वासिटी की आटोनामी के अन्तर्गत और उसकी स्वायत्तता का नाम लेकर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
हमारी नीतियां लागू नहीं होती हैं तो इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसको सरकार पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेगी और जो भी एलीमेन्ट्स इन नीतियों के विरुद्ध जाते हैं चाहे वह आनन्दमार्गी हों, चाहे आर.एस.एस. के हों कोई भी उसका विरोध करेगा उसको ठीक करने में राज्य सरकार कोई भी कोर कसर नहीं उठा रखेगी।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन किताबों का हवाला दिया। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने दोनों किताबों को पढ़ा है। पहली किताब भी पढ़ी है और दूसरी भी पढ़ी है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इम्प्रेशन है आपका?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अब वह कैसी है, क्या है मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। हरएक की दो राय हो सकती है। एक पुस्तक 'इन्डियन फोरेन पालिसी' जो कि पंतजी ने लिखी है वह किस तरह से लिखी हैं, कैसे लिखी है उस पर मेरी राय अलग हो सकती है और वाइस चान्सलर साहब की राय अलग हो सकती है। जो चुनने वाले हैं उसको वह अच्छी समझ सकते हैं। मेरी राय में वह किताब काफी घटिया किस्म की है। उस किताब में मैं तो यह मानकर चलता हूं कि वह जवाहरलाल नेहरू को भी अपोज करते, भारत सरकार की नीतियों को अपोज करते। उसके बजाय नकल करने की कोशिश की है, उस किताब में। पुलिस विशेषज्ञ खाले हैं जिन्होंने थ्योरी दी है "इन्टरमीडियेट रिजीम" की कि जो अण्डर डवलप्ड कन्ट्रीज हैं उनमें क्यों किसान पब्लिक सैक्टर का डवलपमेन्ट चाहते हैं, क्यों पूंजीवादी वहां के पब्लिक सैक्टर के डवलपमेन्ट में इन्ट्रेस्टेड हैं, क्यों मध्यम वर्ग और ऊंचे काश्तकार इसमें शरीक होकर सारी गवर्नमेन्ट को किस तरह से चलाते हैं और बावजूद इतने अन्तर्द्वन्द्व होने के सारी की सारी सरकार चलती क्यों हैं—इस बारे में उन्होंने एक प्रपोजीशन प्रोपाउन्ड किया था। उसको आधार पर खाले की थ्योरी चली और उसको लेकर समझाने की कोशिश की। वह न तो स्वयं ही समझ पाये और न अच्छी किताब ही लिख पाये। इस किताब के बारे में दो राय हो सकती है। मेरी राय यह हो सकती है तो रामानन्द जी की राय दूसरी हो सकती है। और सलेक्शन कमेटी की राय दूसरी हो सकती है...

श्री उपाध्यक्ष : इत्तफाक से एक ही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मुझे कहनी पड़ेगी कि जो भी चयन के सिद्धान्त हैं...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : दूसरी किताब के लिए आपको क्या कहना है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह सदन में पढ़ने लायक नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उसके बारे में आपके क्या विचार है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, वह किताब न तो मैं सदन में पढ़ सकता हूं और न उसके बारे में कमेन्ट्स ही

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
कर सकता हूं और सदन के माननीय सदस्यों के सामने चुप रहना ज्यादा अच्छा समझता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उनको अरेस्ट तो कर सकते हैं आब्सिनिटी एक्ट में ?

श्री उपाध्यक्ष : एक बार तो रसास्वादन कर लिया है।

श्री गोपाल जोशी : क्या राज्य सरकार किताब को बैन नहीं कर सकती है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में राज्य सरकार विचार करेगी। वह किताब मैं मुख्य मन्त्री जी को पेश करूंगा, दोनों किताबें पेश करूंगा और मुख्य मंत्री जी स्वयं निर्णय लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Your comments ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक किताब में माननीय वित्त मंत्री जी को पेश करूंगा ताकि वह प्राइवेटली उसको पढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बुनियादी बात तो यह है कि आज जिस यूनिवर्सिटी के लिए हम लड़े, जिस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सारा का सारा समाज लड़ा, जिस यूनिवर्सिटी में एकेडेमिक एक्सीलेन्स लाने के लिए चाहे वह फिजिक्स का रिसर्च हो, चाहे न्यूक्लियर बाइलॉजी का रिसर्च हो और चाहे बोटेनी का रिसर्च हो, चाहे आर्ट्स और साइन्स या और दूसरी शाखाओं का रिसर्च हो, जिनको हम अपने ज्ञान के लिए चलायें और यह बतायें कि राजस्थान किसी भी शाखा की खोज में पीछे नहीं है--उस एक्सीलेन्स के लिए समाज ने लड़ाई लड़ी और यूनिवर्सिटी को हथेली में छाले की तरह रखा, उसमें जितना एकेडेमिक वर्क हो सके उसको हमने पूरी छूट देकर उसको आगे बढ़ाया। राज्य सरकार की यह कतई इच्छा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में स्वायत्तता जिस तरह से रहनी चाहिए वह स्वायत्तता यूनिवर्सिटीज में कायम न रहे, राजनैतिक इन्टरफियरेंस उसमें हो। लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जो राज्य की मूलभूत नीतियां हैं उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी न जाये। इससे अधिक और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगला सत्र ज्यों ही होगा और अगली बार हम मिलेंगे उसके पहले मैं इसकी काफी जानकारी कर लूंगा और उसके पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को दूंगा। सारी की सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा। यह भी चाहूंगा कि जो जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बुनियादी बातों पर वाइस चान्सलर हमारे साथ हैं--यह सही हो सकता है श्री हरगोविन्द पंत के बारे में दूसरी राय हो सकती है, वाइस चान्सलर दूसरा सोचे और उस ढंग से वाइस चान्सलर की राय हमें ठीक लगे तो हम वाइस चान्सलर को बाहर करने की कोशिश नहीं करेंगे। पर निश्चित तौर से मैं पूरी जानकारी करूंगा हरगोविन्द पन्त का केस है। पहले वह प्रोफेसर होने चाहिये या डाइरेक्टर। दूसरा आग्नेय के बारे में है। मैं निश्चित तौर से जानकारी करूंगा और मुख्य मन्त्री महोदय को पेश करूंगा। अगले सत्र में मैं माननीय सदस्यों को और सदन को जानकारी प्रस्तुत कर दूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय

1 अक्टूबर, 1976 को राज्य कर्मचारियों के वेतन मानों के सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री वित्त मन्त्री जी।

श्री चंदनमल बैद : पहले हांडा जी बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : पहले वित्त मंत्री जी बोलना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम लिया है। अब आप ही बोल लें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक तारीख से नये वेतनमानों की घोषणा की है। आज उसका लोग गहराई से विवेचन कर रहे हैं, नये वेतनमानों की स्थिति क्या है। इस घोषणा से पहले आल इण्डिया रेडियो जयपुर से घोषणा हुई थी कि ये जो कैटेगरी चल रही हैं, उनको 18 केटेगरीज में कर दिया जायगा। इस घोषणा में कुछ ऐसा है जो अपने आप में प्रशंसनीय है। उसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। मैं इस घोषणा के सम्बन्ध में जैसे इन्स्योरेंस की घोषणा के सम्बन्ध में कहूंगा, कि सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को मैं दूनी राशि देने की घोषणा की है। जैसे मकान निर्माण के लिए दी गई अग्रिम राशि, अग्रिम जोखिम स्कीम प्रारम्भ करने की घोषणा की है, वह अच्छी की है। रिटायर लोगों की पेंशन में जो इजाफा हुआ है, वह सराहनीय है। राज्य कर्मचारियों के लिए जिस पे-स्केल की व्यवस्था की गई है यह अपने आप में अभूत-पूर्व कदम अवश्य है जिसके लिए राजस्थान राज्य को कह सकते हैं कि उसने यह कदम अच्छा उठाया है, इसके लिए यह केबिनेट और यह सरकार प्रशंसा की पात्र हैं। लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी कदम हैं, जिन के लिए हमे कुछ कहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते को अलग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। राज्य सरकार ने इस नीति को सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया है। मेरा निवेदन है कि कोई भी समाजवादी व्यक्ति या राज्य सरकार इस घोषणा से सहमत नहीं हो सकती है। प्राइसेज का स्टेबिलाइजेशन हुआ है यह मानता हूं। 18 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है यह मानने के लिए तैयार हूं। और अनाज ...

श्री परसराम मदेरणा : 30 मिलियन कुल था 18 मिलियन।

(2.45 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह अनाज एकत्रित किया है। इसके साथ साथ जो डीलर्लिंग की पूंजीवादी व्यवस्था पैदा की है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 2% की रेट से मंहगाई बढ़ती जा रही है। हक्सर साहब की घोषणा से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं जिसमें है कि 600 करोड़ के फाइनलाइजेशन की जरूरत है। 11% नयी करेंसी मार्केट में चले इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। इनफ्लेशन को आज मंजूर नहीं कर रहे हैं। जो किसानों के इनपुट्स है, जो

(78)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किसान यूज करता है, उसकी आज क्या कीमत है ? आज कपड़े की कीमत बढ़नी शुरू हो गई है और आप को यह इलाज नजर आ रहा है कि आप इम्पोर्ट करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं । आपका नेशनलाइजेशन स्टेबल हो गया है। चीनी और जूट के मार्केट में क्राइसिस क्रियेट हो गया है। जब तक कैपिटलिज्म खत्म नहीं होता है, यह खत्म नहीं हो सकता है फिर आपको डीलिंकिंग की व्यवस्था को खत्म करना होगा या मंहगाई रोकनी होगी। माननीय मुख्य मंत्री ने पे-स्केल फार्म किये हैं। प्रधान मंत्री में उनका पूर्णतया विश्वास है। आज भी सारे सदस्य लिंकिग फार्मूले में विश्वास करते हैं। केरल ने इसी आधार पर किया है । दूसरी स्टेट्स इसके आधार पर अपने एरियर्स कबूल करती जा रही हैं। मगर यह आपने नहीं किया। जिस समय बाम्बे में मैंटन मिल्स प्रारम्भ हुई थी, उस समय पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी लिंकिग फार्मूला ही स्वीकार किया था। अब राज्य सरकार के सामने ऐसी कौनसी समस्या बन गई है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह कहा गया है कि हम हमेशा के लिए लिंकिंग को खत्म करते हैं। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि मैं इसके सर्वथा विरुद्ध हूं। मैं इसके प्रति विरोध प्रकट करता हूं। वैसे तो 1973 के समय से जो रुपया ड्यू हुआ है कर्मचारियों का, उसका 40 करोड़ देना होगा। आज 17 करोड 50 लाख रुपया देकर राज्य के कर्मचारियों को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों में से विभिन्न स्टेजों में कितने-कितने इससे लाभान्वित होते हैं, अगर आप इस पर विचार करें तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। मेरे सामने सारे आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन मैं कहता हूं 35 हजार मिनिस्ट्रियल, 23 हजार एल. डी. सी. 40 हजार कान्सटेबल और हैड कान्सटेबल हैं, इसमें केवल निम्न तबके को लिया गया है। 25 हजार एम्पलाई है जो मैग्जिमम पर पहुंच चुके हैं। उनको कितने इन्स्टालमेन्ट का फायदा मिलने वाला है ? 25 से 60 हजार एम्पलाई ऐसे हैं जिनकी सर्विस 10 और 20 वर्ष के बीच में हैं जिनको लाभ मिलेगा उनको कोई सब्सटेन्टिव लाभ नहीं मिलेगा। 15 से 20 हजार ऐसे हैं, जो 20 और 30 वर्ष के बीच में है। अगर उनको कोई लाभ मिलेगा तो दो तीन इन्क्रीमेन्ट का लाभ मिलेगा। 12% हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। 25 हजार को अवश्य हो सकता है लेकिन 2% को क्लियरकट कोई आशा नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। 33 कैटेगरीज के बजाय यह 18 कैटेगरीज बनाई हैं। लेकिन इनमें काफी एनोमोलीज हैं। सेक्रेटेरियेट के अन्दर बैठा हुआ यू.डी.सी. और सेक्रेटेरियेट के बाहर वाला यू.डी.सी. है उसके ग्रेड के अन्दर बहुत डिफरेन्स है फिर जो जी आई. हैं, ग्रेड इन्क्रीमेन्ट हैं--एक तरफ तो सौ रुपया पर ईयर स्पेशल सर्विस के लिए और इसके बाद आपने बहुत बड़ी बात कर दी--दो या तीन रुपया क्लास फोर्थ के लिए या थर्ड ग्रेड टीचर के लिये। ग्रेड इन्क्रीमेन्ट इतना लो उनका है कि एक लोअर एम्पलायी, नान-गजेटेड एम्पलायी है उसका मन्थर गति

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
से ग्रेड इन्क्रीमेन्ट चलता है और मेक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते वह बुड्ढा होकर मर जाता है या रिटायरमेन्ट की स्टेज पर पहुंच जाता है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता है। दूसरी तरफ जो स्पेशल सर्विस के लोग हैं उनका सौ रुपया ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रखा है। डी. ए. का फायदा किनको होगा ? ज्यादा ऊंची ग्रेड वालों को या जो लोग स्पेशल सर्विस के हैं उनको। लेकिन न्यूनतम वर्ग के कर्मचारियों को कितना प्रोफिट हुआ, कितना लाभ उन लोगों को हुआ, क्लिअरली

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अन्त में एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इसके पोजीटिव और नेगेटिव फिगर दोनों ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आपने जहां कर्मचारियों को 40 करोड़ रुपया देना था वहां 17 करोड़ पचास लाख रुपया देकर अपनी जान छुड़ा ली लेकिन जबरदस्त एनोमोलीज इसके अन्दर हैं जिनको रिमूव किया जाना चाहिए। 14 से 40 रुपये फिक्सेशन के अन्दर जो आपने देने की बात की है, अभी कोई इसके रूल्स आपके पास नहीं है; किस रूप में वह होगा यह बाद में देखा जायगा। मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, इसलिए...

श्री चन्दनमल बैद : Spoken more than I will speak.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आफिस सुपरिन्टेन्ट ग्रेड (1) और अकाउन्टेन्ट का जो ग्रेड आपने रखा है उसमें भी काफी अन्तर है। किसी जमाने में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से अकाउन्टेन्ट अप जाना उन्नति का, प्रमोशन का ग्रेड माना जाता था··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की सेलेरी अधिक है और अकाउन्टेन्ट की कम। आपने भारत सरकार का जो डी.ए. का फार्मूला है उसको खत्म किया है, यह समाजवादी दृष्टिकोण तो नहीं है, घोर पूंजीवादी है। यह उसी का संकेत है जो पूंजीवादी व्यवस्था में होता है।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्रीमती निर्मलासिंह शक्तावत : सभापति महोदय, मुझे भी समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : पहले जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं, उनको समय दिया जा रहा है। बाद में आपको मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, राज्य सरकार की ओर से मुख्य मन्त्रीजी ने जो रिवाइज्ड पे-स्केल्स अनाउन्स किये हैं पहली अक्टूबर से उसके कुछ प्रास्पेक्ट्स मेरे दल के सदस्य श्री हांडाजी ने रखे हैं, कुछ बातें कही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राणावत वेतन आयोग के बाद राज्य कर्मचारियों की ओर से लगातार एक नया वेतन—आयोग नियुक्त करने की मांग की जाती रही है, जिसका मकसद यह था कि इन वेतनमानों से, जो कि राणावत वेतन—आयोग ने मुकर्रर की थीं, काफी हद तक डिस्सेटिस्फेक्शन हो गया था, किस काम के लिए कितना वेतन हो, इसका आधार बहुत दुरुस्त नहीं था, विभिन्न कामों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के अन्दर जो डिफरेन्स करना था उसका आधार सही तौर पर मुकर्रर नहीं किया गया था, मिनिमम वेज, लिविंग वेज हो–इस आधार को स्वीकार नहीं किया गया था, मिनिमम वेज और मेक्सिमम वेज में डिफरेन्स कितना हो वह डिस्टारटेड रूप में रखा गया था। इस प्रकार की कुछ मूल बातें थीं जिनको दुरुस्त करने के लिये, सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार एक नया वेतन कमीशन मुकर्रर करके सही आधार पर वेतनमानों को रिवाइज करने की मांग की गई। इस दृष्टिकोण से अगर मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को देखा जाय तो यह कहना पड़ेगा कि यह घोषणा राज्य कर्मचारियों की उस मांग के अनुरूप नहीं है जिससे उनको सन्तोष हो सकता हो। मिनिमम वेज लेवल किस लेवल के लिये क्या हो, क्या आधार माना जाय, किस काम के लिये कितना वेतन मुकर्रर किया जाय-एक काम और दूसरे काम के बीच क्या सतुलन रखा जाय। इन तमाम बातों को तय करके एक ही ग्रेड आगे बढ़ने का मौका मिले, आगे बढ़ने का इन्सपिरेशन मिले, अच्छा काम करने का मौका मिले, इस प्रकार का दृष्टिकोण न रखकर वर्तमान जो घोषणा की है केवल मात्र एक एडहाक अरेन्जमेन्ट के रूप में है। राज्य कर्मचारियों के प्रति जो जिम्मेदारी थी, अपने कमिटमेन्ट के मुताबिक सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो फार्मूला था उसके अनुसार राजस्थान के कर्मचारियों को उतना ही देने की जिम्मेदारी आ रही थी और जिसका हर सत्र में प्रश्न उठाया जाता रहा है उससे बचने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया है, एक ऐसा रूप उसको दिया गया है जिससे कि उस जिम्मेदारी से बचकर निकला जा सके। जैसा कि अभी मेरे दल के माननीय सदस्य श्री हांडा ने भी कहा कि इस घोषणा में जो पोजिटिव पहलू है सबसे ज्यादा वह यह है कि इसमें इन्श्यारेन्स वगैरह की बात तो है ही, बेसिक वेज में डी.ए. शामिल करके बेसिक वेज बना दी है जिससे कि कर्मचारी की बेसिक वेज 110 थी तो अब सारा जितना उसको मिलता था वह बेसिक वेज बन जायगी लेकिन इसके भी दूसरे परिणाम होंगे, इसके दूसरे आस्पेक्ट्स भी हैं। एक तो यह है कि आपने सब्सीक्वेन्ट फ्रीजिंग आफ वेज काफी मात्रा में किया है, काफी कर्मचारी इस तरह कन्सोलिडेशन से ग्रेड के मेग्जीमम पर पहुंच जायेंगे और बाकी सर्विस में उनको आगे किसी इन्क्रीमेन्ट की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इससे फ्रीजिंग आफ वेज हुआ। मैं समझता हूं कि एक कार्यरत कर्मचारी को प्रमोशन का इन्सपिरेशन, इन्क्रीमेंट का सोर्स जारी रहना चाहिए ताकि काम में एफिशिएन्सी आ सके, काम में अच्छाई आये। नंबर दो, जो महंगाई भत्ता है, उसके लिए न केवल इस घोषणा में कहा गया है कि आप केन्द्रीय महंगाई भत्ते से डिलिंक करेंगे बल्कि महंगाई भत्ते को बिल्कुल खतम करने की बात है। यह भी कहीं कहा है कि हम महंगाई भत्ता केन्द्र के समान नहीं देंगे लेकिन राज्य सरकार अपना अलग आधार निर्धारित करेगी। मान लीजिए 1–9–76 को इन्डेक्स नम्बर को बेस मानकर इससे आगे महंगाई बढ़ेगी, तो पहले सन 1960 को बेस थी, पर मानते थे, अब सरकार द्वारा 1–9–76 को घोषणा की गई है, उसमें सबको मिलाकर बेसिक वेज माना है तो आगे सरकार की क्या नीयत है? क्या सरकार मानती है कि मूल्य स्थर रहेंगे? सरकार की घोषणा से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऐसा लगता है कि सरकार न केवल केन्द्रीय सरकार के डी. ए. से लिंक नहीं रखेगी बल्कि सरकार अपना डी. ए. फार्मूला भी नहीं रखेगी और महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, यही बेसिक पे रहेगी। यह सरकार की घोषणा से मालूम पड़ता है। अगर यही है तो बड़ी खुशी की बात है। सरकार की तरफ से जो उत्तर आएगा उससे पता लगेगा...

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): सरकारी स्टेटमेंट से क्या समझे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि न केवल केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते से जो लिंक था उसको खत्म किया है बल्कि आपने इसके अलावा और डी. ए. देने से भी इंकार किया है। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी स्टेटमेंट आ जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि यह सिद्धांत महंगाई भत्ते का सभी राज्यों ने माना है। काफी बड़े संघर्ष के बाद सारे राज्य लागू कर रहे हैं। राजस्थान को पहल ही करनी थी तो किसी अच्छे काम के लिए करती, जैसे पंचायती राज वगैरह में की लेकिन यह गलत काम करके वर्किंग क्लास, वर्किंग पीपुल को हानि पहुंचाई है। यह रिट्रोग्रेड स्टेप है, प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर राज्य सरकार की यह नीति है कि 1-9-76 के बाद जो महंगाई बढ़ेगी तो उसके अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाएगा तो उसको क्लेरीफाई करने की जरूरत है, घोषणा करने की आवश्यकता है।

सभापतिजी, जो महंगाई भत्ते के एरियर्स सरकार के कमिटमेंट के अनुसार ड्यू थे जिसके लिए हम मांग करते रहे हैं और वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार विचार कर रही है, तो सरकार की लीगल या मोरल कोई आथोरिटी नहीं है कि जिस बात का कमिटमेंट किया हुआ था उसको राइट आफ कर दें। आप कोई नई नीति 1-9-76 से बना रहे हैं तो उसको बनायें, लेकिन उससे पहले जो आपका लिंकिंग का कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के बाहर सरकार को नहीं जाना चाहिए वरना बिट्रेयल आफ कमिटमेंट होगा, जो सरकार को नहीं करना चाहिए। खास तौर से कर्मचारियों से जिनके लिए स्वयं आपने कहा है कि इमर्जेन्सी के बाद जो पहले वाली ढिलाई थी उसमें सुधार हुआ है, एफीशियेंसी बढ़ी है। तो फिर इसका यह इनाम नहीं होना चाहिए कि आप उस कमिटमेंट से, जो कितने ही करोड़ रुपये का था, मुकरते। यदि एक किश्त में नहीं दे सकते थे, भार पड़ता था, तो स्टेगरिंग तरीका निकाल सकते थे लेकिन उस कमिटमेंट को आपने बिल्कुल राइट आफ किया है जिससे कोई भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा जो यू.जी.सी. ग्रेड्स लागू किए हैं उनको आपने बहुत ही अनफार्चुनेट स्थिति तक तोड़-मरोड़ दिया, उनकी जान ही निकाल दी। यू. जी. सी. की सिफारिशें न केवल यूनिवर्सिटी स्टाफ व कर्मचारियों के लिए थीं बल्कि कालेज टीचर्स के लिए भी थीं। आपने केवल यूनिवर्सिटी टीचर्स को यह लाभ दिया है और कालेजों को अलग रखा है। इसका कोई रेशनल आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, दूसरे राज्यों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने भी कालेज टीचर्स को यू. जी. सी. के वेतनमानों का लाभ दिया है। यूनिवर्सिटी टीचर्स को आपने अतिरिक्त महंगाई भत्ते से भी वंचित कर दिया, यह उनके साथ अन्याय किया है। हम आशा करते थे कि कालेज टीचर्स पर पहले लागू करेंगे, उनको आपने वंचित कर दिया, इसका मतलब विश्वविद्यालय में तो अच्छे लोगों को लेना चाहिए और कालेजों में नहीं। अच्छे लोगों को कालेजों में रिटेन होने नहीं दिया जाए। यह न्यायपूर्ण बात नहीं लगती।

इसके अलावा, यह बात भी आपकी घोषणा से साफ नहीं है कि पेन्शन्स के बारे में जो आपने फैसला किया वह फैमिली पेन्शन्स पर भी लागू है या नहीं, यानि विधवाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा या नहीं? आप मौन हैं, इसका मतलब उन पर लागू नहीं होगा। तो सरकार सोचे कि सबसे ज्यादा वीकर सेक्शन्स में जो पेन्शनर्स हैं, विधवायें हैं, जो आपकी सिम्पेथी डिमांड करती हैं विधवायें, उनको इसका लाभ न देना 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप नहीं होगा। उस कार्यक्रम में वीकर सेक्शन्स को अधिक से अधिक मदद देने की बात कही है, उनको उससे वंचित करना सही नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, यह घोषणा यूनीलेटरल तरीके से की है। आज राज्य कर्मचारियों का जो महासंघ है, वह एक है या ज्यादा हैं, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से हर लेवल पर चाहे टीचर्स हों, चाहे अधिकारी, उनके साथ बैठ कर बातचीत करनी चाहिए थी, उनके व्यूज लेने चाहिए थे और अब भी सरकार को यह करना चाहिए कि महासंघ व दूसरी संस्थाओं से ओपीनियन्स ले। सरकार को यह रुख लेना चाहिए कि सरकार का यह लास्ट वर्ड नहीं है, सरकार रीजनेबल बात को सुनने व समझने के लिये तैयार है। पहले तो सरकार के सामने वित्तीय कठिनाई थी लेकिन हाल ही में वित्त मंत्री के जो भाषण हुए हैं, यह सही है कि वित्तीय तौर पर राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है। तो फिर उसका लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसलिए सरकार जो पहले वित्तीय साधनों के अभाव का बहाना लेती थी, वह नहीं लेना चाहिए। मैं राज्य कर्मचारियों से भी कहूंगा कि वे आब्जेक्टिवली स्थिति का ध्यान रख कर बात करें। वित्तीय साधन क्या हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन कहीं बोनस रोका तो कहीं एम्पलायर्स के ऊपर डिवीडेंड्स की जो रुकावट थी वह हटा दी। कैपिटलिस्ट्स को इन्सपायर करने के लिये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देना और वर्कर्स का वेज फ्रीज करना, यह दुरुस्त तरीका नहीं है, समाजवाद की दिशा नहीं है बल्कि केपिटलिस्ट दिशा है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार पुनः विचार करे, कर्मचारी प्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत करे जो एनोमलीज हैं उनको दुरुस्त करें और जो बेसिक डिफेक्ट्स रह गए हैं उनको दुरुस्त करने की तैयारी करे।

श्री सभापति : श्री दीपकर।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं यह अविलम्ब-

(श्री चन्दनमल बैद)
नीय लोक महत्व की चर्चा जो है इसका समय तो सिर्फ आधा घन्टा ही होता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टू अवर्स होता है । आधा घन्टा नहीं होता ।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कराने की बात कहते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो अर्ज कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रक्रिया तथा नियम जो दिये हुए हैं उसमें सिर्फ आधा घन्टा ही दिया हुआ है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं साहब, दो घण्टे का है ।

श्री सभापति : आप जल्दी करिये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन, (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में 1–10–76 को जो सदन में घोषणा की थी उस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं । यह जो वेतनमानों को सुधारने के बारे में हमारे प्रदेश ने समय समय पर कदम उठाये हैं उसके लिये मैं मुख्य मन्त्रीजी, वित्त मन्त्रीजी और राज्य के मन्त्रिमन्डल की प्रशंसा करता हूं । इसको मैं एक बहुत ही बोल्ड स्टेप मानता हूं कि जो पहले राणावत वेतन आयोग के समय न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:15 था वह अब 1:9.4 का अनुपात हो जायगा ।

श्री चन्दनमल बैद : आपको स्वागत करना चाहिये इसका ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मेरे खयाल से राजस्थान ही ऐसा प्रदेश होगा जिसमें कि वेतनमानों में इस तरह का 1:9.4 का अनुपात है । यह तो प्रशंसा की बात है । इन वेतनमानों को डिक्लेयर करने का कारण यह था कि काफी दिनों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके वेतनमानों को सुधारने की बात चल रही थी । आज हमारे प्रान्त में यह डिक्लेअर हुआ उसका कारण यह है कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति अब हमारे मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी की सूझबूझ से काफी सुदृढ़ हो गयी है । जैसी कि वित्त मन्त्री जी ने इस सदन के अन्दर कई बार यह घोषणा की है कि अब राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है । इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया है । यह जो कदम उठाये हैं वह मैं समझता हूं कर्मचारियों के हित में हैं । इसी प्रकार राज्य सरकार ने पैन्शनों के बारे में भी लाभ दिया है रिटायर्ड कर्मचारियों को और उनको जो आगे रिटायर्ड होने वाले हैं । इसी प्रकार राज्य सरकार ने इन्श्योरेन्स के बारे में भी कुछ अच्छे कदम उठाये हैं यह सराहनीय हैं । कर्मचारियों की इन वेतनमानों के लागू होने से समाज में पोजीशन भी बनी है, प्रतिष्ठा भी बनी है क्योंकि अब कर्मचारियों को अधिक लोन मिल सकता है । चाहे वह हाउस बिल्डिंग के लिये लें, चाहे स्कूटर के लिये लोन लें उन्हें लोन अधिक मिल सकता है । इसी प्रकार इन्श्योरेन्स बढ़ जाने से भी लोन अधिक मिल सकता है । ओन दी होल कर्मचारियों की भी इससे पोजीशन सुदृढ़ होगी ।

लेकिन, सभापति महोदय, कुछ एक

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बातें इन वेतनमानों में ऐसी हैं जिसका कारण चाहे कोई रहा हो, चाहे राज्य सरकार ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आकर, ब्यूरोक्रेसी से डर कर जो युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने अपनी रिकमन्डेशन्स की थीं, युनिवर्सिटी के लेक्चरार्स के लिये, कालेज शिक्षकों के लिये और शिक्षकों के लिये उन रिकमन्डेशन्स को लागू नहीं किया। सभापति महोदय, हमारी एडजेसेन्ट स्टेट्स जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, हरियाणा है, पंजाब गवर्नमेन्ट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट है—उन सभी ने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिकमन्डेशन्स अपने यहां पर लागू कर दी हैं। लेकिन राजस्थान ने पूरी तरह से उन रिकमन्डेशन्स को लागू नहीं किया है। राज्य सरकार ने युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिकमन्डेशन्स को सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स के लिए तो लागू किया है लेकिन कालेज के लेक्चरार्स के लिए उसे लागू नहीं किया है। मैं समझता हूं यह राज्य सरकार ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के डर के मारे या उसके दबाव में आकर निर्णय नहीं किया ? अगर उनकी ग्रेड चेंज करते तो आर. ए. एस., आर. पी. एस. अधिकारियों की भी ग्रेड चेन्ज करने की बात वह लोग खड़ी करते। वह कहते कि चूंकि हमारी ग्रेड्स भी कालेज के लेक्चरार के बराबर हैं इसलिये हमें भी वही ग्रेड दो। तो कहीं आर. ए. एस. और आर. पी. एस. वाले नाराज नहीं हो जायें, आपकी ब्यूरोक्रेसी नाराज नहीं हो जाय इसलिए आपने कालेज के लेक्चरार की ग्रेड्स में कोई सुधार नहीं किया है। ऐसा मेरा थिंकिंग है। होना यह चाहिये था कि कालेज के लेक्चरार्स की ग्रेड भी युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिकमन्डेशन्स के अनुसार हो। आपने टीचर्स के लिये पी-एच. डी. को कम्पलसरी कर दिया लेकिन जनरली पी-एच. डी. करने में एक व्यक्ति को चार-पांच साल लग जाते हैं। उसके पहले वह रिसर्च स्कालर रहता है। आप यू. जी. सी. से ग्रान्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन वह सुविधा आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। अब होगा यह कि आपने जब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स की ग्रेड सुधार दी तो अच्छे से अच्छे लेक्चरार्स तो युनिवर्सिटी में चले जायेंगे और जो कालेज डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर हैं उनमें अच्छे शिक्षक नहीं आ पायेंगे। नतीजा यह होगा डिस्ट्रिक्ट्स से जो भी स्टफ विद्यार्थियों का निकलेगा वह हल्के स्तर का निकलेगा। वैसे भी बड़े शहरों की अपेक्षा डिस्ट्रिक्ट्स के लड़कों का स्टेण्डर्ड गिरा हुआ ही है। अच्छे और होशियार लेक्चरार्स डिस्ट्रिक्ट में जाना पसन्द नहीं करते। अतः उनसे कम स्टेण्डर्ड के लोगों को वहां नौकरी मिलती है। तो जो युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का पर्पज है कि देश में अच्छी शिक्षा मिले वह डिफीट हो जायेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र के लोगों से कम्पीटीशन में बराबरी नहीं करने देंगे। आज भी शहरी क्षेत्र के लड़कों से ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों का स्टैण्डर्ड हल्का होता है। अतः जब कभी कम्पीटीशन होता है सरकारी नौकरियों में तो उसमें शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा आते हैं। अब शहर में वही लोग पढ़ने आ सकते हैं जो कि पैसे वाले हैं, अमीर हैं। दूसरा वर्ग ऐसा है जो गरीब है वह अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में, चाहे वह जोधपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर विश्व-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
विद्यालय हो, पढ़ने भेजने की हिम्मत नहीं करता। तो नेचुरली जब लेक्चरर्स का निम्न स्तर है तो चाहे, आई. एस. एस. की परीक्षा हो, चाहे, आई. पी. एस. की परीक्षा हो, चाहे आर. ए. एस. की परीक्षा हो, चाहे आर. पी. एस. की परीक्षा हो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोगों से आगे नहीं आ पायेंगे और नतीजा यह होगा कि आई. पी. एस. और आई. ए. एस. और स्टेट सर्विसेज में आपको शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि कालेज के लेक्चरार्स को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिकमन्डेशनन्स के हिसाब से ग्रेड दें जैसे कि आपने विश्वविद्यालय के लेक्चरार्स को ग्रेड दी है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे शिक्षक आ सकें ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों के स्तर में भी सुधार हो सके, वह लोग भी आगे बढ़ सकें और वह लोग भी आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में कम्पीटीशन में आ सके। जैसा कि सदन में थोड़े समय पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है, 10+2+3 की नीति अपनाने जा रही है यदि आप शिक्षा का स्तर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कालेज के लेक्चरार्स के स्तर को ऊंचा उठाना होगा।

इसके अलावा राज्य सरकार ने वेतन मानों में 33 श्रृंखलायें रखी हैं, उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि ये श्रृंखलाएं 15 से लेकर 18 तक रखनी चाहिये। इसके अलावा इन्हीं वेतन श्रृंखलाओं में जो वेतन श्रृंखला नम्बर 15, 17 और 18 है उसमें काफी डिसपेरिटी है। एल.डी.सी. से यू.डी.सी. की पोस्ट पर काम करने वालों के प्रमोशन के चान्सेज कम हैं खास तौर से डिस्ट्रिक्ट्स हैड क्वार्टर्स पर। मान लिजिये अलवर डिस्ट्रिक्ट में हो तो एल. डी. सी. से यू. डी. सी. की पोस्ट पर प्रमोशन के चान्सेज कम हैं। वह बेचारा व्यक्ति एल. डी. सी. की पोस्ट पर ही रिटायर हो जाता है। उसको इसका फायदा ही नहीं मिल सकता। उसकी ग्रेड वहीं समाप्त हो जायेगी। अगर आप एल. डी. सी. और यू. डी. सी. की ग्रेड एक कर दें तो चाहे उस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो पर उसका ग्रेड इन्क्रीमेंट तो चलता रहेगा। हो सकता है हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एल. डी. सी. से यू. डी. सी. बनने के चान्सेज ज्यादा हों। वह आगे सुपरिन्टेन्डेन्ट भी बन सकता है, लेकिन वह जयपुर में नहीं बन सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस ग्रेड के बारे में कुछ सोचें। इसके अलावा, सभापति महोदय, कई विभाग ऐसे हैं जहां पर प्रमोशन के एवेन्यूज ज्यादा होते हैं जैसे आपका सार्वजनिक निर्माण डिपार्टमेंट उसमें एक व्यक्ति असिस्टेन्ट इंजीनियर कई वर्षों तक रहता है और बाद में एक्स. ई. एन. बन पाता है, लेकिन वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट में प्रमोशन्स के चान्सेज ज्यादा हैं। जो लोग पी.डब्ल्यू.डी में सन् 1955-56 में ए.ई.एन थे वह ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हो गये या कोई एकाध एस.ई. बन गया लेकिन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में उसी साल में जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर थे वह आज सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और एडीशनल चीफ इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर तक

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
हो गये जब कि बराबरी की योग्यता उन लोगों की थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे कदम उठाने चाहिये कि जिससे उन लोगों में किसी प्रकार की हार्टबर्निंग नहीं हो और उनको प्रमोशन्स मिलें। इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आपको इसके बारे में भी कदम उठाने चाहिये।

तीसरी बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं जो सेक्रेटेरियट में यू.डी.सी. हैं और दूसरी जगह पर यू. डी. सी. हैं उनके वेतन में फर्क कर रखा है। सेक्रेटेरियट के यू. डी. सी. को ज्यादा मिलता है और दूसरी जगह के यू. डी. सी. को उससे कम मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेक्रेटेरियट वाला यू. डी. सी. ज्यादा योग्यता रखता है? क्या वह ज्यादा योग्य है? प्रशासन को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि दोनों का समान वेतन हो।

श्री सभापति : श्री बिश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री चेतराम।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : आपका नाम इसमें नहीं है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : सभापति महोदय, मुझे समय दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : वक्ता काफी बोल चुके हैं इसलिये अब समय देने का कोई प्रश्न नहीं रह गया है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, थोड़ा समय दे दीजिये।

श्री सभापति : आपको पांच मिनिट का समय दे सकता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : पांच मिनिट तो क्या दो मिनिट में ही खतम कर दूंगी। आप समय तो दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, इस माह के प्रथम दिन हमारे मुख्य मन्त्री जी ने नये वेतनमानों की घोषणा की। यह एक सराहनीय कदम है। इससे हमारे मध्यम-वर्गीय सभी परिवारों को राहत मिली है, परन्तु सबसे अहम प्रश्न जो पैदा हो रहा है वह यह है कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके वेतनमान तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में काफी अधिक असमानता रखी गई है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यू. जी. सी. की पे स्केल देकर महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ न्याय नहीं किया गया है। मान्यवर, हमारी संस्कृति में हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों को महत्व दिया गया है। विश्व युद्ध के समय जापान के तहस-नहस होने के उपरांत वहां शिक्षकों को अधिक महत्व दिया है चाहे वे रेल में सफर करते हों, और चाहे बसों में सफर करते हों, सबसे अधिक प्राथमिकता उनको दी जाती है। कहने का मतलब है कि शिक्षकों को सभी प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त होकर सोचने का समय दिया जाय तो वे शोध कार्य ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनके सोचने की शक्ति में कई तरह का विकास हो सकता है परन्तु, इस

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

समय जो घोषणा की गई है उसमें यह अन्तर रखा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कई बार घोषणायें की हैं कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाना चाहिये। एक ही प्रकार का सिलेबस, एक ही प्रकार का कोर्स वहीं राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ाना पड़ता है और वही विश्वविद्यालयों में पढ़ाना पड़ता है। एक ही प्रकार का कार्य दोनों को करना पड़ता है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने यह बात कही है कि यदि शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी की जायगी तो केन्द्रीय सरकार सरकारों को पांच वर्ष के लिये विशेष सहायता देगी। मान्यवर, जब केन्द्रीय सरकार विशेष सहायता दे रही है और जब दूसरी स्टेट्स ने भी यह माना है और विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में एक ही वेतनमान की घोषणा की है तो आप तुलना मत कीजिये प्रशासन के अन्य कर्मचारियों से जो पुलिस सेवा में हैं, या अन्य प्रकार की प्रशासन की सेवा में हैं। उनको कई प्रकार के और अलाउन्सेज दिये जाते हैं, उनके प्रमोशन का कोटा भी बहुत ज्यादा है। जो व्याख्याता होते हैं उनमें से सीनियर पद के लिये केवल 10 प्रतिशत व्यक्ति ही प्रमोशन पा सकते हैं जब कि प्रशासन वाला व्यक्ति सलेक्शन ग्रेड में आ गया है तो उसका आई. ए. एस. तक प्रमोशन हो सकता है। मुझे यह समझ में नहीं आता है, इस प्रकार की असमानता उसमें दी गई है।

सभापति महोदय, आपने कहा कि पांच मिनिट का ही समय मिलेगा, मैं अपनी बात दो मिनिट में ही समाप्त करती हूं। मेरा इतना ही निवेदन है कि समान काम के लिये समान वेतन का सिद्धान्त राजस्थान में भी माना जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं समझता था माननीय मुख्य मंत्रीजी के ब्यौरेवार बताने के बाद कोई बात नहीं बचेगी जिसमें वक्तव्य देना पड़े। मैं यह भी मानता हूं जो वक्तव्य नये वेतन स्केल के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया उसका सारे राजस्थान में सब कर्मचारियों के द्वारा स्वागत हुआ है। उस कदम की न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में काफी चर्चा हुई है। यह बताया गया है कि राजस्थान ने सचमुच एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में दूसरी स्टेट्स को भी सोचना चाहिये। बहरहाल राजस्थान सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और दूसरी स्टेट्स भी इस बारे में सोच रही हैं।

सभापति महोदय, कुछ ऐसी बातें उठाई गई हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं शायद लोगों को भ्रम रह गया है। असली बात मैं यही अर्ज करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की संख्या 2 लाख 75 हजार के करीब है, थोड़ी बहुत इधर-उधर हो सकती है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या 2 करोड़ 75 लाख के करीब है और की जनता के हिसाब से सरकारी कर्मचारी एक प्रतिशत हैं। जब हम कोई कदम उठा रहे हैं तो उसके साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि राजस्थान सरकार के कोष पर एक प्रतिशत के लिये कितना बोझ डालना चाहिये

(श्री चन्दनमल बैद)

आखिर हम तीन करोड़ की जनसंख्या के प्रतिनिधि बन कर आये हैं तो हम यह ध्यान रखें कि राज्य कर्मचारी प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत है उस एक प्रतिशत के लिये ही हम काम करें और 99 प्रतिशत को भूल जायं यह बहुत बड़ी गलती होगी। अभी जो वेतनमान घोषित हुये हैं उनसे साढ़े सतरह करोड़ का भार राज्य कोष पर पड़ा है। मैं समझता हूं यह एक हिम्मत की बात है। यह बोझ भी इस तरह का डाला गया है कि नये टैक्स नहीं लगाये गये और 6 रु. प्रति व्यक्ति बोझ पड़ा है। 6 रुपये प्रति व्यक्ति बोझ डाला है और बिना टैक्स लगाये डाला है और वह भी एक प्रतिशत के लिये डाला है। दूसरी बात यह भी सोचनी चाहिये, साढ़े सतरह करोड़ का जिन्हें फायदा हो रहा है उनमें अधिकांश तो नीचे के कर्मचारी हैं ऊपर के कर्मचारी इतने नहीं हैं और एक कर्मचारी को साल में 600) रुपये का फायदा ज्यादा मिलेगा। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन एवरेज में 600) रुपये प्रति वर्ष का एक कर्मचारी को ज्यादा मिलेगा। यहां खड़े होकर, कर्मचारियों को खुश करने के लिये बड़ी बड़ी बात कह सकते है और 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तो क्या 10 हजार करोड़ के लिये भी कह सकते हैं कि क्यों नहीं दिया जाता है? लेकिन यह सोचना चाहिये कि हमारे साधन क्या हैं और उन साधनों के अन्दर हम एक प्रतिशत जनता के लिये क्या कर सकते हैं? आज जो राज्य कर्मचारियों के लिये किया है उसका सदन को स्वागत करना चाहिये या और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको देखना चाहिये कि राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट में नीचे और ऊपर में 1:15 का अनुपात था वह हमने 1:9:4 का अनुपात किया है। कोई भी प्रदेश बतायें जिसमें ऊपर से ऊपर में और नीचे से नीचे में इतना अन्तर है? मैं समझता हूं किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। यदि आप केरल का भी उदाहरण देते तो भी मैं समझता कि आपने इस बारे में कोई उदाहरण दिया।

इससे सारे राजस्थान के कर्मचारी खुश हुए हैं और यह सब कुछ बिना टैक्स लगाये हुये किया है। एक एक कर्मचारी को सन्तुष्ट किया है। जब मैंने पिछला बजट पेश किया था तो कोई घमण्ड की बात नहीं कही थी कि बिना टैक्स लगाये रेवेन्यू बढ़ाई जायगी। आज सारे राजस्थान के कर्मचारियों के परिश्रम से हमारी राजस्व की स्थिति काफी मजबूत हुई है और आज राज्य कर्मचारियों के परिश्रम के नाते ही उनके पे स्केल्स में वृद्धि की है। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, बेटर रियेलाइजेशन से और अच्छी वसूली करके जो आमदनी के स्रोत बढ़ाये हैं, उन साधनों से ही हम दे रहे हैं।

जैसा कल अर्ज किया था, सड़कों के लिये तीन करोड़ रुपये और बांधों के लिये दो करोड़ रुपये दिये हैं। अब हम सोच रहे हैं और किस किस काम के लिये हम पैसा दे सकते हैं। राज्य की जो भी आमदनी है उसमें सब का हिस्सा है। जहां राज्य कर्मचारियों ने अनुशासन के साथ काम किया है, उनका हिस्सा है तो हमारी जनता का भी हिस्सा है जिसने सहयोग किया इस सारे राज्य के डेवलपमेंट में। नान प्लान और प्लान, दोनों में खर्च कर के अपनी बहबूदी

(श्री चन्दन मल बैद)

का हिस्सा सब को देना चाहते हैं। जो भी काम सरकार ने किये हैं प्रशंसनीय हैं...

एक माननीय सदस्य : जयगढ़ में कुछ खजाना मिला क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां। जयगढ़ में मिला है परिश्रम। दो किसान थे। एक किसान ने खेत पर कुछ काम नहीं किया, उसके खेत में कुछ नहीं हुआ। दूसरे किसान ने खूब मेहनत से काम किया, परिश्रम किया उसे मेहनत का फल मिला, खूब खेती हुई। राजस्थान में हम लोग इस परिश्रम में विश्वास करते हैं। हमने परिश्रम के साथ काम किया। हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी हुई तो और डेवलपमेंट के काम किये। राज्य कर्मचारियों पर और दूसरे कार्यों पर पैसा खर्च कर रहे हैं इससे आपको खुश होना चाहिये।

एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं। अभी कहा गया कि बड़े कर्मचारियों को ज्यादा पैसा मिलता है और छोटे कर्मचारियों को कम मिलता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी कर्मचारी को 14 रुपये से कम और 40 रुपये से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी जायेगी। हमने जो बढ़ोतरी दी है कम से कम 14 रुपये की दी है और ज्यादा से ज्यादा 40 रुपये की। एक चपरासी को, जिसका वेतनमान 60–2–70–3–85 था, 14 रुपये कम से कम जरूर मिलेंगे। 14 और 40 का यह कितना अन्तर है, आप समझ लीजिये। यह तिगुना अन्तर भी नहीं है। आप समाजवाद की दुहाई दे कर कुछ भी कहें लेकिन मैं कहता हूं कि सच्चे समाजवाद की ओर कोई बढ रहा है तो हम बढ़ रहे हैं यहां भाषण देकर के काफी पीने चले जाते हैं, इससे समाजवाद नहीं आता। यहां भाषण दिया और चल दिये कॉफी पीने। थोड़ी देर नहीं रुके। मैंने कहा मेरा जवाब तो सुनकर जाइये लेकिन दोनों ही माननीय सदस्यों ने, जो कि साम्यवादी हैं, भाषण दिया और कॉफी पीने...

एक माननीय सदस्य : कॉफी या और कुछ ?

श्री चन्दनमल बैद : पता नहीं क्या पीने। मैं तो कॉफी के लिये कहूंगा, काफी मुझे अच्छी लगती है।

एक माननीय सदस्य : आपकी आमदनी हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : एक प्रश्न उठाया गया डी-लिंकिंग का। हर स्टेट को अपने साधनों के अनुसार कार्य करना चाहिये। भारत सरकार के अलग साधन हैं, हमारे साधन अलग हैं। भारत सरकार से लिंक करके चलें, यह उचित नहीं। एक दफा कभी भारत से लिंक कर दिया। हमने उचित समझा 1-9-76 को जितनी भी महंगाई है उसको इन्क्लूड करके वेतनमान बना दें और साफ कह दें कि हमारा भारत सरकार से कोई लिंक नहीं है। आगे कोई महंगाई होगी तो अपना पेटर्न बनायेंगे अपना तरीका सोचेंगे।

एक माननीय सदस्य : वे आ गये पी के।

श्री चन्दनमल बैद : एक फैमिली पेन्शन के बारे में सवाल उठाया गया कि

(श्री चन्दन मल बैद)

फेमिली पेन्शन पर यह लागू होगा कि नहीं ? इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि यह फेमिली पेन्शन पर भी लागू होगा।

सभापति महोदय, मैं यह उचित समझता हूँ कि, जो मुद्दे उठाये गये हैं उन मुद्दों के बारे में रिटन स्टेटमेंट देना चाहता हूं। वह पढ़कर सुना दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वह रिकार्ड भी हो जायेगा व भ्रम भी दूर हो जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : आम जनता के बारे में...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एम. एल. ए. की तन्खवाह चपरासी के बराबर रह गई है, इस पर भी ध्यान दें।

श्री चन्दनमल बैद : आप इस राज्य के मालिक हैं, आप चाहे 10 हजार कर दें।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में लागू नहीं किये गये हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान उपरोक्त विद्यालयों में लागू न करने के कारण यह हैं :

(1) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतममान राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों से सदा अच्छे रहे हैं, इसके अलावा उनकी सेवा की शर्तें राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा की शर्तों से भिन्न हैं।

(2) राजकीय महाविद्यालयों के वेतनमान अन्य राज्य सेवाओं के समकक्ष रखते आये हैं और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान अन्य राजकीय सेवाओं के वेतनमान के समान कर दिए जाने पर वेतनमान संरचना में असंतुलन पैदा होने के कारण बुरा असर होता है और इससे अन्य राजकीय सेवाओं के कर्मचारियों में असंतोष पदा होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नए वेतनमान और उनमें निहित सिद्धांत राजकीय कार्पोरेशनों पर लागू नहीं होते हैं। ऐसी संस्थायें ऐसे मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। वर्तमान में जुडिशियल विभाग के कर्मचारियों के लिए राजकीय वेतनमान लागू हैं। जुडिशियल विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजकीय वेतनमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् ही लागू किये जाते हैं। इस बार भी संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के लिये नियम बनने के पश्चात् उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही उन पर लागू किये जायेंगे।

वर्तमान में प्रचलित वेतनमानों के संशोधन की सूची, जिसका उल्लेख सदन में 1-10-76 की घोषणा में किया गया था, सदन की मेज पर रख रहा हूं। इन संशोधित वेतनमानों की सूची में वेतन वृद्धियों का उल्लेख है।

(सूची सदन के पटल पर रखी गई)

(श्री चन्दनमल बैद)

सभापति महोदय, आपकी अनुमति से में कुछ वेतनमान पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि यह कहा गया है कि उसमें ग्रेड इन्क्रीमेंट नहीं रखा है और न मालूम क्या वेतनमान होंगे।

पहिला वेतनमान है 60-2-70-3-85 जिसे अब 240-3-270-4-290 कर दिया गया है। इसी तरह से नं. दो का वेतनमान 66-2-90 और 66-3-102 था जिसे अब बढ़ाकर 245-3-257-4-265-5-310 कर दिया गया है।

चेयरमैन महोदय, चूंकि यह स्टेटमेंट मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं सारा पढ़कर नहीं सुनाऊंगा लेकिन एक बात में अर्ज करना चाहता हूं।

आखिर में जो 33 नं. स्केल है वह पहले 2000–100–2500 था उसे अब 2500 फिक्स कर दिया है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां यह कहा गया कि बड़े अफसरों के वेतन मान में दो गुना और तीन गुना वृद्धि हो गई है ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है। 2000 100–2500 वाले को हमने केवल 2500 पर फिक्स रखा है। हमने इस तरह का पूरा खयाल रखा है जो असमानता है वह असमानता अब कम कर दी है और इससे आपको मालूम होगा कि अब डिफरेन्स केवल

एक माननीय सदस्य : Difference is ten times.

श्री चन्दनमल बैद : 9. 4.

वर्तमान में प्रचलित वेतनमानों के संशोधन की सूची, जिसका उल्लेख सदन में 1-10-76 की घोषणा में किया गया था, सदन की मेज पर रख रहा हूं। इस संशोधित वेतनमानों की सूची में वेतन वृद्धियों का भी उल्लेख है।

पिछला वेतनमान रिवीजन राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के बाद 1–9–68 से लागू किया गया था। इस आयोग ने वेतनमानों के बारे में सिफारशें कर्मचारियों की योग्यताएं, भर्ती का तरीका, पदोन्नति के अवसर व पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की पूर्ण रूप से जांच करने के बाद की थी। अत: उनमें अब परिवर्तन करना उचित समझा गया अर्थात् नये समीकरण (इक्वेशन) की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इसीलिए स्केल टू स्केल रिवीजन किया गया है। केवल वर्तमान स्केल नम्बर 2 एवं 2 (ए) को नये संशोधित वेतनमान नं. 2 में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा वेटेनरी सर्जन जो वर्तमान में 275–650 के वेतनमान में हैं उन्हें वर्तमान वेतनमान 300–800 अर्थात उसके समकक्ष संशोधित वेतनमान 650–1270 दिया गया है और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

1–10–76 को सदन में वेतनमानों के बारे में जो वक्तव्य दिया गया उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार ने जीवन-यापन के केन्द्रीय सूचकांक से सम्बद्ध महंगाई भत्ते का केन्द्रीय पैटर्न से राज्य के महंगाई भत्ते के पैटर्न को अलग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। भविष्य में महंगाई भत्ता तथा उसके पैटर्न में सरकार अपना स्वतन्त्र निर्णय लेगी। जो महंगाई भत्ता 1–9–76 को (चाहे इसे किसी भी

(श्री चन्दनमल बैद)

नाम से जाना जाता हो) सभी घटकों को मिलाकर 1-9-76 से कर्मचारियों के वेतनमानों में जो इस तारीख को मिलते थे उनमें 14 रु. से 40 रु. तक अधिक जोड़ कर तथा वेतन निर्धारण का लाभ देते हुए वेतनमानों में प्राय: ग्रेड इन्क्रीमेंट बढ़ाते हुए रिवाइज करने का निश्चय किया है। इसके अलावा दस साल की सर्विस के लिये एक ग्रेड इन्क्रीमेंट, बीस साल की सर्विस के लिए दो ग्रेड इन्क्रीमेंट तथा तीस साल की सर्विस के लिए तीन ग्रेड इन्क्रीमेन्ट और दिये गये हैं। यह सुविधा 1000) से कम वेतन पाने वालों को ही मिलेगी। इस बात का ख्याल रखा गया है कि दस साल, बीस साल और तीस साल जिन लोगों ने सर्विस करली है और उनके वेततमान 1 हजार से अधिक नहीं है उनको क्रमश: एक, दो और तीन ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिलेंगे लेकिन 1 हजार से अधिक वेतन पाने वालों को यह नहीं मिलेंगे।

इन वेतममानों में 1-9-76 की स्थिति का सारा महंगाई भत्ता शामिल हो गया है। इसलिए इस समय रिवाइज्ड वेतनमानों के साथ महंगाई भत्ता देने का कोई प्रश्न नहीं है।

पेन्शनरों को सहायता देने के मामले में राज्य सरकार सदैव अपना पैटर्न ही अपनाती रही है। अत: केन्द्रीय सरकार की घोषणाओं के अनुसार पेन्शनर्स को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

विधेयक पर विचार विधायी कार्य

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री सभापति : विधायी कार्य !

माननीय वित्त मंत्रीजी !

विचारार्थ लिया जाने वाले विधेयक।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचाराथ लिया गया।

श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, जैसा कि पहले कहा गया था माननीय मत्रीजी की ओर से कि 75 पैसे में 15 पैसे के बजाय 11 पैसे ही मिल पाते हैं। अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है इसका क्या कारण है ? इसका स्पष्टीकरण करें। क्या नियम है ? कुल टोटल मिलाकर 15 पैसे आने चाहिये या घटने चाहिये ?

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मेरा भी एक संशोधन है क्लाज 2 पर।

श्री सभापति : खण्ड 2 पर है। इनके प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया इसलिए उनको मौका दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : पहले 75 पैसे पर आब्जेक्शन कर रहे थे। हमारे मंत्री महोदय ने 1 रुपया कर दिया। विद्युत पर और भी टैक्स बढ़ाने की मंशा है। बिजली हमारे विकास में आवश्यक अंग हो गयी है उद्योग और कृषि से सम्बन्धित जितने भी साधन हैं उनमें विद्युत एक आवश्यक अंग के रूप में हो गयी है। इस पर लगातार टैक्सेज का बढ़ाना उचित नहीं है। इस डिपार्टमेंट पर तो आप कृपादृष्टि रखें। और भी स्रोत है, रास्ते हैं। जब तक कास्ट आफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी तब तक महंगाई जो है वह कम नहीं होगी। इसके उपरान्त टैक्स को कम करने के बजाय और आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, पहले 75 पैसे थे अब 1 रुपया कर दिया।

माननीय मंत्री जी, इसके साथ ही मानता हूं कि बिजली प्रोडक्शन पर राज्य सरकार को काफी खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जितना प्रोडक्शन होता है उसका पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। 1/3 ही उपयोग कर पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं कर पायेंगे तब तक काम होगा नहीं। सरकार की अपनी नीतियों की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो और अधिक कनेक्शन मिलें तो आपको टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। टैक्स बढ़ाने की प्रवृत्ति में कमी भी आ सकेगी।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जितना बिजली का प्रोडक्शन है उसके वितरण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वह जनता से सम्बन्धित है, बड़े बड़े उद्योगों से सम्बन्धित है। जनमत जानने के लिए इसको भेज दिया जाय ताकि अच्छे विचार आप को इस पर मिल सकें।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मेरी जगह केशरीमल जी बोलेंगे।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : जैसा बिल सामने आया था उसमें यह दर्शाया गया था कि 11 पैसे मिल रहे हैं, मिलने चाहिये 15 पैसे। उसको पूरा करने के लिये 60 पैसे से बढ़ा कर 75 पैसे कर दिये जायं। यह अमेन्डमेन्ट देखा, इसमें 75 पैसे के बजाय 100 पैसे कर दिये जायं, यह कहा गया है। जो इरादा 15 पैसे पूरे लेने का बताया गया था वह तो नहीं है। वह तो फिर कहने की बात थी। आज हालत दूसरी है। बिजली ले रहे हैं, वैसे ही पैसे बहुत बढ़ गये हैं। मिनिमम चार्जेज देने पड़ते हैं। अब बढ़ाने की बात कही गयी है क्योंकि ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। 11 पैसे से 15 पैसे करने की बात थी लेकिन अब एक नया इम्प्रूवमेन्ट करने जा रहे हैं। कल आगे और बढ़ा सकते है। विद्युत शुल्क आगे जाकर सौ प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसलिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह आम जनता पर भारी भार होगा और जनता भार वहन करने में समर्थ नहीं है। उनके सामने

(श्री केशरी मल)

पेचीदगियां और मुश्किलें लाते हैं। और भी मुश्किलात आवेंगी उनको सहन करना मुश्किल होगा। पीछे के दरवाजे से बढ़ने की बात की जा रही है उसको रोका जाय और इतना न बढ़ा जाय कि मुश्किल हो जाय।

श्री सभापति : खण्ड 2 में संशोधन है।

श्री चन्दनमल बैद : संशोधन मूव करूं।

श्री सभापति : संशोधन मूव कर दीजियेगा और जवाब दे दीजियेगा।

श्री मीठालाल मीणा : खण्ड 2 पर तो हमें भी बोलना है।

श्री सभापति : खण्ड 2 पर मूव करेंगे अमेन्डमेन्ट उसके बाद आप बोल लें। इसको विचारार्थ ले लिया गया था इसलिये वह व्यवस्था की गयी है।

श्री चन्दनमल बैद : आपका कहना यह है कि प्रवर समिति का जो संशोधन रखा है उसका जवाब दे दूं।

श्री सभापति : इसको विचारार्थ ले लिया गया है इसलिये वह स्टेज निकल गयी।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के परन्तुक (1 ए) में अभिव्यक्ति "60 नये पैसे" के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अभिव्यक्ति "पचहत्तर पैसे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक रुपया" प्रतिस्थापित की जावे।

श्री सभापति : मीठालाल जी बोलना चाहते हैं ?

श्री मीठालाल : सभापति महोदय, पहले आपकी नीयत यह थी कि 60 पैसे में 15 पैसे मिलने चाहिये उनकी जगह 11 मिलते हैं। 60 के बजाय 75 बढ़ाये और अब 100 बढ़ा दिये। चार पैसे का पहले घाटा रहता था इसलिये अब 75 रखना चाहते हैं तो उसकी जगह 64 रख दीजिये। किस आधार पर 75 और उससे बढ़ा कर रखा है। स्पष्ट नीयत है कि आगे जाकर आप और बढ़ायेंगे। इसलिये मेरा संशोधन प्रस्ताव है :

खण्ड 2 के अन्त में शब्द "Seventy five paise" के स्थान पर शब्द "Sixty four paise" प्रतिस्थापित किया जावे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं इस संबंध में बोलना चाहता हूं। यह तो माननीय मंत्री महोदय ने वह बात की कि कोई आदमी घोड़े पर बैठा हुआ था और उसने उसके पीछे भार लाद रखा था तो उसने वह भार उठाकर अपने सिर पर रख दिया और कहा कि अब घोड़े पर भार कम हो गया....

श्री चन्दनमल बैद : भार दोनों पर हो गया।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उसकी तो यही भावना थी आपकी तरह की कि उसका भार कम हो गया। आपने 15 की जगह 11 पैसा किया लेकिन अब 60 की जगह 100 कर दिया यह आपकी वसूली बढ़ाने का कौन सा तरीका है ? यह समझ में नहीं आया।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, यह इसलिए किया गया कि पिछले बजट सत्र में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी वह हमने 1 पैसा बढ़ाई थी। इसमें जो हमारे कार्मशियल टेम्प्रेरी कनेक्शन होते हैं उनका रेट इस प्रकार से है : रेगुलर कनेक्शन 55 पैसा। टेम्प्रेरी कनेक्शन 66 पैसा। उस पर रिबेट 5 पैसा होती है। इस तरह से यह 61 पैसा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 15 पैसा है। वह मिलाकर 76 पैसा होता है तो 75 पैसा करने पर भी हमको 1 पैसे का घाटा होता था। इसलिए ऊपर की लिमिट हमने एक रुपये की रखी है जिससे कि 76 पैसा लेने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए 60 पैसे की जगह 75 पैसा नहीं करके एक रुपया किया है।

जहां तक यह कहा गया कि गरीबों पर बहुत बोझा पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो एग्रीकल्चरल लोड पर भाव है ही नहीं। इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट पर तो बोझा पड़ने का प्रश्न नहीं होता। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के भी भाव बढ़ने का प्रश्न नहीं होता और जहां तक इन्डस्ट्रीज का सवाल है तो नयी इन्डस्ट्रीज जितनी लगती हैं उस पर एक नया पैसा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। इसलिए उनका भी सवाल नहीं है। इसलिए जो टेम्प्रेरी कनेक्शन कार्मशियल पर्पजेज के लिए लेते हैं उनको इसके अन्दर कवर किया जा सके इसलिए यह प्रावधान किया जा रहा है।

एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि अभी नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग स्टेट्स की सर्वोच्च मीटिंग है जिसमें सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, सेन्ट्रल केबिनेट के मिनिस्टर्स आते हैं और प्राइम मिनिस्टर इसको प्रिसाइड करती हैं। उसमें एक प्रस्ताव पास किया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिकवरी के जो साधन हैं उनके कारण स्टेट पर बोझा नहीं होना चाहिए बल्कि स्टेट के रिसोर्सेज को सप्लीमेन्ट करने वाला होना चाहिए। आज भी जो स्थिति इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है वह अर्ज करना चाहता हूं। 31–3–75 को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमारा इन्वेस्टमेन्ट 201 करोड़ के आसपास है। 31–3–77 को यह बढ़कर 225 करोड़ 93 लाख हो जायेगा और इसमें किसी पर 4 पर्सेन्ट के हिसाब से और किसी पर 5 पर्सेन्ट और 6 पर्सेन्ट के हिसाब से हम इन्ट्रेस्ट सोचें तो इसका 1975–76 में 11।। करोड़ का इन्ट्रेस्ट मिलना चाहिए उसके बजाय 4 करोड़ 42 लाख मिला है। याने 7 करोड़ 8 लाख रुपये का इन्ट्रेस्ट में घाटा रहा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेन्ट हमने कर रखा है और उसमें हम यह चाहते हैं कि कम से कम स्टेट पर उसका बोझा नहीं आये। अगर मुनाफा नहीं होता है तो बोझ तो नहीं आये। नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल यह चाहती है कि वह स्टेट के रिसोर्सेज में कुछ कन्ट्रीब्यूट करे। अगर नहीं करता है तो स्टेट के रिसोर्सेज से उसको पैसा तो नहीं देना पड़े। यह जो 7 करोड़ 8 लाख रुपये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट के रेवेन्यू से देने पड़े मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हम किस का केस प्लीड कर रहे हैं? जो बिजली हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छी हालत में हैं वह बिजली ले रहे हैं। गरीब आदमी, गरीब मजदूर तो बिजली काम में ही नहीं लेते हैं। उनको तो बसाने के लिए हमने जमीन दी है वह आज उसके ऊपर मकान तक नहीं बना

(श्री चन्दन मल बैद)

सके हैं, झोंपड़ी तक नहीं बना सके हैं और बिजली भी नहीं लगा सके हैं। तो एक इलाके को बिजली देने के लिए या एक आदमी के घर में, कुए में या इण्डस्ट्री में बिजली देने के लिए उस आदमी को टैक्स क्यों देना पड़े जिसके घर में आज बिजली नहीं है? तो यह 7.1 करोड़ रुपया जो कि 1975–76 में हमने अपने जनरल रेवेन्यू से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फाइनेन्स किया इन्ट्रेस्ट के ऊपर कम से कम वह तो हमको फाइनेन्स नहीं करना पड़े। यह स्थिति तो नहीं आनी चाहिए।

इसी तरह से 1976–77 में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और उस पर 5–6 पर्सेन्ट के इन्ट्रेस्ट के हिसाब से 12 करोड़ 5 लाख रुपये मिलने चाहिए। मैं कोई 15 या 16 पर्सेन्ट के इन्ट्रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले में 4 करोड़ 31 लाख मिलेगा तो उसमें भी इस साल करीब करीब 7.1 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। तो हम मुनाफा नहीं लें, लेकिन जैसा कि नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल चाहती है कि उस स्टेट के रिसोर्सेज को उल्टे सप्लीमेन्ट करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो हमारी स्टेट के रिसोर्सेज तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इस बात के लिए नहीं लगने चाहिए कि कुछ लोगों को बिजली देनी है और जिन लोगों को बिजली देनी है उनके लिए उन लोगों को परेशान किया जाये जिनके कि घरों में बिजली नहीं है, जिनके खेत में बिजली नहीं है, जिनके गांवों में बिजली नहीं है और जिनके जिलों में बिजली नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो हमने खर्च कर रखा है उसका कम से कम 5–6 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट लेने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स या ड्यूटी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की माली हालत ठीक करने की कुछ कोशिश करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं, चोरी के रोकने के अन्दर कोशिश करते हैं तो सारे सदन को इस भावना के साथ सरकार का समर्थन करना चाहिए और इसी भावना को लेकर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि आज टेम्प्रेरी कार्मशियल कनेक्शन पर लागू होगी, पर 16 पैसे का एक यूनिट पर नुकसान हो रहा था इसलिए हमने एक रुपया की लिमिट रखी है जिससे कि हम 76 पैसा वसूल कर सकें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में, जो प्रभारी मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री मीठालाल जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 यथासंशोधित स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 यथासंशोधित स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री सभापति : राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, पंचायत) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया "राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को एक माह के लिए जनमत जानने परिचालित किया जाये।"]

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, यह बिल पंचायत का सदन में पेश हुआ है उसका स्वागत करता हूं। इसके अन्दर जो व्यवस्थाएं की हैं वह भी उत्तम हैं, लेकिन इन्नोसेन्ट पंच और सरपंचों पर यह भार कैसे चलेगा ? उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि उनको इस पर अपनी राय बताने के लिए मौका देना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, आज हालत यह है कि पंचायत समितियों के प्रधान तो कुछ पढ़े–लिखे होते हैं लेकिन बहुत से सरपंच पंचायतों के बिना पढ़े–लिखे हैं। वह अपना हिसाब मैन्टेन ठीक तरह से नहीं कर सकते। इसके कारण से उनके खिलाफ बकाया निकलती रहती हैं। पहले जो पंचायत समितियों में ओवरसियर वगैरह की व्यवस्था थी तो उनको देखने का टाइम मिल जाता था। जो चालाक सरपंच है वह तो हिसाब की पूर्ति करके निकल जाते हैं।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

लेकिन जो अनपढ़ हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए आवश्यक है कि इसके साथ साथ ग्राम सेक्रेटरी की पंचायतों में व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यह करते और वह हिसाब रखें तो ज्यादा उचित होता। इससे जन-प्रतिनिधियों को अकारण अपमानित करने का मौका नहीं मिलता। इसके बारे में पंचायत बिल में अमेंडमेंट और हो जाते तो ज्यादा उपयुक्त होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव भी इसके साथ ही ले लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान पंचायत, (संशोधन) विधेयक, 1974 की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः तीन दिन में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"]

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों की संपत्ति का दुरुपयोग, जो सरपंच करते हैं और जो किया गया है, के बारे में ऑडिट आब्जेक्शन्स वगैरह होते हैं उसकी वसूली के लिए शार्ट-कट यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। कल ही इस सदन के अन्दर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पंचायत समितियों द्वारा देय राशि के जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वह करीब 12 करोड़ की धनराशि है जो पंचायत समितियों द्वारा वितरित की गई है और जो वसूल नहीं हो रही है, इसलिए हमने 425 या 525 पटवारियों की फौज की नई भर्ती के लिए सदन के अन्दर एक मोटी रकम स्वीकृत की है। उस देय राशि का, जो पंचायत समिति द्वारा दी गई राशि है, काफी हद तक एक बड़ा आंकड़ा पंचायतों के जिम्मे भी पड़ा है, और व्यक्तिगत आंकड़े भी अलग से इसके अन्दर हैं, वह पंचायत समितियां खुद ही अपने गबन और घोटालों के जाल के अन्दर फंसी हुई हैं, जिनके प्रधान और बी.डी.ओ. के खुद के बोनाफाइड्स डाउटफुल हैं या जो पंचायतों के इन्सपेक्टर या एडिशनल पंचायत कलेक्टर्स हैं वह इस सारी वसूली के स्ट्रक्चर के अन्दर क्या इस राशि को सरपंचों से वसूल कर पायेंगे ? इस सारे सिस्टम के अन्दर जिस प्रकार से करप्शन या मिसएप्रोप्रियेशन प्रवेश कर गया है उस सारे का पूर्ण रूप से एनलेसिस करना है, उसकी जरूरत है।

मैं विधेयक का विरोध तो नहीं करता, लेकिन यह विधेयक कोई इसका कम्प्लीट पाल्यूशन हो यह मैं नहीं मानता, बल्कि हमको एक जनता का इन्फ्रास्ट्रक्चर इस संबंध में इवाल्व करना पड़ेगा और सरपंच द्वारा हिसाब देने की या इस प्रकार की विधियां अपनानी पड़ेंगी। पैसे की वसूलियों में भी वह प्रश्न है जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी बताया कि कई जगह हिसाब रखने के अन्दर ऐसी बहुत सी मिसालें पंचायतों के बारे में हैं, मैं खुद ही 9 वर्ष तक लगातार सरपंच रहा हूं, अकाउन्ट में 10 रह गया लिखना तो उस सरपंच के खिलाफ जिसके बैंक अकाउन्ट में दो-दो लाख रुपये जमा हैं, 10 रुपये के एम्बेजलमेंट का चार्ज लगाया। यह समझ में नहीं आता, लेकिन उसके विरुद्ध गबन का मुकदमा चला। ऐसे भी केसेज हैं कि डाक्युमेन्ट्री एवीडेन्स की वजह से 10–15 सरपंचों का प्रोसीक्यूशन हो गया। एक प्रकार से आप पंचायतों से रिकवरीज करना चाहते हैं तो पंचायतों के एपरेटस क्या हैं ? आज पंचायतों के पास क्या साधन हैं ? आवासीय भू-खण्डों के साधन थे तो उसके लिए आपने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हिन्दुस्तान में रिकार्ड तोड़ दिया। 7 लाख के करीब भूखण्ड आपने वितरित कर दिये। यह बात दूसरी है कि किसी को नहीं मिला। पंचायतों के भूखण्ड साधन थे वह खत्म हो गये और जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी थी वह भी एक्सटिंक्ट हो गये क्योंकि पंचायतों ने अपने यहां पर पंचायतघर बनाये, विलेज लेवल के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स बनाये, बिजली की व्यवस्था की। अब उनकी ईंटें बिक रही हैं। स्थिति यह है कि आप इस एक्ट को लाये हैं पंचायतों के आर्थिक साधन डेवलप करने के लिए तो उस सरपंच को लिट्रेट मानते हैं जो केवल पढ़-लिख सकता है वह हिन्दी की किताब पढ़ लेता है। वही पंच बनने की क्वालिफिकेशन है, और इससे अधिक ज्ञान नहीं मांगते हैं। एकाउन्टेन्सी का ज्ञान हो, एकाउन्ट्स का काम करने के लिए और दूसरा काम करने के लिए वह नहीं मांगते हैं बल्कि हिन्दी की किताब पढ़ ली इतनी ही क्वालिफिकेशन मांगते हैं और इससे अधिक क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं। लिट्रेसी लाने का दौर है तो अब कई नये सरपंच आगे आयेंगे वे पढ़े-लिखे आयेंगे, यह दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन पंचायतों के एपेरेटस पूरे तय करने पड़ेंगे जिससे प्रापर एकाउंटिंग हो सके और केवल टैक्निकल आफेन्स के ऊपर सरपंच का हैरासमेंट न हो। मैं समझता हूं कि यह हमारे मूल प्रजातन्त्र के केन्द्र हैं और जिस भावना से हमने डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर किया है और जिस तरह की हमने न्यायालयों को गांवों के आंगन तक ले जाने की घोषणा की है, वह सारी जो मूल भावना है उसके यह प्रतिकूल होगा। इस विधेयक का आना आवश्यक था, और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस किस्म का भी अमेंडमेंट हमारे पंचायत एक्ट के अंदर लायेंगे। इस बारे में अगर उनको नेक्स्ट बिल भी लाना पड़े तो लाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन!

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल!

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं केवल एक मद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पंच और सरपंच मामूली पढ़े-लिखे लोग हैं और इनको गांवों में काम कराने के लिए पैसा मिलता था। इन लोगों ने कुछ अपने काम पूरे किये होंगे और वह काम किये हुए पड़े होंगे। माननीय उपाध्यक्ष, देखने में यह आता है कि यह सरपंच लोग लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि उन्होंने जो काम पूरा कराया है उस काम को ओवरसियर वगैरह देखकर, वाउचर वगैरह भरकर, ठीक से उसकी जांच करके रिपोर्ट कर दें कि उनका काम पूरा हुआ कि नहीं, लेकिन यह भी देखने को मिला है वर्षों तक पंचायत समिति में ओवरसियर कुछ दिनों के लिए कभी आता और आकर देखता और कुछ काम देखा और कुछ नहीं देखा और वापस आ गया वर्षों तक सरपंचों के द्वारा कराये गये कामों का नाप-जोख नहीं होती है उसके कारण पैसा जो मिला है जिस काम को पूरा करने के लिए उसके बारे में इस तरह से निरीक्षण करके वाउचर भर कर रिपोर्ट नहीं होगी तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिले तो आगे जाकर सरपंच पंचों के खिलाफ राजनैतिक रूप से बहुत सी ऐसी आपत्तियां आ जायेंगी, और जिनका काम

(श्री केशरीमल)

पूरा होकर भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उनके खिलाफ मुकद्दमेबाजी होगी। मैं एक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह व्यवस्था जरूर होना चाहिये कि जहां जहां पर भी काम हुए हैं उनकी देखभाल करनी चाहिये और उसका काम पूरा हो गया तो पंचायत उस काम को देखकर उसका काम पूरा हो गया तो पंचायत समिति उस काम को देखकर उसका सर्टिफिकेट दे। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। कई वर्षों से यह नहीं हो रहा है। अब यह नये चुनाव होंगे, उसके पहले यदि लोगों को यह प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उन लोगों के लिए चुनाव में खड़ा होना मुश्किल हो जायगा और वे मुश्किलात में पड़ जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की आगे जाकर व्यवस्था करें, माननीय मंत्रीजी आगे इसमें सुधार करने की व्यवस्था करें जिससे उन लोगों को सहूलियत हो और बेकार में हैरासमेंट न हो।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ओंकारलालजी!

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर दो चीजें राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक में होतीं तो अच्छा होता। आज 13 साल के बाद चुनाव होने की नौबत आ रही है पर अभी भी पता नहीं होंगे भी या नहीं लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि जैसा होगा देखा जायगा। आज पंचायतें बिलकुल निर्जीव हो गई हैं। इसलिए पंचायतों के चुनाव होने चाहिये जिससे कि उनमें जीवन आये।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास कोई साधन नहीं रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो भवन बनाये उनकी ईंटें बिकने की नौबत आ गई है। पंचायती राज के बारे में रिपोर्ट आई वह पूरी नहीं हुई। पंचायतें सक्षम नहीं हो पा रही हैं। हम जब यह मानकर चलते हैं कि हमको पंचायत राज ठीक तरह से चलाना है, डेमोक्रेसी का कार्यक्रम है,......

(विद्युत्-व्यवस्था भंग)

डेमोक्रेसी इस पर बेस्ड है तो हम मजबूत करें ताकि पंचायती राज का जो ढांचा है, वह मजबूत हो।

(विद्युत्-व्यवस्था चालू)

इसके साथ-साथ मैं दूसरी चीज यह निवेदन करना चाहता था कि जो रिकवरीज होती हैं, मैं यह नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिये, रिकवरीज होनी चाहिए, लेकिन कई बार यह देखने में आया है कि रिकवरी जो होती हैं, उसके लिए यह बड़ी सख्ती अमल में लाते हैं। बहुत सख्ती काम में ली जाती है। कई जगह ऐसे दृष्टान्त देखने में आये हैं। इसलिए इतनी सख्ती नहीं की जानी चाहिये। सर्टिफिकेटस् के बारे में काफी अनियमिततायें हुई हैं। 72-73 के सर्टिफिकेट्स अभी तक नहीं मिल पाये हैं। इस कारण बहुत दिक्कत होती है।

इसी प्रकार से एक इंक्वायरी का प्रोवीजन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि इन्क्वायरी को टाला जाता है। उसमें 10-12 साल लग जाते हैं। देरी होती है, इसको दूर किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक आया है यह पंच और सरपंच के अधिकारों के बारे में भी है। इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पंच और सरपंच पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। सारे राजस्थान के गांवों में पंच और सरपंच फैले हुए हैं। उनकी संख्या के हिसाब को देखते हुए, दूसरी संस्थाओं में जो गड़बड़ियां पाई जाती हैं, उतनी पंचायतों में नहीं हैं। पूरे वर्ष भर में कोई एक दो हजार की पंचायतों में आय होती है। जो सरपंच हैं, उनका काम साफ रहे उन पर कोई कलंक नहीं आये इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह केवल इतना कर दें कि रिकार्ड और कोष का जो उत्तरदायित्व है, उसकी ठीक व्यवस्था कर दें, और पंचायत समिति व जिला परिषद् की तरह सचिव पर यह जिम्मेदारी दे दी जाय विकास की प्रवृत्तियों को देखते हुए हम अधिकाधिक विकास करना चाहते हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, चाहे वह संशोधन किसी रूप में करें पंचों, सरपंचों के लिए चाहे जो तय करें पर उपरोक्त जिम्मेदारी उन पर न रखें वह यह व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। हमारे माननीय सदस्य ने फर्माया है पंचों, सरपंचों के द्वारा काम कराया जाता है, और पैसा उनको दिया जाता है। काम सरपंच करवा सकते हैं लेकिन उसके हिसाब का चुकारा करने के लिए उनको यह मालूम नहीं है कि किस प्रकार के कागज बनाने पड़ते हैं। कई बार उसका प्रमाण पत्र नहीं होता है। इसलिए मेरा बस यही प्रश्न है, माननीय मन्त्री महोदय कम से कम पंचायतों में सचिव नियुक्त कर दें जिससे कि पंचायत समिति यह व्यवस्था कर सकें।

श्री मीठालाल मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह तो मैं पहले से ही मानता आ रहा हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, गड़बड़ी ज्यादा हो गई है इतने सालों में। कब थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। वह भी इसलिए आपने पत्राचार किया है। पत्रों पर भी शीघ्र कोई निर्णय नहीं हो पाता है। दस-दस साल तक पत्राचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार होता है, उसकी भी इन्क्वायरी नहीं होनी। अगर वही नीयत है तब तो कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, वह यह है कि पंचायत के चुनाव की तिथियों के बारे में दिसम्बर तक चुप नहीं रहें। इसके सम्बन्ध में कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं। आप लोग तो जानते हैं लेकिन गांवों में भ्रांतियां हैं। चुनाव जो होंगे उनका पहले का ही तरीका होगा या कोई और तरीका। इस बारे में भी आप घोषणा कर दें। आप यह घोषणा कर दें कि, पुराने तरीकों के आधार पर चुनाव कराये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, पंचायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक पर टौंक ब्यावर, और गंगानगर और अन्य स्थानों से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उसकी मंशा यह है कि अभी तक पंचों और सरपंचों के विरुद्ध पंचायतों की हानि, पंचायतों की

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

प्रापर्टी की हानि होने पर केस किये जाते थे तो पंचायतों को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पड़ता था यह मसला इसलिए उठा था क्योंकि उच्च न्यायालय ने एक रिट के दौरान में इस बात का फैसला किया था कि वसूलियां पब्लिक डिमाण्ड एक्ट के तहत नहीं की जा सकती, क्योंकि पंचायत एक्ट में इस सम्बन्ध में स्पेसिफिक प्रोविजन था कि इस प्रकार की वसूलियां सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके की जा सकती है। चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया थी, इसलिए वसूलियां जल्दी संभव नहीं होती थी। इसलिए पंचायत एक्ट की धारा 80 में संशोधन प्रस्तुत किया है कि किसी भी पंच या सरपंच के विरुद्ध पंचायत की प्रोपर्टी को हानि पहुंचाने का आरोप प्रमाणित होता है और उसके विरुद्ध रिकवरी निकलती है तो वह रिकवरी जिस प्रकार से लैण्ड रेवेन्यू की रिकवरी करते हैं उसी प्रकार से की जायेगी। इस संशोधन की मंशा केवल इतनी सी ही है इसलिए यह संशोधन पेश किया गया है।

टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है कि इस प्रकार की रिकवरी भी हो सकती है जो उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वह भी उससे वसूल करली जायेगी। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान, जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके भाग 3, 4 और 7 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट प्रोवीजन है कि उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, उसको नोटिस दिया जायेगा और सुनवाई का अवसर दिया जायेगा और अपनी सफाई पेश करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जायेगा। फिर भी अगर कोई पंच या सरपंच उस निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होता है तो उसको अपील करने का भी अधिकार होगा, इसका भी प्रोविजन किया गया है। वह रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी के यहां पर अपील कर सकेगा। इसलिए जो यह कहा गया कि इसका दुरुपयोग होगा या इसको सुनवाई के कोई अवसर नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से माननीय सदस्य की शंका उचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमारी मंशा केवल यही है कि जो वसूली पहले हमें न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके करनी होती थी और उसमें बहुत विलम्ब हो जाता था उसके बजाय जैसा कि कहा गया है पी.डी.आर. के तहत करना चाहते हैं, यही इसकी मंशा है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो संशोधन के प्रस्ताव जनमत जानने हेतु या सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने हेतु प्रस्तुत किये हैं, उनसे कोई पर्पज पूरा नहीं होगा इसलिए मैं माननीय सदस्यों से, जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अजीतसिंह से) क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं।

श्री अजीत सिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री अजीतसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ लिया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय?

श्री मीठालाल मीणा : मैने जो जानकारी चाही है वह दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा– मन्त्री महोदय चुनाव के मामले में कोई नया अमेन्डमेंट तो नहीं कर रहे हैं? पुराने तौर–तरीकों से ही करवा रहे हैं, कोई नया तरीका तो नहीं लागू कर रहे हैं? पंचायत चुनाव में कोई नया अमेन्डमेन्ट तो नहीं है, नया तरीका तो एडाप्ट नहीं कर रहे हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चुनाव प्रक्रिया में संशोधन का सवाल है, यह मुझसे सम्बन्ध नहीं रखता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय। जो यह शंका उठाई गई कि चुनाव की कोई नई प्रक्रिया तो नहीं होगी तो चुनाव मंत्रीजी ने भी एक प्रश्न के उत्तर में पंचायत चुनावों के तिथियों की घोषणा की है 10 से 23 दिसम्बर तक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करा रहे हैं, इस पर राज्य सरकार दृढ़ है और चुनाव करा दिये जायेंगे। जहां तक···

(व्यवधान–अश्रव्य)

मैं तो आज की स्थिति कहता हूं, जहां तक चुनाव की पद्धतियों का सवाल है, जिस तरह से पंचों और सरपंचों के चुनाव होते हैं उस पद्धति में किसी प्रकार का संशोधन करने का राज्य सरकार का इरादा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बस, यही सुनना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 4.26 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)

Page No 104

(104)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न सं. 90 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

वर्तमान अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्यों की सूची

सदस्य

1. श्री चेतराम, टोडाभीम	सदस्य विधान सभा	सदस्य
2. श्री जयनारायण रोत, लसाड़िया	,,	,,
3. श्री जिथिंग कुशलगढ़	,,	,,
4. श्री नाथूराम बागीडोरा	,,	,,
5. श्री देवीलाल मीना सराड़ा	,,	,,
6. श्री भरतलाल बामनवास	,,	,,
7. श्री महेन्द्र कुमार परमार पाड़वा	,,	,,
8. श्री मीठालाल, लालसोट	,,	,,
9. श्री रामचन्द्र सिवराय	,,	,,
10. श्री रामकुमार सपोटरा	,,	,,
11. श्री रामगोपाल किशनगंज	,,	,,
12. श्री बिटठ्ल पीपलखूंट	,,	,,
13. श्री विद्यासागर खेरवाड़ा	,,	,,
14. श्री हरलाल मीना प्रतापगढ़	,,	,,

मनोनीत सदस्य

15. श्री भोगीलाल पण्ड्या, अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग, जयपुर	,,
16. सचिव, समाज कल्याण विभाग	,,
17. आयुक्त, आदिवासी क्षेत्र विकास, जयपुर	,,
निदेशक, समाज कल्याण विभाग	पदेन सचिव

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न सं. 93 की सूची)

1	2	3 Description of the Zone.	4 Premium to be charged for conversion of one's own agricultural land for Residential purposes.	5 Premium to be charged for conversions of one's own Agricultural land for commercial purposes.	6 Premium to be charged for encroachment upon Govt. Agricultural land and conversion thereof for residential purposes.	7 Premium to be charged for encroachment upon Govt. Agricultural land and conversion there of for Commercial purposes.
B-	Kota City	(1) Zone A comprising of villages Kansua, Thekra, Chhatrapura, Gumanpura, Ramchanrapura, Kotri, Gordhanpura, Rampura, Ladpura, Destpura, Khandgari, Kherli, Purohit, Dadwara, Kishanpura, Ganeshpura, Jagir.	Rs. 50/- per sq. yd.	Rs. 200/- per sq. yd.	Rs. 55/- per sq. yd.	Rs. 205/- per sq. yd.
		(2) Zone B comprising of villages Kunari, Ramnagar, Nayakhera, Bhadana, Raipura, Shyopura,	Rs. 40/- per sq. yd.	Rs. 160/- per sq. yd.	Rs. 44/- per sq. yd.	Rs. 164/- per sq. yd.

1	2	3	4	5	6	7
	Kota City	Rangbari, Anddpura, Keshopura, Balita Bokhera.				
		(3) Zone C comprising of villages Nanta, Sakatpur, Girdhanpura, Gordhanpura, Balita, Bargaon (Nandana) Sogria, Deoli Arba, Manpura.	Rs. 25/- per sq. yd.	Rs. 100/- per sq. yd.	Rs. 27.50/- per sq. yd.	102.50/- per sq. yd.
		(4) Zone D comprising of villages Shambhpura, devnagar. Rangtalab, Roteda, Ghandreshal, Arjunpura, Kherli, Pandyan, Daslana, Jhalipura, Borkhandi, Hathikhera, Mandania, Chaudida, Khawarpura, Dhakarkher. Rajnagar, Hanwat Khera, Sukhpura, Naya Nohara, Chatrapura, Ummedganj, Khera yagpura, Lakawa, Anandpura (Phoota Talab) Dolatganj (Mayagaon) Rojedi, Ganeshpura, Shyampura, Simlia, Kah, Mohrana Venaika, Tirat of Bundi Distt.	Rs. 15/- per sq. yd.	Rs. 60/- per sq. yd.	Rs. 16.50/- per sq. yd.	Rs. 61.50/- per sq. yd.

परिशिष्ट– 3

(तारांकित प्रश्न सं. 96 की सूची)

गुरुद्वारा द्वारा आरजी काश्त (टी. सी.) पर वारित माफी की भूमि की सूची

तहसील रायसिंहनगर

क्र.सं.	नाम चक	नाम संख्या जिसको रकबा टी.सी. है।	मु.नं.	तहसील रकबा नहरी	बारानी	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	4ए	5	6	
1.	40 पी. एस.	गुरुद्वारा	43	3)	2)	5)	
2.	41 पी. एस.	,,	50	5)	–	5)	
3.	5 एम. के.	,,	39	4।।।)।	–	4।।।)।	
4.	6 एम. के. ए.	,,	59	4।।)	–	4।।)	
5.	7 ए. के.	,,	8	5)	–	5)	
6.	6 एम. के. बी.	,,	25	5)	–	5)	
7.	25 एन. पी.	,,	15	4।।।)।	–	4।।।)।	
8.	34 एन. पी.	,,	21	4।।)	–	4।।)	
9.	10 एन. पी.	,,	17	5)	–	5)	
10.	25 पी. एस.	,,	21	4।।।)5	–	4।।।)3	
11.	26 पी. एस. ए. 66	,,	49	5)	–	5)	
12.	33 एन. पी.	,,	18	4।।)	–	4।।)	
13.	25 एफ. एफ. ए.	,,	49	5)	–	5)	
14.	26 एफ.	,,	27	4)।।	–	4।।)	
15.	5 एम. पी.	,,	66	5)	–	10)	
			67	6)	3)	4)	
16.	2 एफ.डी.बी.	,,	66	2)	–		
17.	5 एफ.डी.	,,	35	4)	–	4)	
18.	6 एफ.डी.	,,	8	5)	–	5)	
19.	88 एफ. एफ.	,,	173	4।।।)3	–	4।।।)3	
20.	28 आर. बी.	,,	24	4।।।)3	–	4।।।)3	
21.	83 आर. बी.	,,	31	2।।)	–	2।।)	
22.	83 आर. बी.	,,	31	2।।)	–	2।।)	
23.	84 आर. बी.	,,	48	7।।)4	–	7।।)4	

(108)

1	2	3	4	5		6
24.	22 पी. एस.	गुरुद्वारा	56	5)	–	5)
25.	20 पी. एस.	,,	61	4॥)	–	4॥)
26.	24 पी. एस.	,,	57	5)	–	5)
27.	35 पी. एस.	,,	16	5)	–	5)
28.	16 पी. एस	,,	57	5)	–	5)
29	15 पी. एस.	,,	56	4॥।)3	–	4॥।)3
30.	17 पी. एस.	,,	38	4।)।	–	4।)।
31.	24 एफ. एफ.	,,	21	।)4	–	4।)4
			56	4)		
32.	14 एन. पी.	,,	14	5)	–	5)
33.	6 टी. के.	,,	6	4॥।)।	–	4॥।)।
34.	7 टी. के.	,,	12	4।)3	–	4।)3
35.	9 टी. के.	,,	15	5)	–	5)
36.	74 आर. बी.	,,	72	5)	–	5)
37.	3 पी. एस.	,,	40	4।)3	–	4।)3
38.	13 पी. एस.	,,	33	5)	–	5)
39.	14 पी. एस. ए.	,,	54	3)	–	4॥।)।
			56	।॥)।		
40.	14 पी. एस. वी.	,,	30	5)	–	5)
41.	13 आर. बी.	,,	51	4॥।)3	–	4॥।)3
42.	14 आर. बी.	,,	8	4॥।)3	–	4॥।)3
43.	85 आर. बी.	,,	38	4॥।)3	–	4॥।)3
44.	15 आर. बी.	,,	36	5)	–	5)
45.	17 आर. बी.	,,	71	3)	–	3)
46.	18 आर. बी.	,,	12	5)	–	5)
47.	19 आर. बी.	,,	5	4॥।)3	–	4॥।)3
48.	71 आर. बी.	,,	76	5)	–	5)
49.	72 आर. बी.	,,	29	4॥।)3	–	4॥।)3
				232॥।)।	5)	237॥।)।

गुरुद्वारों की भूमि पर विवरण तहसील, अनूपगढ़

क्र.सं.	नाम चक	नाम संस्था जिसको रकबा टी. सी. है।	मु.नं.	तहसील रकबा नहरी	बारानी	कुल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5		6	
1.	17 जी. बी.	गुरुद्वारा	58	5)		5)	
2.	18 जी. बी.	,,	22	5)		5)	
3.	19 जी. बी.	,,	20	4||)		4||)	
4.	20 जी. बी.	,,	36	4|||) 3		4|||) 3	
5.	21 जी. बी.	,,	28	4|||) 3		4|||) 3	
6.	1 जी. बी.	,,	40	5)		5)	
7.	2 जी. बी. ए.	,,	39	5)		5)	
8.	3 जी. बी.	,,	42	5)		5)	
9.	4 जी. बी.	,,	56	5)		5)	
10.	8 जी. बी.	,,	30	4|||) 3		4|||) 3	
11.	9 जी. बी.	,,	80	1).	4)	5)	
12.	6 जी. बी. ए.	,,	29	4||)		4||)	
13.	60 जी. बी. ए.	,,	82	5)		5)	
14.	61 जी. बी.	,,	43	5)		5)	
15.	72 जी. बी.	,,	14	5)		5)	
16.	67 जी. बी.	,,	4	5)		5)	
17.	74 जी. बी.	,,	37	4|) 3		4|) 3	
18.	76 जी. बी.	,,	5	4|||) 3		4|||) 3	
19.	73 जी. बी.	,,	19	4|||) 3		4|||) 3	
20.	80 जी. बी.	,,	31	5)		5)	
21.	75 जी. बी.	,,	5	5)		5)	
22.	77 जी. बी.	,,	71	4|||) 3		4|||) 3	
23.	88 जी. बी.	,,	65	4||)		4||)	
24.	89 जी. बी.	,,	40	5)		5)	
25.	71 जी. बी. ए.	,,	4	5)		5)	
26.	91 जी. बी.	,,	31	5)		5)	
27.	54 जी. बी.	,,	22	4|||) 3		4|||) 3	
28.	53 जी. बी.	,,	35	5)		5)	
29.	59 जी. बी.	,,	8	4)		4)	

(110)

1	2	3	4	5		6
30.	62 जी. बी.	गुरुद्वारा	15	4।।।) 3		4।।।) 3
31.	64 जी. बी.	,,	72	4।।)		4।।)
32.	66 जी. बी.	,,	7	5)		5)
				15।।।) 2	4)	15।।।) 2

परिशिष्ट – 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

उदयपुर–भीलवाड़ा वाया कांकरोली मार्ग पर निगम की बसें

98. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि यातायात मार्गों के राष्ट्रीयकरण के पीछे राज्य सरकार की मंशा जनता को अधिक से अधिक यातायात सुविधा प्रदान करने की है ? यदि हां, तो क्या राज्य परिवहन निगम इस ओर ध्यान देता है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कांकरोली मार्गो का राष्ट्रीयकरण होने के बाद जनता की काफी शिकायतें आती हैं तथा जनता को अधिक परेशानी होने लगी है ? यदि हां, इसके निराकरण के लिये क्या रास्ता अपनाया गया है ?

(3) क्या यह सही हैं कि उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कांकरोली मार्ग में कुरज गांव वर्ग है ? यदि हां, तो क्या वहां सभी गाड़ियां जो उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कांकरोली मार्ग पर चलती है सभी कुरज गांव होकर जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कांकरोली मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद दूसरे मार्गो पर प्राईवेट गाड़ियां चलती थी वो भी बन्द हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वहां सभी सुविधाओं की पूर्ति करदी गई है ? यदि नहीं, तो क्या यह राज्य सरकार की मंशा के विपरीत नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। केवल 9 शिकायतें कर्मचारियों के दुर्व्यवहार तथा सभी बसें कुरज गांव होकर न चलाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

(3) जी हां। कुरज गांव इसी मार्ग पर है पहिले कुरज गांव होकर 10 एकल सेवाएं चलाई जा रही थी। परन्तु यात्रियों की संख्या कम होने से इनकी संख्या 8 करदी गई है। अब पुनः यात्री भार बढ़ने से सेवाओं की संख्या 10 की जा रही है।

(4) किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने पर उस मार्ग पर निजी वाहने नहीं चल सकतीं। तथापि राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप जिन मार्गों की सेवाएँ बन्द हो जाती हैं निगम उन मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर वाहन संचालन की नीति अपना रहा है।

जालोर जिले में गेहूं के बीज की व्यवस्था

99. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में सब तहसीलों में एवं विशेषकर तहसील सांचौर के नेयड क्षेत्र में लूनी एवं अन्य नदियों की बाढ़ आने से काफी क्षेत्र में पानी फैला है जिसमें सेवज गेहूं की फसल के लिए अच्छे गेहूँ के बीज की आवश्यकता होगी। अगर हां, तो ऐसे क्षेत्र के लिये कुल कितने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बीज की अन्दाजन आवश्यकता होगी ? उक्त बीज की मांग कब तक एवं किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि नदियों से रिले हुए क्षेत्र में खराब लाल गेहूं बीजने के कारण हमेशा गेहूं की बीमारी की शिकायत विशेषकर नेयड़ क्षेत्र में रहती है ? अगर हां, तो इस वर्ष उक्त शिकायत कब तक किस प्रकार दूर की जावेगी ?

(3) क्या सरकार अच्छे गेहूं के बीज का समय पर इन्तजाम काश्तकारों के लिये नेयड़ क्षेत्र के लिये सवाई बाढ़ी पर करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों एवं किस प्रकार बीज का इन्तजाम किया जायेगा ? नेयड क्षेत्र के लिए गेहूं के बीज का क्या भाव मुकर्रर किया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि नेयड़ क्षेत्र के लिए तहसील सांचौर के अन्य कुछ ग्रामों में भी कुओं की सिंचाई से गेहूं की फसल की बोवाई होगी ? अगर हां, तो करीबन कितने गांव में कितने क्षेत्र में गेहूं की बुवाई होने की सम्भावना है ? ऐसे क्षेत्र के लिये अच्छे प्रमाणित गेहूं के बीज एवं रसायनिक खाद की व्यवस्था कब तक एवं किस प्रकार की जावेगी ?

(5) क्या सरकार रसायनिक नियंत्रित सरकारी कोटे में से जिला जालोर के लिए रिजर्व कोटा मुकर्रर कर शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करनी उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, लगभग 8000 हैक्टर 11000 हैक्टर क्षेत्र में लूनी एवं अन्य नदियों का पानी फैलता है जिसके लिए करीब 8000 क्विंटल गेहूं के बीज की आवश्यकता होती है। उक्त क्षेत्र के लिए उन्नत बीज की मांग जिला कृषि अधिकारी एवं जिलाधीश से प्राप्त हुई है। जिसका प्रबन्ध राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के माध्यम से कर दिया गया है और बीज पहुंचना प्रारम्भ हो गया है।

(2) जी हां, इस वर्ष राज्य सरकार ने स्थानीय जाति के देशी गेहूं की बुवाई पर पाबन्दी लगादी है और कृषि विभाग रोली रोग रहित रोली से कम प्रभावित उन्नत जाति के बीजक समस्त क्षेत्र के लिये प्रबन्ध कर दिया गया है।

(3) जी हां, क्योंकि यह व्यवस्था लाभप्रद नहीं है। कृषकों को उन्नत जाति के गेहूं का बीज जिन्स के रूप में खरीदने के लिये 5 लाख रुपये का सहकारी बैंक से एवं 15 लाख रुपया राज्य सरकार की ओर से अल्पकालीन ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। 233–89 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जावेगा और जिस पर 3 प्रतिशत बिक्री कर अलग से होगा।

(4) जी हां, नैड क्षेत्र के अन्तर्गत 7 ऐसे ग्राम हैं जिनमें कुओं से सिंचाई होती है और उनका क्षेत्रफल लगभग 600 हैक्टर है। बीज का प्रबन्ध इत्यादि प्रश्न सं. 1 के उत्तर में सम्मिलित है। नैड क्षेत्र के लिये उर्वरकों का कोई अलग से बिक्रेता नहीं है। इस क्षेत्र में उर्वरक सप्लाई की व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ श्रीराम केमीकल्स के सांचोर तथा भीनमाल स्थित विक्रेता तथा गुजरात स्टेट फर्टीलाईजर के डीलर द्वारा की जा रही है।

(कृषि मंत्री)

(5) जालोर जिले के लिये रबी 76 में 2000 एम.टी. नत्रजन, 40 एम.टी. पोटाश के लक्ष्य रखे गये हैं। सप्लाई योजना के अनुसार 360 एम.टी. नत्रजन श्रीराम केमिकल्स, कोटा, 100 एम.टी. नत्रजन गुजरात स्टेट फर्टीलाईजर बड़ौदा, 7 एम.टी. नत्रजन इफको द्वारा भेजा जायेगा। शेष मात्रा 1533 एम.टी. सैन्ट्रल पूल से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम/राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ के माध्यम से की जा रही है। अब तक लगभग 100 एम.टी. नत्रजन जिले में पहुंच चुका है। शेष मात्रा निकट भविष्य में पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है।

लेबर ला डिप्लोमा के अध्ययन का माध्यम

100. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में "लेबर ला डिप्लोमा" के अध्ययन का माध्यम हिन्दी है या अंग्रेजी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले वर्ष तक राजस्थान विश्वविद्यालय में लेबर ला डिप्लोमा के विद्यार्थियों को हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने एवं लघु काव्य लिखने की अनुमति थी ?

(3) क्या यह सही है कि इसी वर्ष से हिन्दी माध्यम को समाप्त कर केवल अंग्रेजी माध्यम ही रखा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों को हिन्दी में फैसले देने के लिये आदेश दिये हैं ?

(5) यदि हां, तो फिर लेबर ला में परीक्षा का माध्यम हिन्दी से बदलकर उल्टा अंग्रेजी क्यों किया जा रहा है ?

(6) क्या राज्य सरकार विश्वविद्यालय को आदेश प्रदान करेगी कि वे लेबर लॉ के विद्यार्थियों का माध्यम हिन्दी रखें एवं लघु काव्य भी जो हिन्दी में लिखकर दें, स्वीकार करे ?

उत्तर

(1) लेबर लॉ डिप्लोमा का माध्यम अंग्रेजी है।

(2) जी हां, सन् 1973 से 1975 तक हिन्दी माध्यम में परीक्षा देने की अनुमति थी।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) लॉ-फैकल्टी के डीन तथा बोर्ड आफ स्टडीज के कन्वीनर के मतानुसार छात्रों के स्तर में गिरावट आई है, और लेबर लॉ से संबंधित उच्च स्तरीय पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः विश्व विद्यालय ने इस वर्ष से पुनः परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया है।

(6) इस बारे में विश्व विद्यालय से आवश्यक विचार विमर्श किया जायेगा।

देवली में प्रसूती गृह के भवन का निर्माण

101. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कस्बा देवली जिला टोंक में नगरपालिका द्वारा 60–70 हजार रुपये की

(श्री चतरभुज)

लागत का भवन पूर्ण तैयार कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्रसूति गृह बनाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। अभी भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है। भवन जब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जायेगा और विभाग को सौंप दिया जायेगा, तब उसमें प्रसूति गृह प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी।

ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत खर्च की गई राशि

102. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत कौन कौन से जिले लिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यह ट्राइबल सब-प्लान कितनी धनराशि का है ?

(3) अब तक किस किस जगह धनराशि आदिवासियों के विकास के लिये ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत खर्च की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत पूर्ण बांसवाड़ा जिला पूर्ण डूंगरपुर जिला उदयपुर जिले की धरियावद, सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, कोटड़ा, फलासिया एवं गिरवा पंचायत समितियां तथा चित्तौड़गढ़ जिले की अरनेद व प्रतापगढ़ पंचायत समितियां ली गई हैं।

(2) ट्राइबल सब प्लान रु. 53.60 करोड़ की धन राशि की है।

(3) ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत जिलेवार निम्न प्रकार व्यय किया गया है:—

बांसवाड़ा	3,21,75,688
डूंगरपुर	3,47,27,188
उदयपुर	1,93,84,344
चित्तौडगढ़	92,89,870
अविभाजनीय	25,662
योग ..	9,56,02,752

पाली में कृषि उपज मंडी का निर्माण

103. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पाली में अभी तक कृषि उपज मंडी का निर्माण नहीं हो सकने के क्या कारण हैं और उन कारणों का निवारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

पाली में कृषि उपज मण्डी समिति का अभी तक निर्माण नहीं होने का कारण वहां मण्डी यार्ड के लिये भूमि सम्बन्धी मामले

(कृषि मंत्री)
का हल नहीं होता है। जो भूमि पूर्व में नगर नियोजन विभाग द्वारा नवीन मण्डी यार्ड हेतु स्वीकृत की गई थी अभी तक मण्डी समिति को प्राप्त नहीं हो सकी है तथा उसमें कुछ वैधानिक आपत्तियां हैं। अस्तु मण्डी समिति ने अब पुनः कुछ अन्य भू-खण्डों के चयन करने हेतु प्रस्ताव नगर नियोजक विभाग की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये हैं। इनमें से किसी एक का चयन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय होने पर जब भूखण्ड उपलब्ध हो जावेगा तब ही निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा।

करौली–कैलादेवी सड़क की मरम्मत का कार्य

104. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष भारी वर्षा से करौली-कैलादेवी मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से यातायात में असुविधा हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर ग्राम राजौर के बांध की मोरी के बहाव से सड़क का कुछ भाग हर वर्ष कट जाता है?

(3) क्या सरकार सड़क के इस क्षतिग्रस्त भाग पर सीमेन्ट की रपट निर्माण के लिये स्वीकृति प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) क्षतिग्रस्त रपट निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़क की व्यापक मरम्मत के लिये एक लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के लिये सहायता विभाग को लिखा जा चुका है।

राज्य में परिवार नियोजन अभियान की योजना

105. श्री मोहनराज (बाली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में परिवार नियोजन अभियान को सफल बनाने हेतु राज्य कर्मचारियों एवं सभी वर्गों के लोगों के लिये क्या आकर्षण व आदेश जारी किए हैं जिनसे इस ओर अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों?

(2) नियोजित परिवार के लाभों से ग्रामीण जनता को अवगत कराने हेतु आवश्यक प्रचार के लिए राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है?

(3) क्या राज्य के विभिन्न विभागों शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जन सम्पर्क विभाग आदि के पास प्रचार प्रसार कार्य हेतु फिल्में दिखाने के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं? क्या इन सभी साधनों का उपयोग उनके द्वारा किये जा रहे विभागीय कार्य के अलावा परिवार नियोजन के लाभों का परिचय देने वाली फिल्मों के "शो" हेतु कराये जाने की कोई योजना बनाई गई है?

(116)

उत्तर

(1) राज्य में परिवार नियोजन अभियान को सफल बनाने हेतु मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य कर्मचारियों एवं अन्य वर्गों के लोगों के लिए प्रेरक एवं अप्रेरक (Incentives and Disincentives) निर्णयों की घोषणा की थी जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। साथ ही केन्द्र सरकार ने जो प्रेरक राशि की ग्रेडेड प्रणाली लागू की है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा घोषित ग्रेडेड प्रणाली की एक प्रति भी सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) नियोजित परिवार के लाभ से ग्रामीण जनता को अवगत कराने के लिए विभाग ने विभिन्न प्रचार प्रसार कार्यक्रम हाथ में ले रखे हैं। सामूहिक सम्प्रेषण के साधनों यथा-फिल्म-प्रदर्शन, प्रचार साहित्य, प्रेस समाचार, रेडियो कार्यक्रम, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञापन आदि के अतिरिक्त विस्तार कार्यकर्ताओं के द्वारा गोष्ठियां आयोजन तथा व्यक्ति सम्पर्क के द्वारा ग्रामीण जन समुदाय को नियोजित परिवार की आवश्यकता तथा उपादेयता बतलाई जाती है।

(3) परिवार नियोजन के फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था अन्य विभागों यथा-शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जन सम्पर्क निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, तथा भेड़ व ऊन विभाग की प्रचार यूनिटों के द्वारा समय समय पर की जाती है। इस कार्य के लिए ये विभागीय यूनिट भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों तथा जिला परिवार नियोजन संस्थानों से फिल्में प्राप्त कर उन्हें प्रदर्शित करते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही रोड–आबू रोड सड़क का कार्य

106. श्री मूलाराम (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने स्टेट हाईवे सिरोही रोड से आबू रोड सरहद तक चौड़ा करने का कार्य 1974–75 तथा 1975–76 में प्रारम्भ किया था ? अगर हां, तो आज तक कितने किलोमीटर कार्य-पूर्ण हो चुका है और इस कार्य पर कितनी धन-राशि खर्च हुई ?

(2) क्या उक्त सड़क का कार्य एक ही ठेकेदार को दिया था ? अगर हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सिरोही रोड से आबू रोड सरहद तक 21 किलोमीटर पूर्ण डामर, 15 किलोमीटर पूर्ण मैटल, एवं 6 किलोमीटर में एक तरफ मैटल का कार्य कराया जा चुका है। कुछ सिरोही जिले में पाली सिरोही आबू रोड पर 53 किलोमीटर पूर्ण डामर, 23 किलोमीटर पूर्ण मैटल एवं 6 किलोमीटर में एक तरफ मैटल का कार्य कराया गया जिस पर 55.59 लाख रुपया व्यय हुआ। सिरोही रोड से आबू रोड सरहद भाग के व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखे गये।

(2) जी नहीं। इस सड़क पर छः ठेकेदारों को काम दिया गया था।

पावटा–कल्याणपुरा सड़क का कार्य

107. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में इस वित्तीय वर्ष में किस-किस तहसील में किन-किन सड़कों

(117)

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

का कार्य किया जावेगा ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में पावटा से कल्याणपुरा सड़क बहुत पुरानी है तथा इस सड़क के पूरी होने पर ग्यारह पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ जावेंगे ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण सड़क को किस प्रकार पूरी करने की योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अर्थाभाव के कारण अभी इस सड़क के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1976–77 में जयपुर जिले में कार्य कराये जाने वाले सड़कों की सूची

क्र.सं.	नाम	सड़क का नाम	बजट 1976-77	विवरण
1	2	3	4	5
			(लाखों में)	
1.	फागी	1. चूरू तक एप्रोच सड़क	0.25	मिनीमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत
		2. रेनवाल तक एप्रोच सड़क	0.05	,,
2.	फुलेरा	1. काचरोदा तक एप्रोच सड़क	0.05	,,
3.	बैराठ	1. खोरा लाड़वानी तक एप्रोच सड़क	0.55	,,
4.	दूदू	1. सनखन तक एप्रोच सड़क	0.05	,,
		2. बालूदा तक एप्रोच सड़क	0.25	,,
5.	दौसा	1. दौसा तूंगा वाया लवाण	0.22	योजना राज्य के अन्तर्गत
6.	आमेर	1. चीतवारी तक एप्रोच सड़क	0.15	मिनीमम नीड प्रोग्राम
		2. मंडोता तक एप्रोच सड़क	0.30	,,
		3. आहोता तक एप्रोच सड़क	0.15	,,
		4. मोरीजा से चन्दवाजी सड़क	0.30	योजना राज्य के अंतर्गत
		5. गोविन्दगढ़ से कालाडेरा	0.30	,,
		6. उदयपुरिया से खेजरोली सड़क	0.10	,,
7.	लालसोट	1. रामगढ़ पचवारा तक एप्रोच	0.30	मिनीमम नीड प्रोग्राम
8.	बस्सी	1. जटबाड़ा तक एप्रोच सड़क	0.10	,,
9.	जयपुर	1. झोटवाडा कालूवाड सडक पर सी.डी. कार्य	0.30	योजना राज्य के अंतर्गत
		2. सिरसी बेंगूर सड़क	0.10	,,

Page No 118

(118)

1	2	3	4	5
10.	सांगानेर	1. सांगानेर सोडाला सड़क से गोल्यावास तक	0.10	योजना राज्य के अन्तर्गत
		2. सांगानेर भाम्पुरा से कपूरवाला तक	0.25	,,
		3. मोहन सड़क से कलावाणपुरा जयसिंह पुरा तक	0.25	,,
		4. मंगलवा से मोहन सड़क का कार्य	0.15	,,
11.	सिकराय	1. सिकराय गीजगढ़ सड़क	0.10	,,
			4.37 लाख	

भूतपूर्व तहसीलदार शाहबाद के विरुद्ध कार्यवाही

108. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि भूतपूर्व तहसीलदार शाहबाद जिला कोटा श्री आत्मप्रकाश पारीक द्वारा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जानबूझ कर अव्यावहारिक कार्य कर अनियमितताएं की हैं जिसकी शिकायतें क्षेत्रीय आदिवासियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार को की गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने आपातकालीन समय में लापरवाही पूर्ण कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

जी हां। मामलों में परगना अधिकारी बॉरां से जांच कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बीदासर-श्रीडूंगरगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण

109. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीदासर से श्रीडूंगरगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि सालासर, सुजानगढ़, लाडनूं, डीडवाना, छापर, बीदासर के लोग वाया नोखा, बीकानेर जाने के बजाय बीदासर से वाया श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर 40 मील कम होने के कारण श्रीडूंगरगढ़ होकर ही जाना चाहते हैं ? यदि हां, तो इस पर कब तक बसें चला दी जायेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि बीदासर से वाया श्रीडूंगरगढ़ सरदारशहर के लिए भी यह मार्ग बहुत नजदीक रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने को तैयार है ?

(श्री लूणाराम)

(4) क्या यह सही है कि बीदासर से भोमासर वाया श्रीडूंगरगढ़ कोई बस सेवा चालू नहीं है? यदि हां, तो बस सेवा कब तक चालू कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना निगम के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

(2) जी हां। इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण होते ही निगम द्वारा बस सेवायें उपलब्ध करादी जायेंगी।

(3) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ से सरदार शहर मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई तथा इस मार्ग पर निगम द्वारा शीघ्र वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जायगा।

(4) जी नहीं। इस मार्ग पर निजी वाहनों की बस सेवा उपलब्ध है।

टोंक जिले में भूदान के पट्टे वाली भूमि

110. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में भूदान के पट्टे वाली भूमि को राज्य सरकार ने चरागाह एवं सिवाय चक घोषित किया हुआ है?

(2) क्या इस प्रकार के मामले प्रशासन के सामने लाये गये हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इन पर कब तक निर्णय लेगी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) जी नहीं।

टोडाभीम एवं नादौती तहसील में कृषि उपज मंडी की स्थापना

111. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बजट सत्र में कृषि अनुदान की मांगों का उत्तर देते हुए सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी की व्यवस्था शीघ्र ही की जावेगी? यदि हां, तो क्या प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी स्थापित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) तहसील टोडाभीम एवं तहसील नादौती (जिला सवाई माधोपुर) में कब तक मण्डी स्थापित कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) तत्कालीन कृषि मंत्री श्री शिवचरण माथुर द्वारा विधान सभा में घोषणा की गई थी कि सरकार का इरादा हर पंचायत समिति स्तर पर कृषि उपज मण्डी समितियां खोलने का है परन्तु उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसा तब सम्भव होगा जबकि एक समिति की आय उसके प्रशासकीय खर्च चलाने व मण्डी विकास कार्य हाथ में लेने के लिए सक्षम हो। इस दिशा में कार्यवाही चालू है और मण्डियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। कई मण्डियों की स्थापना की जा चुकी है। पूरी सूचना प्राप्त

(कृषि मंत्री)

होने पर वांछित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) तहसील टोडाभीम एवं तहसील नादौती जिला (सवाई माधोपुर) पर स्वतंत्र रूप से मण्डी समिति जब ही स्थापित हो सकेगी जब वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगी ताकि मण्डी समिति का प्रशासनिक व्यय तथा मण्डी के विकास कार्यों के लिए यथेष्ठ धनराशि उपलब्ध हो सके।

रायसिंहनगर से करणीसर मार्ग पर बसों की सुविधा

112. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर से करणीसर तक एक ही बस चलती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रूट पर करीबन तीन वर्षों से एक ही बस चलती है जो सुबह करणीसर से रायसिंहनगर व शाम को रायसिंहनगर से करणीसर जाती है जबकि इस रूट पर दो बसें मन्जूर हैं? यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर और बसें चलवाने का सरकार का विचार है?

(3) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर से ठाकरी, 40 एस.पी. बगीचा. ततारसर, 66 एन.पी., सुखचैनपुरा, करणीसर तक रूट मन्जूर है इन गांवों में होकर बस नहीं जाती है व गलत रूट पर चल रही है? क्या सरकार दोनों रूटों पर बस सही रूप से चलाने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दोषी अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(2) समय सारणी के अनुसार न चलने के कारण परमिट धारियों को धारा 60 के नोटिस दिये हैं। बसों के बढ़ाने की जांच करवाली जावेगी।

(3) जी हां। गलत रूट पर चलाये जाने के लिए भी अनुज्ञाधारियों को धारा 60 के अनुसार नोटिस दिये हैं। अन्य रास्तों से बस सेवा के लिए सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया किश्तों का भुगतान

113. श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (भादरपुरा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत सत्र एवं उससे पूर्व में भी राज्य सरकार ने प्रश्नों के उत्तर में यह बताया था कि राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया किश्तें केन्द्रीय सरकार के समान देने हेतु मामला विचाराधीन है तथा इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जावेगा? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समान बकाया किश्तें दे दी हैं? यदि नहीं, तो छः माह व्यतीत हो जाने पर भी राज्य सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं ले सकी?

(2) क्या राज्य सरकार इस सत्र की समाप्ति के पूर्व सदन में कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की बकाया किश्तों की घोषणा केन्द्र के समान करने का विचार रखती है?

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) गत सत्र में प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सम्पूर्ण मांगों की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते के पैटर्न (pattern) के समान मंहगाई भत्ता नहीं देने का निर्णय लिया है। (नये वेतनमान 1-9-76 से लागू किये गये हैं जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में 1-10-76 को सदन में कर दी है। नये वेतनमान के साथ मंहगाई भत्ता देने की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

(2) उपरोक्त उत्तर (1) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान नहर क्षेत्र में हस्तगत की भूमि की जांच

114. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि उपनिवेशन मंत्री ने इस वर्ष के बजट सत्र में राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, जागिरदारों, भूपतियों, धन्ना सेठों, राजाओं या उनके परिवार के लोगों द्वारा हस्तगत की गई भूमि की जांच सी. बी. आई. से कराने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो किन-किन लोगों की जांच आरम्भ हो गई है ? किन किन की पूर्ण हो गई है, किन-किन की जांच आरम्भ नहीं हुई है, जिनकी जांच पूर्ण हो गई है उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

छबड़ा से कुम्भराज तक आगरा बम्बई रोड को जोड़ने का प्रस्ताव

115. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचवर्षीय योजना के आगामी वर्षों में कोई अन्तर्राज्य सड़क मध्य-प्रदेश से आगरा-बम्बई रोड से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है और इसके लिये विभाग ने कोटा जिले के प्रस्ताव व एस्टीमेट मंगवाये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या छबड़ा से कुम्भराज तक आगरा बम्बई रोड को जोड़ने हेतु प्रस्ताव व एस्टीमेट प्राप्त हुआ है ?

(3) यदि हां, तो कब तक स्वीकृत कर यह कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उपज मण्डी की सदस्यता

116. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक अजमेर ने श्री रमजान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
खां पुत्र श्री मोहम्मद खां को कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावर व विजयनगर में सदस्य मनोनित किया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रसिक भाई दवे अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति 'अ' श्रेणी ब्यावर ने अपने पत्र संख्या 2769-72 दिनांक 9-3-76 द्वारा श्री रमजान खां की सदस्यता पर राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम 4(5) के तहत एतराज किया है कि उक्त श्री रमजान खां अफीम की तस्करी में उप-खंड दण्डनायक, भीनमाल, जिला जालौर की अदालत से 12 महिने की कैद की सजा तथा महाराष्ट्र हाई कोर्ट से 326 ता. हि. के अन्तर्गत 3 साल की सजायाफ्ता होने के कारण कृषि उपज मंडी के सदस्य नहीं हो सकते ?

(3) राज्य सरकार ने उक्त मामले में क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

नाथद्वारा में पर्यटन निवास गृह की व्यवस्था

117. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने पर्यटक निवास गृह हैं तथा इनकी स्थापना कब कब हुई ? इन पर्यटक निवास गृहों में कितने कितने लोगों के रहने की सुविधा है तथा वहां वर्ष 75–76 में (आज दिन तक) कितने कितने आदमी ठहरे ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नाथद्वारा पर्यटक निवास गृह में जब से वह प्रारम्भ हुआ है, सबसे अधिक आकुपेन्सी रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ पर्यटक निवास गृहों में आवासीय व्यवस्था और बढ़ाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है ? यदि हां तो कहां कहां, कितने कितने वेश्म बनाये गये हैं और उसमें कितना कितना व्यय हुआ ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार नाथद्वारा पर्यटक निवास गृह में आने वाले पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखकर उसमें निवास व्यवस्था और बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक कर दिया जायेगा और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 10 पर्यटक भवन है स्थापना तिथि एवं अन्य सूचना तालिका क एवं ख में अंकित है। सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, इस वर्ष जयपुर में आवासीय व्यवस्था और बढ़ाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। यह कार्य पिछले दो वर्ष (74–75) से प्रगति पर है तथा गत वर्ष तक 5 लाख 94 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा अजमेर में गत दो वर्षों में (74–75 एवं 75–76) में 5 लाख 2 हजार उदयपुर में 3 लाख 45 हजार और कोटा में 2 लाख 63 हजार रुपये व्यय हो चुके हैं।

(4) जी नहीं। कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तालिका 'क'

STATEMENT SHOWING BED CAPACITY OF TOURIST BUNGALOWS IN RAJASTHAN DURING THE YEAR 1975 and 1976.

S.N.	Tourist Bungalow	Date of starting	Total beds available during 1975	1976
1.	Jaipur.	21-1-1960	73	73
2.	Udaipur	1-5-1950	76	85
3.	Ajmer	9-12-1962	34	66
4.	Mt. Abu	27-10-1962	174	174
5.	Pushkar	8-1964	28	23
6.	Jodhpur	6-2-1972	84	84
7.	Chittor	2-1973	44	44
8.	Jaisalmer	6-10-74	48	48
9.	Sariska	15-8-1975	48	48
10.	Nathdwara	6-9-1975	18	18
			626	668

तालिका 'ख'

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF HOME AND FOREIGN TOURISTS STAYED IN THE TOURIST BUNGALOWS IN RAJASTHAN DURING THE YEAR 1975 AND 1976 (From January to June, 1976).

S.No.	Name of Tourist Bungalow	1975 HOME	1975 FOREIGN	1976 HOME	1976 FOREIGN
1.	Jaipur	8454	2443	4403	1550
2.	Ajmer	4406	742	2325	353
3.	Udaipur	7376	1149	3981	633
4.	Jodhpur	6644	616	3714	250
5.	Mt. Abu	6392	292	4541	162
6.	Sariska	3668	3573	868	734
7.	Chittorgarh	4423	309	2516	216
8.	Jaisalmer	1328	1123	832	414
9.	Nathdwara	679	11	1111	28
10.	Pushkar	907	246	388	181

(24)

सीमावर्ती जिलों के मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र

118. श्री वृद्धिचन्द्र (बाड़मेर) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र (इनफोर्मेशन सेन्टर) स्थापित करने की योजना थी ? यदि हां, तो स्थापित किये जाने में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

(2) राज्य सरकार उक्त सूचना केन्द्रों को कब तक स्थापित कर देगी ? निश्चित तिथि से अवगत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिलों के मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र खोलने का पूर्व में विचार किया गया था किन्तु आर्थिक अभाव से इसे योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(2) सीमावर्ती जिलों में सूचना केन्द्र स्थापित करने की निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

तिहारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग

119. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तिहारी के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिये कई बार निवेदन किया गया हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि तिहारी उच्च प्राथमिक विद्यालय से नसीराबाद 20 कि. मी. रामसर 15 कि. मी. श्री नगर 15 कि. मी. किशनगढ 20 कि. मी. अराई 16 कि मी. पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां पर छात्रों को जाना पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार छात्रों की सुविधा एवं वाजिब मांग को देखते हुए तिहारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस वर्ष. बजट में सेकण्डरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान होने पर इसके औचित्य पर विचार कर निर्णय लिया जायगा।

किशनगढ–अराई सडक की मरम्मत का कार्य

120 श्री प्रतापसिंह (किशनगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगढ–अराई सडक की मरम्मत एवं विकास का कार्य कब स्वीकृत किया गया था ? इस कार्य के लिये कितनी

(श्री प्रतापसिंह)
राशि स्वीकृत की गई ? कितनी राशि व्यय हुई ? क्या कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब पूर्ण हुआ ?

(2) क्या उक्त सड़क का जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसका भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं ? क्या किया गया कार्य मौके पर जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गया है ? यदि हां, तो सड़क को कब ठीक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) किशनगढ़-अराई सड़क की मरम्मत का कार्य दिनांक 19–1–76 को स्वीकृत किया गया था। इस कार्य के लिये बाढ कार्यों के अन्तर्गत एक लाख पचास हजार रुपये की स्वीकृति की गई। इसके अतिरिक्त 1.15 रुपये स्पेशल रिपेयर से खर्च किया गया। धनाभाव के कारण इस सड़क के कुछ भाग में कार्य बाकी है।

(2) उक्त सड़क पर जितना भी कार्य हो चुका है उसमें केवल ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के फाइनल बिल के अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। धनराशि के उपलब्ध होने पर बकाया कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

नागौर जिले के काश्तकारों पर लगान की बकाया राशि

121. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

श्री भोमाराम (डीडवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनमें एक हजार अथवा एक हजार से अधिक की लगान की धनराशि बकाया है ? नामवार धनराशि बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त धनराशि उपरोक्त काश्तकारों में कितने वर्षों से बकाया है व इनसे वसूली अब तक क्यों नहीं की गयी तथा वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

(स्थगित किया गया)

(126)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न सं. 27 की सूची)

बाडमेर जिले में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अन्तर्गत रिक्त पदों का ब्यौरा:–

	क्र.सं.	पद	रिक्त पदों की संख्या	कब से है
	1	2	3	4
	1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	1	2–8–76
	2.	पोस्ट ग्रेजुएट सी. ए. एस.	2	15–4–75
	3.	सी. ए. एस.	4	30–11–75
	4.	लीव रिजर्व सी. ए. एस.	1	1–9–76
	5.	कार्यालय सहायक	1	11–6–75
	6.	मेल नर्स श्रेणी-प्रथम	2	31–7–76
	7.	मेल नर्स श्रेणी-2	20	
	8.	महिला स्वास्थ्य सुदर्शिका	8	सृजित होने के समय से
	9.	वाहन चालक	5	सृजित होने के समय से
	10.	स्वास्थ्य निरीक्षक	4	सृजित होने के समय से
	11.	मैकेनिक	1	25–10–71
	12.	कनिष्ठ लिपिक	1	1–10–76
	13.	औषधि निरीक्षक	1	4–7–76
	14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	1–4–76
प. नि.	15.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1–9–74
	16.	शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी	1	25–8–76
	17.	सांख्यिकी सहायक	1	18–12–73
	18.	सी. ए. एस.	3	जुलाई, 76 अप्रेल, 76 1–1–76
	19.	खण्ड शिक्षा प्रसारक	6	सृजित होने के समय से
	20.	संगणक	6	वर्ष 1975
	21.	वरिष्ठ लिपिक	2	सन् 1972 तथा 1974
	22.	कनिष्ठ लिपिक	2	सन् 1973 तथा 1975
	23.	ए. एम. एम.	1	1974
	24.	एल. एच. वी.	1	सृजित होने के समय से
	25.	परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक	20	1973

	1	2	3	4
	26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	अगस्त, 76
स्वास्थ्य	27.	टीका निरीक्षक	4	दो पद 9 माह से व दो पद दो वर्ष से
	28.	टीका-कार	3	— यथा —
	29.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	सृजित होने के समय से
	30.	स्वास्थ्य निरीक्षक	4	सृजित होने के समय से
मलेरिया	31.	मलेरिया सर्वेलेन्स वर्कर	5	सन् 1975

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न सं. 29 की सूची)

(No.5(45)MPH/64 dated 10-7-68)

Sub:— Rules governing admission to post-graduate and Diploma Courses in various Medical Colleges in the State.

For post-graduation (M.D., M.S., and Diploma Courses) only those candidates shall be admitted who have secured not less than 55% marks in their final M.B.,B.S. Examination.

2. Candidates who have failed more than twice in final M.B.,B.S. shall not be admitted on clinical side and in non-clinical if the candidate has failed twice in the subject in which he wants to take up post-graduation or has failed twice in final M.B.,B.S. he should not be admitted.

3. Candidate must remain in College as a full-time post-graduate for the full duration of the course.

4. If the candidate is under bond to serve the State, prior Government permission shall be taken to register him as a post-graduate student except in case of 1st 10 students in the college i.e. 1st 10 students in the merit in each Medical College should be able to register themselves for post-graduation, rest will have to obtain Government sanction before admission.

5. Director of Medical & Health Services candidates i. e. those who are already in service as Civil Assistant Surgeon should also be admitted under the above rules and must remain for the full duration of the course in the Medical College.

6. Concession may be given to those candidates who have done full rural services i. e. they may be considered and admitted even if they have secured less than 55 marks.

7. The candidate to be admitted in Post-Graduation and Diploma Courses against the seats reserved for the D.M.&H.S.'s nominee shall be selected by a Committee of the following:—

(i) Secretary to the Government, Medical & Public Health Department, Rajasthan, Jaipur.

(ii) Medical Advisor to the Government.

(iii) Director of Medical & Health Services, Rajasthan.

(iv) One of the Principal to be co-opted.

The candidates selected by the above Committee shall be admitted in the Medical College by the Principal as Government nominees. The number of the seats reserved as D.M.&.H.S.'s nominee is available in Appendix I & II. D.M.&.H.S. will kindly invite applications and get them scrutinised by the above Committee before 15th July, positively each year..

In case candidates above the number of seats reserved for the nominees of D.M.&.H.S. want to register themselves for Post-graduation or Diploma courses they may do so after obtaining study leave etc. and shall be permitted by the D.M.&.H.S. to enable them to continue their Post-Graduation or Diploma courses.
